संपादकीय

पुलिस विज्ञान त्रैमासिक पत्रिका का अक्टूबर-दिसंबर, 2008 का अंक पाठकों के समक्ष प्रस्तुत है। जैसा कि संपादक मंडल का यह प्रयास रहता है कि पत्रिका में पुलिस, न्यायालयिक विज्ञान व अन्य संबंधित विषयों की प्रामाणिक व प्रासंगिक जानकारी प्रदान की जाए। अतः अपराधों को सुलझाने में पुलिसकर्मियों द्वारा किस प्रकार की कार्य प्रणाली अपनाई जाए, अपराधों से निपटने तथा अपराध होने की संभावनाओं से संबंधित कुछ ओजस्वी विचार तथा प्रैस की भूमिका पर वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों तथा समाज के कुछ प्रबुद्ध वर्ग द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं जो आम पुलिस-कर्मी के साथ सभी वर्ग के लिए उपयोगी होते हैं।

इस अंक में इस बार पुलिस-कर्मियों के लिए **पुलिस सुधारों के नए आयाम, साथ काम करना ही टीमवर्क नहीं है—पुलिस के संदर्भ में, कारागार में बंदियों के मानवाधिकार, व्यवसाय के प्रति कर्त्तव्य निष्ठा एवं पुलिस : एक समाजशास्त्रीय विश्लेषण, थाने में नवनियुक्त पुलिस कर्मियों से अपेक्षाएं, पुलिस आचरण और सर्वसाधारण, मानवाधिकार और पुलिस की भूमिका, महिला उत्पीड़न एवं डायन प्रथा** से संबंधित लेख भी हैं। पत्रिका के सुधी पाठक पत्रिका को और अधिक सूचनाप्रद व उपयोगी बनाने में अपना सक्रिय सहयोग प्रदान कर सकते हैं। आशा है कि पत्रिका में सम्मिलित सभी लेख पाठकों को उपयोगी लगेंगे और वे अपने विचारों से संपादक मंडल को अवगत कराते रहेंगे। आपके विचारों का सहर्ष स्वागत है।

दिवाकर शर्मा

संपादक

वर्ष - 26 अंक 105 अक्टूबर-दिसंबर, 2008

अनुक्रम

पुलिस सुधारों के नए आयाम 7
• *अरविंद कुमार चौबे*

साथ काम करना ही टीमवर्क नहीं है—पुलिस के संदर्भ में 12
• *डा. ओमराज सिंह*

कारागार में बंदियों के मानवाधिकार 26
• *विनोद मिश्रा, डा. प्रिती मिश्रा*

व्यवसाय के प्रति कर्तव्य निष्ठा एवं पुलिस : एक समाजशास्त्रीय विश्लेषण 32
• *प्रो. ए. एल. श्रीवास्तव*

थाने में नवनियुक्त पुलिस कर्मियों से अपेक्षाएं 36
• *हाकिम राय*

पुलिस आचरण और सर्वसाधारण
• *श्रीमती मीना मल्होत्रा* 45

मानवाधिकार और पुलिस की भूमिका 56
• *राजीव कुमार*

महिला उत्पीड़न एवं डायन प्रथा 62
• *डा. जयश्री एस. भट्ट, डा. दिवाकर शर्मा*

• *निदेशक (अनु.एवं.वि.) की कलम से* 68

समीक्षा समिति के सदस्य

प्रो. एम. ज़ैड. खान, नई दिल्ली
प्रो. एस.पी.श्रीवास्तव, लखनऊ
श्री एस.वी.एम त्रिपाठी, लखनऊ
प्रो. बलराज चौहान, भोपाल
प्रो. अरुणा भारद्वाज, नई दिल्ली
प्रो. जे.डी. शर्मा, सागर, (म.प्र.)
प्रो. स्नेहलता टंडन, नई दिल्ली
डा. दीप्ति श्रीवास्तव, भोपाल
प्रो. वी.के. कपूर, जम्मू
डा. शैलेंद्र कुमार चतुर्वेदी, मेरठ
डा. अरविंद तिवारी, मुंबई
डा. उपनीत लल्ली, चंडीगढ़
श्री एस.पी. सिंह पुंडीर, लखनऊ
श्री पी. डी. वर्मा, छत्तीसगढ़
श्री वी.वी.सरदाना, फरीदाबाद
श्री सुनील कुमार गुप्ता, नई दिल्ली

'पुलिस विज्ञान' में प्रकाशित लेखों में लेखकों के विचार निजी हैं। इनसे पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली की सहमति आवश्यक नहीं।

कवर डिजायन : राहुल कुमार

अक्षरांकन एवं पृष्ठ सज्जा : रचना इंटरप्राइजिज, वी-8, नवीन शाहदरा, दिल्ली-110032

पुलिस सुधारों के नए आयाम

अरविन्द कुमार चौबे

इन्दिरा नगर, जी.जी.सी.आई. रोड
निकट श्री सिंहेश्वरी इंटर कालेज
पो. तेतरी बाजार, जनपद, सिद्धार्थनगर
272207 (उ.प्र.)

ये तो तय है कि सिर्फ और सिर्फ कोसने से, आलोचना करने से तथा कमियां खोजने से पुलिस संवर्ग को सुधार के रास्तों पर नहीं लाया जा सकता। सकारात्मक परिणाम के लिए हमें पुलिस कर्मियों की उपलब्धियों को भी खोजना होगा, उनकी पीठ भी थपथपानी होगी। अच्छे कार्यों के लिए आकर्षक एवं प्रेरक पुरस्कारों की व्यवस्था करनी होगी ताकि अन्य सहकर्मी भी कुछ अच्छा करने को प्रेरित हों। साथ ही बुरे कार्यों, लापरवाहियों, गैरजिम्मेदाराना हरकतों एवं कर्तव्यहीनता के प्रति दण्ड-व्यवस्था को और भी अधिक प्रखर एवं संवेदनशील करने की आवश्यकता है। प्रस्तुत लेख में कुछ ऐसे ही अन्य बिंदुओं पर चर्चा की गई है जो पुलिस संवर्ग को जनसामान्य के साथ जोड़नें में मददगार साबित हो सकते हैं तथा पुलिस के प्रति टूटते जनविश्वास को बचाने में महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकते हैं।

आए दिन विभिन्न समाचार पत्रों, पत्रिकाओं व टी. वी. चैनलों की सुर्खियों में पुलिस के कारनामे छाए रहते हैं। चाहे वह महाराष्ट्र के इंस्पेक्टर दयानायक हों, या फिर फर्जी मुठभेड़ में लिप्त गुजरात व राजस्थान पुलिस, या फिर उ.प्र. के बाराबंकी जिले के व्यापारी से ट्रेन सोना-लूट में शामिल तीन पुलिस कर्मी हों। पुलिस कर्मियों की इस तरह एक के बाद एक आपराधिक घटनाओं से संलिप्तता बेहद शर्मनाक व चिंताजनक है। पुलिस कर्मियों के ये काले कारनामे पुलिस संवर्ग के दामन पर दाग लगाने के साथ-साथ पुलिस-सुधार कार्यक्रमों पर भी प्रश्नचिन्ह लगाते हैं।

एक तरफ तो आज यह कवायद चल रही है कि भारतीय पुलिस का आधुनिकीकरण कैसे किया जाए? क्या उसे नवीन अस्त्र-शस्त्रों से लैस किया जाए? भारतीय पुलिस की परंपरागत नकारात्मक छवि को कैसे सकारात्मक रूप में बदला जाए? तो दूसरी तरफ पुलिस संवर्ग स्वयं को दिन-प्रतिदिन नए अपराधों में झोंकती नजर आ रही है। पुलिस की आपराधिक कारगुजारियां वर्तमान भारतीय पुलिस को और अधिक मजबूत व सभ्य बनाने के विचारों, प्रस्तावों व प्रयासों पर सवाल खड़ा कर रही है। आज यह चिंतन का विषय है कि वर्तमान भारतीय पुलिस के अधिकारों को सीमित करते हुए उनके ऊपर अंकुश लगाया जाए, या फिर उन्हें और अस्त्रों व अधिकारों से युक्त करके मजबूत बनाया जाए? हाल के पिछले कुछ महीनों में पुलिस के क्रिया-कलापों व गतिविधियों का अवलोकन किया जाए तो ज्ञात होता है कि इस अवधि में पुलिस फर्जी मुठभेड़ों एवं समाज व कानून के एक प्रतिष्ठित व प्रबुद्ध संवर्ग-अधिवक्ता। वकील के बीच संघर्ष में उलझी रही। जहां तक गुजरात के फर्जी मुठभेड़ का सवाल है तो कुछ लोगों ने इसके मुख्य अभियुक्त-बंजारा को पुलिस संवर्ग का हीरो कहा, तो कुछ लोगों ने खलनायक! बुद्धिजीवियों के एक वर्ग ने पुलिस की कानूनी विवशता बताकर मुठभेड़ में आतंकवादियों व बड़े अपराधियों की हत्या को जायज बताकर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की तो दूसरे तरफ कुछ लोगों ने इसे बिल्कुल गलत एवं अनैतिक बताया। यह सच भी है कि जो कार्य कानून द्वारा वर्जित है या अवैध घोषित है, उसे सही ठहराने की कुचेष्टा करके व नैतिक समर्थन प्रदान करके समाज व देश का कदाचित भला नहीं किया जा सकता। एक पल के लिए मान भी लिया

जाए कि किसी आतंकवादी या बड़े अपराधी को फर्जी मुठभेड़ में मार गिराना पुलिस के दायरे में कर दिया जाए तो इस बात की क्या गारंटी है कि कल इसकी चपेट में निर्दोष या छोटे-मोटे स्तर के अपराधी नहीं आ जाएंगे? या फिर कुटिल व आपराधिक पृष्ठभूमि के नेता पुलिस कर्मियों पर अनुचित दबाव डालकर फर्जी मुठभेड़ के लिए बाध्य नहीं करेंगे। प्रमाण के तौर पर उ.प्र. के पूर्व डी. जी. पी. द्वारा लिखित एक लेख उल्लेखनीय है जिसमें उन्होंने इस बात का खुलासा किया है कि पुलिस महानिदेशक के पद पर नियुक्ति के दौरान एक राजनेता ने उनसे एक कुख्यात अपराधी के सफाए के लिए कहा था।

कानून के प्रावधानों के विपरीत कोई काम करने का नैतिक समर्थन यदि पुलिस संवर्ग को प्राप्त होगा तो आज की बेलगाम पुलिस को कल नरभक्षी होने से रोक पाना कतई संभव नहीं होगा। इसलिए बिना किसी बहस के फर्जी मुठभेड़ों में लिप्त पुलिस कर्मियों के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई ही एकमात्र उपाय है। मैंने राष्ट्रीय स्तर के कुछ समाचार पत्रों में कुछ लेखकों को गुजरात के फर्जी मुठभेंड़ में मुख्य अभियुक्त-बंजारा को हीरो साबित करते हुए देखा है, जो चिंतनीय है, शर्मनाक है, और कहीं से भी इस लोकतांत्रिक देश में समर्थन के योग्य नहीं है।

प्रायः बड़े व जघन्य अपराधियों एवं आतंकवादियों के संदर्भ में फर्जी मुठभेड़ों को पर्याप्त समर्थन मिल जाता है। शायद इसकी वजह है। हमारी विधि–व्यवस्था की शिथिलता व लचीलापन, तथा राजनीतिज्ञों की कुटिलता व स्वार्थपरता। बहुत से लोगों को याद होगा भारत के एक गृहमंत्री–की पुत्री का आतंकवादियों ने अपहरण करके अपनी शर्तों पर अपने कुछ आतंकवादी साथियों को रिहा करवाया था। यह स्वतंत्र भारत के इतिहास में संभवतः एक ऐसा दिन था, जिसमें एक व्यक्ति को राष्ट्र के मान-सम्मान से अधिक महत्व देकर एक पक्षपातपूर्ण सौदा किया गया। यदि यह पुत्री किसी 'जय जवान, जय किसान' की बेटी होती, तो क्या सरकार द्वारा आतंकवादियों के साथ अदला-बदली का यह खेल खेला जाता? शायद नहीं!

फर्जी मुठभेड़ों को नैतिक समर्थन प्राप्त होने के आधार : यह बेहद खतरनाक है, एक अशुभ संकेत है, पर सच है कि बड़े आतंकवादियों व अपराधियों को जब पुलिस कर्मी फर्जी मुठभेड़ों में मार गिराते हैं, तो समाज में एक बहुत बड़ी संख्या में लोगों का नैतिक समर्थन प्राप्त होने लगता है। यद्यपि यह नैतिक समर्थन व्यवस्था से असंतुष्ट एवं त्रस्त लोगों की प्रतिक्रिया का दूसरा स्वरूप होता है।

एक आतंकी, जिसका धर्म मारने, मिटाने के सिवा कुछ भी नहीं होता, उसे पकड़ना या उससे पार पाना, कितना मुश्किल होता है, भला एक सिपाही/जवान से अधिक और कौन जान सकता है? फर्जी मुठभेड़ों को यदि दरकिनार कर दें तो शायद ही कोई ऐसी मुठभेड़ होती हो जिसमें कोई पुलिस कर्मी शहीद/हताहत न होता हो। जब सेना/ पुलिस के जवान किसी आतंकी या बड़े अपराधी को पकड़ने के लिए निकलते हैं, तो उन्हें स्वयं यह नहीं मालूम होता कि वे घर लौट के आएंगे या नहीं? यदि लौटेंगे भी तो किस हाल में? ऐसी स्थिति में यदि पुलिस/जवान अपनी जान की बाजी लगाकर अपराधियों या आतंकियों को पकड़ते हैं, यह अत्यंत गौरवपूर्ण एवं शौर्यपूर्ण है। फिर भी यदि ऐसी उपलब्धियों का परिणाम किसी मंत्री के नज़दीकी रिश्तेदार के नाम पर शून्य हो जाए, या कारागार की अपर्याप्त एवं दुर्बल व्यवस्था के कारण कोई अपराधी या आतंकी भाग जाए, तो यह किसी पुलिस या जवान के लिए कितना मर्माहतकारी है, कहने की बात नहीं, सिर्फ महसूस किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में एक पुलिस की, या किसी भी व्यक्ति की स्वाभाविक सोच उपज लेती है, काश! पकड़ते ही अपराधी/ आतंकी को मार दिया गया होता! विगत कई घटनाओं

में कुछ अपराधी व आतंकी पुलिस के कब्जे में आने के बावजूद मुक्त होने या भागने में सफल हो गए, जिसके कारण पुलिस/जवानों की मानसिकता में अपराधियों को जिंदा पकड़ने की सोच दुर्बल होती गई। यदि पिछले कुछ मुठभेड़ों का अवलोकन करें तो शीशे की तरह दिखाई देगा कि बड़े अपराधी व आतंकी पकड़े कम गए, धराशायी अधिक किए गए। हमारे देश की न्याय–व्यवस्था भी कुछ ऐसी है कि दिन–दहाड़े प्रधानमंत्री की हत्या करने वाला व्यक्ति भी कुछ वर्षों तक जीने का अवसर प्राप्त कर लेता है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मृत्युदण्ड घोषित होने के बावजूद भी एक आतंकवादी राष्ट्रपति से प्राणदान की गुहार करके कई वर्षों तक जीवित रह लेता है। अतः अपर्याप्त एवं दुर्बल कैद व्यवस्था के साथ-साथ विलम्ब से मिलने वाली न्याय व्यवस्था आम-जन के बीच यह प्रतिक्रिया भरी सोच व नैतिक समर्थन सृजित एवं पोषित होने के लिए पूर्णतः उत्तरदायी है कि मुठभेड़ के दौरान आतंकवादियों व बड़े अपराधियों को जिन्दा पकड़ने से कहीं अच्छा है, उनकी हत्या कर देना! जन सामान्य से मिलने वाला यह नैतिक समर्थन पुलिस कर्मियों को किसी न किसी रूप में फर्जी मुठभेड़ों के लिए मानसिक रूप से मजबूत बनाती है।

पुलिस सुधारों की कुछ नई सोच :

1. धैर्य, संयम और सहानुभूति : आज समाज का प्रत्येक व्यक्ति इस बात का आकांक्षी है कि वर्तमान भारतीय पुलिस के स्वरूप में बुनियादी बदलाव की जरूरत है। कई बार देखा जाता है कि पुलिस कर्मियों की थोड़ी सी विवेकहीनता, लापरवाही व धैर्यहीनता के कारण बड़े–बड़े उपद्रव एवं तनाव उत्पन्न हो जाते हैं, जिससे पुलिस संवर्ग की छवि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। पुलिस कर्मियों के एक नकारात्मक कार्य से पिछले सारे सकारात्मक प्रयास एवं कार्य व्यर्थ हो जाते हैं। दृष्टांत के तौर पर हाल ही में इलाहाबाद उच्च न्यायालय में अधिवक्ताओं व पुलिस के बीच हुए संघर्ष का अवलोकन किया जा सकता है। इस संघर्ष की शुरूआत मात्र एक अधिवक्ता और एक पुलिस इंस्पेक्टर के बीच संवाद से शुरू हुई। सूत्रों व समाचारों के अनुसार एक अधिवक्ता ने एक पुलिस इंस्पेक्टर को बहसपूर्ण बातचीत के दौरान धक्का दे दिया, तदुपरान्त वहां उपस्थित अन्य पुलिस कर्मियों ने उस अकेले अधिवक्ता का लाठियों से जमकर स्वागत किया, मानो एक पेशेवर अपराधी उनके हाथ लग गया हो। यहां यदि यह सच भी हो कि एक अधिवक्ता ने एक पुलिस को धक्का दे दिया, तो भी इसका मतलब यह कदापि नहीं होना चाहिए कि पुलिसकर्मी अपना विवेक, धैर्य व संयम खो दें। साथ ही अधिवक्ता के इस व्यवहार को भी कदाचित उचित नहीं ठहराया जा सकता, इस अशिष्ट व दुस्साहसिक कार्य के बदले अधिवक्ता के विरुद्ध विधिसंगत कार्रवाई अनिवार्यतः आवश्यक है।

पुलिस की स्थापना समाज की रक्षा एवं विधि व्यवस्था को बनाए रखने के लिए हुई है। समाज का रक्षक ही कानून व्यवस्था को अपने हाथ में ले, यह लोकतंत्र के लिए कतई सुखद नहीं। अस्त्र–शस्त्रों से लैस होने के कारण पुलिस को धैर्य, संयम व सहानुभूतिपूर्वक कार्य करना होगा, क्योंकि ऐसा न होने से कई निर्दोषों की जाने जा सकती हैं। शक्ति रखने वाले पुलिसकर्मी यदि विवेकहीन, संयमहीन व स्वच्छंद हों तो वे देश के लिए कतई सहयोगी सिद्ध नहीं हो सकते। फलों से लदे हुए वृक्ष जिस तरह विनम्रता से धरती की ओर झुके होते हैं, ठीक कुछ इसी तरह शक्ति धारण करने वाले पुलिसकर्मियों को भी बनना होगा। अर्थात भारतीय पुलिस को आक्रामकता के साथ–साथ समाज के सभ्य, भावुक व संवेदनशील एवं प्रबुद्ध लोगों, यथा–अधिवक्ता, शिक्षक, साहित्यकार, पत्रकार, चिकित्सक आदि लोगों के साथ विवेक, गंभीरता, धैर्य, संयम एवं सहानुभूति के साथ पेश आना होगा। तभी भारतीय पुलिस जहां एक तरफ अराजक तत्वों के लिए भयकारी सिद्ध होंगे, वहीं दूसरी तरफ जन-सामान्य के लिए सहयोगी साबित हो सकेंगे।

2. जन-कल्याण के कार्यों में सहभागिता : आमतौर पर भारतीय पुलिस की छवि टेढ़ा व कड़वा बोलना, गाली–गलौज देने व मारने–पीटने तक ही सीमित है। सुधारों के अनेक प्रयासों के बावजूद आज तक पुलिस के सहयोगी स्वरूप को जनता के बीच नहीं लाया जा सका है। शायद इसकी वजह है कि आज तक इस दिशा में गंभीर व बुनियादी प्रयास किए ही नहीं गए। पुलिसकर्मियों को जन-सामान्य से जोड़ने के लिए यह परम आवश्यक है कि उन्हें कभी-कभार सार्वजनिक स्थलों पर ले जाकर व्यावहारिक कार्य करने का अवसर दिया जाए, यथा- विभिन्न सुअवसरों पर पुलिसकर्मियों को विभिन्न अस्पतालों में ले जाकर उनको मरीजों की सेवा के लिए प्रेरित किया जाए। विभिन्न दैवीय आपदाओं, यथा–बाढ़, भूकम्प आदि में राहत कार्यों में सक्रिय भूमिका सौंपी जाए। पोलियो जैसे राष्ट्रीय कार्यक्रमों में उनकी सहभागिता निश्चित की जाए, गांवों की स्वच्छता में स्वेच्छा के आधार पर उनसे श्रमदान करवाया जाए। उल्लेखनीय है कि ये सारे कार्य पुलिस कर्मियों से सरकारी दबाव के द्वारा न करवाए जाएं, वरन उनकी इच्छा पर आधारित रखे जाएं साथ ही इन कार्यों के बदले पुरस्कार स्वरूप पुलिस कर्मियों को सामूहिक रूप से सम्मानित करने के साथ–साथ कुछ नकद राशि भी प्रदान की जाए। मीडिया में पुलिसकर्मियों के इन अच्छे कार्यों को प्रमुखता से जगह दी जाए ताकि आम जनता के बीच यह संदेह प्रसारित हो कि भारतीय पुलिस भी आप के सुख-दुख की सहभागी है, वे भी आप ही के बीच से आए हैं। यदि ऐसे सरल व विनम्र प्रयास जनता व पुलिस के बीच साम्य स्थापित करने के लिए किए जाएं तो निश्चित ही पुलिस कर्मियों की नकारात्मक अभिवृत्तियों पर स्वतः अंकुश लगना शुरू हो जाएगा। साथ ही पुलिस कर्मियों के मन में आम जनता के प्रति सहानुभूति, सहयोग व सेवा का भाव उत्पन्न होगा।

3. खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन : अविश्वास एवं असामंजस्यपूर्ण संबंधों को सुधारने का एक अत्यंत सशक्त एवं प्रभावपूर्ण तरीका हो सकता है–पुलिसकर्मियों एवं जन-सामान्य के बीच खेल-प्रतियोगिताओं का आयोजन। यदि हाल ही में अपने देश में आयोजित क्रिकेट प्रतियोगिता, आई.पी.एल.–20 का अवलोकन करें तो पाएंगे कि पाकिस्तान के शोएब अख्तर, आस्ट्रेलिया के एंड्यू साइमंड्स जैसे खिलाड़ी, जो कि पिछले कुछ महीनों से हमारे देश के दर्शकों के आंखों की किरकिरी बने हुए थे, भारत में आकर खेलने पर भी स्थानीय दर्शकों ने कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की, वरन् उनके खेल को सराहा। खेल भावना के सशक्त प्रभाव के कारण स्थानीय पुलिस प्रशासन को चाहिए कि विभिन्न सुअवसरों, यथा–महापुरुषों की जयंतियों, राष्ट्रीय पर्वों व विभिन्न समुदायों के धार्मिक अवसरों पर पुलिसकर्मियों व सर्व-धर्म–जन के बीच खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाए। इसके लिए पुलिस कर्मियों व आम नागरिकों की मिश्रित टीमें बनाई जाए अर्थात टीम में कुछ पुलिसकर्मी हों तो कुछ सामान्य नागरिक! इस प्रतियोगिता में किसी भी खिलाड़ी को भाग लेने का अवसर प्राप्त हो, ऐसा न हो कि सामान्य नागरिकों के नाम पर कुछ दलाल व चाटुकार खेल के बहाने खुशामद करने का अवसर प्राप्त करें। विजेता टीम को घोषित पुरस्कार व उपविजेता को भी प्रोत्साहक पुरस्कार प्रदान किया जाए। इस आयोजन में जनप्रतिनिधियों व समाज के अन्य सभी वर्गों को भी इसमें दर्शक व मेहमान के रूप में आमंत्रित किया जाए।

4. मीडिया से तालमेल : कई बार देखा गया है कि मीडिया एवं पुलिस कर्मियों में तनाव उत्पन्न हो जाता है जिससे कई बार मीडियाकर्मी भी पुलिस कर्मियों के नकारात्मक पक्ष को तो उजागर करते हैं, किंतु उनके सकारात्मक पक्षों को दबाने की चेष्टा करते हैं, जिससे पुलिस विभाग की छवि धूमिल होती है। अतः पुलिसकर्मियों को मीडिया से विनम्रता व सहयोग भावना से पेश आना चाहिए।

5. पुरस्कार एवं दंड की प्रभावी व्यवस्था : जिस

समाज में पुरस्कार और दंड की अवधारणाए दुर्बल होती हैं, अर्थात प्रभावी एवं निष्पक्ष रूप से अस्तित्व में नहीं होती हैं, वहां कर्तव्यहीनता, अनैतिकता, भ्रष्टाचार, और अपराध चरमोत्कर्ष पर होते हैं। यदि अच्छा कार्य करने वाले और बुरा कार्य करने वाले में कोई अंतर न हो, अर्थात दोनों का समाज व विभाग में बराबर का सम्मान व दर्जा प्राप्त हो तो भला अच्छा कार्य करने की संस्कृति का विकास कैसे संभव है? आज यह देखने को मिलता है कि जब एक व्यक्ति येन केन प्रकारणेन भौतिक उपलब्धियां हासिल कर लेता है तो संबंधित समाज व विभाग के लोग उसे और अधिक महत्व देते हैं, समाज ऐसे लोगों को सामर्थ्यवानों की श्रेणी में रखता है। आज का समाज यह नहीं देखता कि किसने कैसे सफलता अर्जित की? आज के जीवन को युद्ध माना जाता है, यहां जो जीता वहीं सिकन्दर! यही कारण है कि आज मौका पाने वाला लगभग प्रत्येक व्यक्ति बिना सही और गलत की परवाह किए भौतिक उपलब्धियों को पाने के लिए आतुर हैं।

आज के परिवेश में एक सही व्यक्ति भी कालान्तर में अपने आप से प्रश्न करने लगता है कि आखिर सही काम करने से क्या फायदा? और अन्ततः वह भी भ्रष्टाचार, अनैतिकता व कर्तव्यहीनता से परहेज नहीं करता। यही वजह है कि अच्छे कार्यों के लिए जहां अच्छे पुरस्कारों की आवश्यकता है, वहीं गलत कार्यों व कर्तव्यहीनता के लिए कठोर दंड का प्रावधान होना भी परम आवश्यक है। पुरस्कार और दंड जुड़वा अवधारणाएं हैं, इनमें साम्य आवश्यक है अन्यथा समाज में विचलन और नियमहीनता को बल मिलता है।

6. सामाजिक समस्याओं में पुलिस अधिकारियों की सहभागिता : आज सामाजिक विघटन के दौरान में परिवार जैसी मूलभूत एवं प्राथमिक संस्था भी सुरक्षित नहीं। आज एकाकी परिवारों में भी आपसी तनाव, मनमुटाव व संबंध–विच्छेद जैसी समस्याएं मुंह बाये खड़ी हैं। दहेज संबंधित विवाद भी चरम सीमा पर हैं। अतः इन सामाजिक समस्याओं के समाधान में पुलिस अधिकारियों की सक्रिय सहभागिता से न केवल समाज का भला होगा, वरन् ऐसे कार्यों से पुलिस के प्रति जनविश्वास में वृद्धि होगी तथा पुलिस संवर्ग भी स्वयं को गौरवांवित महसूस करेगा।

अतः इसके लिए प्रत्येक जिले में एक ऐसी समिति का गठन किया जाए जिसमें पुलिस अधीक्षक/अपर पुलिस अधीक्षक के अलावा समाज के कुछ अन्य बुद्धजीवियों, यथा–अधिवक्ता, समाजसेवी, पत्रकार, शिक्षक, राजनीतिज्ञ, वरिष्ठ खिलाड़ी आदि भी सम्मिलित हों। इस बात का भी ध्यान रखा जाए कि कम से कम आधा सदस्य महिलाएं हों। इस समिति की बैठक प्रत्येक सप्ताह एक नियत स्थान पर करवायी जाए, जिसकी अध्यक्षता पुलिस अधीक्षक या अपर पुलिस अधीक्षक द्वारा की जाए। इस बैठक में महिला पुलिस अधिकारियों की उपस्थिति भी वांछनीय है।

❐

साथ काम करना ही टीमवर्क नहीं है–पुलिस के संदर्भ में

डा. ओम राज सिंह

राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान
5, सीरी इंस्टीट्यूशनल एरिया, हौज खास,
नई दिल्ली-110016

किसी भी टीम की सफलता का श्रेय इस बात पर निर्भर करता है कि उसमें साथ-साथ काम कर रहे लोग एक दूसरे के प्रति किस प्रकार के भाव अथवा विचार रखते हैं। यह अत्यंत ही आवश्यक है कि पुलिस में कार्यरत सभी पुलिस वाले एक दूसरे की इज्जत करें। उनके मन में यह भी भाव होना चाहिए कि वे जितनी मेहनत कर रहे हैं, उतनी ही मेहनत उनके दूसरे साथी भी कर रहे हैं। टीम की सफलता ऐसा ताला है, जिसे खोलने की तमाम चाबियां हैं लेकिन असली खेल तो है समय पर सही चाबी लगाने का। टीम का प्रत्येक सदस्य उसकी इकाई है, जिस पर टीम की कामयाबी निर्भर करती है। ऐसी टीमें ही सफलता प्राप्त कर पाती हैं, जिनमें प्रत्येक व्यक्ति को यह मालूम होता है कि उसकी ताकत क्या है तथा हमारी टीम की कमजोरियां क्या हैं। अगर प्रत्येक पुलिस वाला अपनी ताकत के हिसाब से काम करता है तो जाहिर है कि वह टीम दूसरों से ज्यादा अच्छा कार्य करेगी। अगर कार्य को वास्तव में सही मुकाम तक पहुंचाना है तो इसके लिए अत्यंत ही जरूरी है कि टीम के लोगों को अपना उद्देश्य स्पष्ट रूप में बताएं तथा टीम के सदस्यों को भी उद्देश्य साफतौर पर नजर आना चाहिए। यह जाहिर है कि एक टीम में जितने भी लोग होंगे, उनमें प्रत्येक व्यक्ति अलग-अलग काम ही करता होगा, लेकिन यह बहुत जरूरी है कि सबका मकसद एक ही होना चाहिए। प्रत्येक पुलिसकर्मी को अपने विभाग द्वारा निर्धारित परिसीमाओं के अंदर रहकर कानून के दायरे में मानवअधिकारों को ध्यान में रखकर कार्य करना पड़ता है। इसका पालन न करने पर आम जनता को परेशानी होती है। इसलिए यह जरूरी है कि पुलिस तथा समाज दोनों को ही अपने-अपने मूल्यों तथा आदर्शों को ध्यान में रखकर ही कार्य करना चाहिए ताकि प्रजातंत्र देश में पुलिस तथा जनता के मध्य वैमनस्य न पनप सके। सभी एक दूसरे के सहयोगी के रूप में मददगार साबित हों ताकि टीमवर्क अच्छे एवं सरल रूप में हो सके। 'टीम', टीम वर्क और 'काम में रम जाना' ये शब्द तो चलते-फिरते किसी भी शख्स के मुंह से सुनने को मिल ही जाते हैं लेकिन इनकी अहमियत नहीं समझते हैं, जिन्हें पता होता है कि टीम के असली मायने क्या हैं, जो बिखरी हुई ऊर्जा को एक करना जानते हैं, जो जानते हैं कि पांच उंगलियों को मिलाने पर मुट्ठी बनती है और जो मुट्ठी बनाना भी जानते हैं उन्हें अपने काम के साथ-साथ दूसरे के काम की कद्र भी होती है। ऐसे लोग दूसरों के व्यक्तित्व को बखूबी समझते हैं और उसके साथ सामंजस्य कैसे बैठाना है, इसकी समझ भी उन्हें होती है। ऐसे ही चंद लोगों को लीडर की संज्ञा दी जाती है। एक ऐसा लीडर, जो टीम के हर शख्स को यह अहसास दिलाए कि उसकी टीम के प्रति जिम्मेदारी क्या है और वह टीम के लिए कितना महत्वपूर्ण है। ऐसा जरूरी नहीं कि टीम में कोई ऐसा एक ही लीडर हो। टीम के ज्यादा से ज्यादा लोग जब इसे अपनी नियति बना लेते हैं तो कामयाबी के नए आयाम गढ़े जाते हैं। इसलिए हर टीम को किसी एक ऐसे इन्सान की जरूरत होती है, जो टीम के सदस्यों को परेशानियों का मूल कारण बता सके और उनसे निकलने का तरीका भी समझा सके।

एक लीडर को अपनी टीम के हर एक शख्स को यह अहसास दिलाना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति छोटा

या बड़ा नहीं है। अगर एक बार हर टीम सदस्य को यह बात समझ में आ जाए तो फिर कोई भी लक्ष्य मुश्किल नहीं होता। टीम के लोगों के बीच में अच्छा संवाद हो, लोग एक दूसरे को समझें और एक दूसरे की मजबूत और कमजोर कड़ियों से परिचित होने के साथ-साथ उनसे तालमेल बैठाने के तरीके भी जाने। फेलकन फर्नीशर्स के डायरेक्टर एम.एस. खान कहते हैं 'अच्छी टीम वही है, जहां किसी को काम करने के लिए बताना न पड़े, सब को अपनी जिम्मेदारियों का अहसास हो।'

अच्छा काम करने के पीछे बस दो ही चीजों का संतुलन होता है, वह है सही मार्गदर्शन और आत्मविश्वास का होना। इन दोनों में से किसी एक का भी संतुलन गड़बड़ाया नहीं कि वहीं से अव्यवस्था शुरू हो जाती है। अक्सर ऐसा भी होता है कि लाख कोशिशों के बाद भी वही ढाक के तीन पात रह जाते हैं। कारण होता है सही मार्गदर्शन की कमी का होना। असली लीडर का काम यहीं से शुरू होता है। लीडर में उस जज्बे और ऊर्जा की जरूरत होती है, जिससे दूसरे भी अपने भीतर भी ऊर्जा महसूस कर सकें और यह अहसास इतना आनन्ददायक होता है कि इसका मुकाबला दुनिया की किसी दूसरी चीज से नहीं हो सकता।

आपस में अच्छी अंडरस्टेंडिंग : टीम के अच्छे तालमेल के बिना यह नामुमकिन है कि कोई भी वर्कप्लेस पर अच्छी तरह से काम कर सके। किसी भी टीम का अच्छा प्रदर्शन इस बात पर निर्भर करता है कि उस टीम में लोगों का आपस में तालमेल कैसा है। अगर साथ में काम करने वाले लोगों का तालमेल अच्छा होगा तो मन मुटाव, ईगो जैसी चीजें आसपास नहीं फटकेंगी और मुश्किल चीज का भी हल आसानी से निकल आएगा।

वर्कप्लेस पर ही नैतिकता का समावेश : वर्कप्लेस में काम कर रहे लोगों में नैतिकता होनी जरूरी है। अब अगर कोई कर्मचारी अपने काम के दबाव को लेकर परेशान रहता है या फिर अपने सहकर्मियों की उपलब्धि से अगर कोई जलता है या ईर्ष्या करता है तो यह सिर्फ उसके लिए नहीं, बल्कि पूरी टीम के लिए परेशानी का सबब बन सकता है। सबका ध्यान सिर्फ अपने काम की तरफ हो। कोई भी टीम सफल तभी हो सकती है जब उसमें काम करने वाला हर व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ अपने काम पर ध्यान दे। एक अच्छी टीम की पहचान ही यही होती है कि उसका कोई भी कर्मचारी अपना समय बेकार की चीजों के बजाए काम में लगाता है। वे कभी भी अफवाहों पर ध्यान नहीं देते। उनका ध्यान बस केवल अपने काम के प्रति होता है, जिससे वे अपने काम तो अच्छे से कर पाते हैं। साथ ही उनकी टीम भी उनकी इस लगन की वजह से आगे बढ़ पाती है।

प्रजातांत्रिक देश में पुलिस के आचरण को ब्रिटिश शासन के पुलिसकर्मी के आचरण से एकदम भिन्न रखने की आवश्यकता महसूस की गई है। देश में आजादी के बीस साल बाद यह आवश्यकता महसूस हुई कि देश के प्रजातांत्रिक स्वरूप को ध्यान में रखते हुए पूरे देश की पुलिस के लिए कुछ आचरण के सिद्धांतों का निर्माण किया जाना चाहिए जिससे कि पुलिसकर्मियों का व्यवहार, कर्तव्यपरायणता, छवि और गौरव बढ़ाया जा सके।

पुलिस आचरण : प्रत्येक पुलिसकर्मी को अपने अधिकारों, कार्यों और अपनी सीमाओं को ध्यान में रखकर ही कार्य संचालन करना चाहिए। उन्हें किसी भी मामले में अनावश्यक रूप से हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। जितना कानूनी तौर पर उसका दायरा है, उसी दायरे को ध्यान में रखकर कार्य करना चाहिए। न्याय का कार्य न्यायपालिका पर छोड़ना चाहिए स्वयं नहीं करना चाहिए। सजा देने का कार्य न्यायपालिका का है न कि पुलिस का। पुलिस शारीरिक प्रताड़ना न दे। सजा कोर्ट के द्वारा दी जानी है।

पुलिसकर्मी आमतौर पर आचार संहिता को ताक पर रखकर काम करते हैं। गाली देना, मार-पीट करना, डंडा घुमाना, दुर्व्यवहार करना, जनता के व्यक्तियों को

बेइज्जत करना आदि रोजमर्रा की जिंदगी में उनके आचरण के हिस्से बन जाते हैं। कालान्तर में ये उनकी आदतें बन जाती हैं जिससे वह सामान्य पुलिसकर्मी न रहकर अपने आप में एक कारण बन जाता है जो पुलिस की छवि को धूमिल करता है। आज प्रत्येक पुलिसकर्मी को यह अवश्य सोचना चाहिए कि वह ब्रिटिशकाल का नागरिक नहीं है वह स्वतंत्र भारत के प्रजातांत्रिक एवं कल्याणकारी देश का नागरिक है और उसकी नियुक्ति जनसेवक के रूप में हुई है न कि शासक के रूप में। पुलिस बल में कर्तव्य, आज्ञापालन, अनुशासन तथा दूसरों के अधिकारों को ध्यान में रखकर कर्म करना है। अर्थात प्रत्येक पुलिसकर्मी को अपने विभाग द्वारा निर्धारित परिसीमाओं के अंदर रहकर कानून के अनुसार, मानवअधिकारों को ध्यान में रखकर कार्य करना चाहिए। इसका उल्लंघन करने पर आम जनता को तकलीफ होती है। वे नियम जिन पर चलकर पुलिसकर्मी का व्यवहार, चरित्र और व्यक्तित्व बनता है, कालान्तर में उसके आचरण में परिवर्तित हो जाते हैं। अतः पुलिस एवं समाज दोनों को ही अपने-अपने मूल्यों तथा आदर्शों को दृष्टिगत रखते हुए कार्य करना चाहिए। पुलिस व समाज का संबंध एक दूसरे की मदद करना है, एक दूसरे को परेशान करना नहीं।

इसका मतलब यह नहीं कि अगर कभी आपको कुछ ऐसा काम करने के लिए कहा जाए जिसे आप कर तो सकते हैं, लेकिन आपको यह भी पता है कि इसे करने में आपको खासी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा तो आप उस काम को करने से मना कर दें। अगर कभी आपको अपनी टीम के लिए अपनी सहूलियत को दरकिनार करना भी पड़े तो पीछे नहीं हटना चाहिए। ऐसे में आपकी टीम का फायदा तो होगा ही, लेकिन साथ में अगर आप उस अनचाहे काम को पूरा कर देते हैं तो जाहिर है कि आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। सकारात्मक सोच में बढ़ोतरी होगी। आत्मा को संतुष्टि भी मिलेगी। पुलिस व्यवस्था भी अच्छी बनेगी।

संविधान के प्रति निष्ठा : हर पुलिसकर्मी को भारत के संविधान के प्रति पूरी निष्ठा, वफादारी और उत्तरदायित्व निभाना चाहिए। आम जनता के सभी अधिकारों को ध्यान में रखना चाहिए। पुलिस कानून की रक्षक है न कि भक्षक। अतः संविधान को सर्वोपरि मानकर उसमें बताए विधान का आदर एवम् पालन करना चाहिए। संविधान के अनुसार कार्य करने में आप पर कोई अंगुली भी नहीं उठा सकता। आप अपना कर्तव्य सुचारू रूप से निभा सकते हैं। संविधान के प्रति निष्ठा बढ़ेगी। पुलिसकर्मी का भी आत्मिक सम्मान बढ़ेगा तथा आत्म-विश्वास में बढ़ोतरी होगी।

कानून का रक्षक : पुलिसकर्मी कानून का रक्षक होता है और कानून को कार्यान्वित करता है। कानून को तोड़ना, अपने हिसाब से मोड़ना या धारा कम ज्यादा लगाना, पुलिस द्वारा कानून का उल्लंघन करना है। अतः कानून जैसा भी है जिसे व्यवस्थापिका द्वारा बनाया गया है उसकी आवश्यकता और औचित्य पर शक किए गए बगैर, किसी से डरे बिना, उसकी निन्दा किए बिना, निष्पक्षता से, ईमानदारी के साथ दृढ़तापूर्वक लागू करना, हर पुलिसकर्मी का कर्तव्य है। कानून के अनुसार भी कार्य करना पुलिसकर्मी का धर्म है। कानून की रक्षा करते हुए ही उसे कर्तव्य पालन करना चाहिए। पुलिसकर्मी कानून का रक्षक है वह कानून भक्षक नहीं बन सकता।

कार्यकुशलता : "ऋते ज्ञान्नात् न मुक्तिः" - अर्थात बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं, कथन सत्य है। अतः प्रत्येक पुलिसकर्मी को पुलिस कार्य-प्रणाली का पूरा ज्ञान बढ़ाना चाहिए तभी उसकी कार्यकुशलता का टेस्ट है अपराधों की रोकथाम, कानून की व्यवस्था ठीक रखना, अपराधियों को पकड़ना और जनता में विश्वास कायम करना आदि। जनता के साथ सहयोग की भावना रखना, सहानुभूति रखना तथा हमदर्दी के साथ जनता के साथ व्यवहार करना ही अच्छे पुलिसकर्मी का कर्तव्य है। इसी से

उसकी कार्य कुशलता आंकी जाती है।

शक्ति का उचित प्रयोग : पुलिस को अपराधियों को छोड़ना नहीं चाहिए तथा भले मानस को छेड़ना नहीं चाहिए। कानून और व्यवस्था बनाए रखने, अपराधों को रोकने तथा अपराधियों पर अंकुश पाने से तात्पर्य समाज में भय फैलाने से नहीं है। सबसे पहले विवेक, बुद्धि तथा व्यवहार से समझाना-बुझाना चाहिए। अगर नहीं माने तब विवेकानुसार उचित बल प्रयोग किया जा सकता है। इसमें साधारण नागरिकों को किसी भी परेशानी में नहीं डालना चाहिए। नागरिकों को विश्वास में लेकर ही उसके कर्तव्य का पालन करना एक अच्छे पुलिसवालों का कर्तव्य है। पुलिस व्यवस्था को सुदृढ़ करना ही पुलिस वालों का फर्ज है, व्यवस्था के अनुसार ही कार्य करना चाहिए।

पुलिस समाज का अंग है : पुलिस समाज की भलाई एवं रक्षा के लिए बनाई गई है। पुलिस और समाज का चोली और दामन का साथ है। पुलिस समाज की एक गौण संस्था है। अतः यही भावना हर पुलिसकर्मी को कर्तव्य निभाते समय ध्यान में रखनी चाहिए। जनता की मदद करनी चाहिए उनको विश्वास में लेना चाहिए। कर्तव्य का सुचारू रूप से निर्वाह करना ही परम कर्तव्य है। पुलिस व्यवस्था समाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए बनाई गई है।

पुलिस जनता में संबंध : पुलिस और जनता एक-दूसरे के पूरक हैं। दोनों का एक दूसरे के बिना कार्य नहीं चल सकता है। जनता का सहयोग तथा पुलिस व्यवस्था को अपराध की रोकथाम, कानून व व्यवस्था बनाए रखने में आवश्यक है। जनता तथा पुलिस एक साथ रहकर तथा समझकर कार्य करें तब ही अपराधों को रोका जा सकता है और समाज में संचालन ठीक प्रकार से हो सकेगा। पुलिस व्यवस्था में मजबूती आएगी, समाज सुदृढ़ बनेगा।

निष्पक्ष दृष्टिकोण : पुलिसकर्मी को बिना भेदभाव के हर वर्ग के हितों का ध्यान रखना चाहिए। सामाजिक प्रतिष्ठा एवं कानून को ध्यान में रखते हुए जनता की भलाई करनी चाहिए। जात-पात, धर्म, मजहब के आधार पर पुलिसकर्मी को कार्य नहीं करना चाहिए। भारत के नागरिक होने के आधार पर तथा संविधान के अनुसार ही कानून का निर्वाह करना चाहिए। कानूनी व्यवस्था बनाए रखना ही पुलिस का कार्य है।

कर्तव्य-परायणता : पुलिस को अपने कर्तव्य के प्रति सजग होना चाहिए। समर्पण की भावना होनी चाहिए। ट्रेनिंग समाप्ति के समय ली गई शपथ को ध्यान रखना चाहिए। किसी भी संकट से नहीं घबराना चाहिए अपितु धैर्य के साथ कार्य करना चाहिए। भावोवेश में न आएं और जीवनदान देकर भी देश की रक्षा करें। बलिदान की भावना मन में रखें दुखियों की हमेशा मदद करें। महिलाओं का सम्मान करें। बच्चों को दुखी न होने दें। बुजुर्गों की मदद तथा आदर करें। कानून के दायरे में मदद के लिए हमेशा तत्पर रहें।

दुर्व्यवहार न करें : पुलिस को यह समझना जरूरी है कि वे समाज का एक अंग है दूसरे व्यक्ति तुम्हारे मां-बाप और भाई-बहन की तरह ही हैं। अतः शिष्टाचार एवं सद्व्यवहार से बर्ताव करें और कानूनी कार्रवाई पूरी करें। ऐसा कहते सुना है कि मुझे गाली क्यों दीं, जो अपराधी है उस पर एक्शन लो। हरेक आदमी के सम्मान का ध्यान रखना चाहिए। सम्मान दोगे तभी सम्मान को वापस ले सकते हैं थानेदारी करने से इज्जत नहीं मिलती। इंसान के रूप में रहकर ही आत्मीयता प्राप्त कर सकोगे, घर में भी तथा समाज में भी।

कर्तव्य के प्रति निष्ठा : प्रत्येक पुलिसकर्मी को ईमानदारी एवं अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठावान होना चाहिए। कर्तव्य को सही अंजाम देना चाहिए क्योंकि कर्तव्य के प्रति निष्ठा, ईमानदारी एवं विभाग के प्रति स्वामी भक्ति पुलिस छवि का मूल आधार है। पैसा गया तो कुछ नहीं गया। स्वास्थ्य गया तो कुछ गया लेकिन

सम्मान गया तो सब कुछ गया यदि ईमानदारी नहीं है तो समाज में कुछ भी आपके पास नहीं है। समाज तथा परिवार में सम्मान नहीं प्राप्त होगा।

अनुशासन : पुलिसकर्मी को अनुशासन का पालन करना चाहिए। अधिकारियों की आज्ञा का पालन सच्ची निष्ठा से करना चाहिए। पुलिसकर्मी परिवार, समाज तथा पुलिस व्यवस्था में अनुशासन कायम कर सकता है। अनुशासित व्यक्ति ही आदरणीय होता है। व्यवस्था ठीक रहती है तथा समाज अनुशासित होता है।

उपर्युक्त वर्णित आचरण के सिद्धांतों के पालन से अवश्य ही पुलिस की छवि सुधरेगी एवं पुलिस की प्रशंसा होगी। आज समय आ गया है कि पुलिसकर्मी की बहुमुखी प्रतिभा जैसे एक वकील, डाक्टर, इंजीनियर, समाज सुधारक, शिक्षक, मनोवैज्ञानिक, प्रबंधक, अपराधशास्त्री एवं जनसंपर्क अधिकारी वाले व्यक्तित्व की होनी चाहिए। तभी जनता का विश्वास जीता जा सकता है और सहयोग की आशा की जा सकती है।

पुलिसकर्मी को कम से कम निम्न प्रकार से आचरण करना चाहिए :

1. पुलिसकर्मी को निष्पक्षता और बिना भेदभाव के अपने कर्तव्य को निभाना चाहिए।
2. हर वर्ग के व्यक्ति को उचित सम्मान देना चाहिए, मधुर वाणी का प्रयोग करना चाहिए। कहा गया है कि 'कौवा किसका धन हर लेता, कोयल किसको क्या दे देती है, केवल मीठे बोल सुनाकर, सबको वश में कर लेती है।'
3. पुलिसकर्मी को जनता के साथ बहस नहीं करनी चाहिए और उचित रूप में कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। कानून के दायरे में रहकर मददगार होना ही चाहिए।
4. शिष्टता एवं भद्र व्यवहार से जनता का दिल जीतना चाहिए और उनकी मदद करनी चाहिए तथा औरतों और बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए। यदि जनता का कोई व्यक्ति तुम्हारा अपमान करे या क्रोध करे तो ऐसी स्थिति में संयम और आत्मनियंत्रण रखना चाहिए और उसके खिलाफ जो कानूनी कार्रवाई बनती है, अमल में लानी चाहिए।
5. आचरण के सिद्धांतों को अपनाना चाहिए। तन और मन की सफाई रखनी चाहिए। सकारात्मक होना ही चाहिए तभी आचरण सही होगा।
6. समय का सदुपयोग करना चाहिए तथा आधुनिक पुलिस से संबंधित ज्ञान हासिल करना चाहिए। नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए और बदनामी से डरना चाहिए। इज्जत करो और इज्जत करवाओ।
7. मिल-जुलकर काम करने की भावना को बढ़ावा देना चाहिए। टीम भावना रखो।
8. अपराधों की रोकथाम करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। पक्षपात नहीं करना चाहिए।
9. ईमानदारी का प्रदर्शन करना चाहिए और भ्रष्टाचार का विरोध करना चाहिए। भ्रष्टाचारी नहीं होना चाहिए। सत्यता सदा साथ चलती है। झूठ का कोई बजूद नहीं होता।
10. पुलिसकर्मी को समझना चाहिए कि उसका जीवन समाज के लिए समर्पित है और समाज की सेवा करना उसका प्रथम कर्तव्य है। सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में कार्य करना चाहिए। समाज सेवा ही परमोधर्म है सदाचारी होने से कर्तव्य का पालन भी ठीक प्रकार से होता है तथा परिवार भी सदाचार का ही रास्ता ग्रहण करेगा। मन प्रसन्नचित होगा। तनाव दूर रहेगा।

सदाचरण

मनुष्य का चरित्र उसके आचरण से दृष्टिगोचर होता है। आचरण से ही किसी व्यक्ति के चरित्र का पता चलता है। अतः आचरण निर्माण के लिए चरित्र निर्माण परम आवश्यक है क्योंकि लोगों में एक अच्छा पुलिसकर्मी

उसी स्थिति में नैतिक प्रभुत्व प्राप्त कर सकता है जब उसका चरित्र अच्छा हो। पुलिसकर्मी रोज के क्रियाकलापों में बहुत से व्यक्तियों के संपर्क में आता है। अतः उसका आचरण अच्छा, फलदायक एवं भलाई करने वाला होना चाहिए। यदि पुलिसकर्मी स्वयं चरित्रवान है तो स्वाभाविक है कि उसका आचरण भी ठीक होगा। जनता भी उससे प्रभावित होगी तथा सहयोग के लिए तत्पर होगी। अतः पुलिसकर्मी के नैतिक चरित्र का निर्माण होना बहुत जरूरी है। तभी सामाजिक व्यवस्था में पुलिस अपना प्रभाव छोड़ पाएगी अन्यथा नहीं।

एक अच्छे पुलिसकर्मी का चरित्र कैसा होना चाहिए यह विभाग द्वारा निर्धारित आचार संहिता तथा खुद पुलिसकर्मी के अपने गुणों जैसे ईमानदारी, विश्वसनीयता, कर्तव्यपरायणता, जनसेवक की भावना, देश प्रेम, पद-प्रतिष्ठा, सहयोग, आशावादी, गंभीरता, जिम्मेदार, साहसी नेतृत्व, आत्म-विश्वास और साहस आदि हैं। इसके अतिरिक्त एक अच्छे चरित्रवान व्यक्ति को दयालु, विचारशील, शिष्टाचारी, धैर्यवान, खतरे का सामना करने वाला और निष्पक्ष होना चाहिए। एक अच्छा पुलिसकर्मी कभी अपने अपमान के लिए गुस्सा नहीं दिखाता बल्कि धैर्य, शिष्टता और सभ्यता का परिचय देता है। उपेक्षा की भावना एक अच्छे पुलिसकर्मी में नहीं आनी चाहिए बल्कि उसे सहायता के लिए तुरंत तैयार होना चाहिए। कल्याण की भावना पुलिसकर्मी में होनी चाहिए तथा सत्यता के प्रति हमेशा निष्ठावान होना चाहिए। गलत और सही को परखने की शक्ति पुलिसकर्मी में होनी चाहिए ताकि किसी के साथ वह अन्याय न कर सके। सही पर निर्णय लेने की ताकत रखनी चाहिए। कर्तव्यनिष्ठा एवं सत्यता ही कर्तव्य के सच्चे परिचायक हैं।

चरित्र क्या है?

चरित्र व्यक्तिगत गुणों का वह भंडार है जो व्यक्ति के आचरण के उपरांत उजागर होता है। अतः चरित्र के ऊपर वंशानुक्रम तथा सामाजिक, राजनैतिक, प्राकृतिक तथा आर्थिक परिस्थितियों का प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि चरित्र, व्यक्ति के अंदर निहित मानसिक तथा नैतिक दशाओं का भंडार है जो आचरण के बाद एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्नता प्रकट करता है। व्यक्ति के चरित्र पर उसके वंश और वातावरण का असर पड़ता है। वंश से उसके चारित्रिक गुण स्वतः ही उसमें समाहित होते हैं जबकि बाह्य वातावरण से कुछ गुण वह अर्जित करता है। लेकिन आधिकांशतः यह देखा गया है कि व्यक्ति के चरित्र पर सामाजिक, पारिवारिक, आर्थिक, समसामायिक तथा राजनैतिक परिस्थितियों का असर बहुत पड़ता है। यह सब किसी भी व्यक्ति के ग्रहण करने की शक्ति पर निर्भर करता है। वह बचपन में मां-बाप, भाई-बहन परिवार के अन्य सदस्य, पड़ोसी तथा स्कूल में जाने पर अध्यापक, अन्य बच्चे और समाज के गुण और अनुभव से सीखता है। अतः चरित्र निर्माण के लिए अच्छी परिस्थितियों का होना अति आवश्यक है। चरित्रवान व्यक्ति कभी बहकता नहीं। समाज की परिस्थितियों का वह मजबूती के साथ पालन करता है। हमेशा मजबूत बना रहता है।

चरित्र का निर्माण कैसे हो?

चरित्र का निर्माण अच्छे और बुरे दोनों ही गुणों के आधार पर होता है जिस व्यक्ति में सामाजिक मूल्यों और नैतिकता के विपरीत गुणों का समावेश हो जाता है, उसे हम दुश्चरित्र व्यक्ति कहते हैं लेकिन जिस व्यक्ति में अच्छे गुण यानि कि नैतिकता, साहस, विश्वसनीयता, नेतृत्व की भावना, शिष्टाचार, सहानुभूति, बुद्धिमत्ता, विवेक आदि होता है वह चरित्रवान व्यक्ति कहलाता है। ये गुण किसी भी व्यक्ति में अचानक ही नहीं आते अपितु इन्हें व्यक्ति को धीरे-धीरे सिखाया जाता है। इनके निर्माण में माता-पिता का विशेष हाथ होता है क्योंकि जितने गुण बच्चा बचपन में सीख सकता है उतने बड़े होकर नहीं सीख सकता। पारिवारिक सोच के अनुसार ही बच्चे की

सोच विकसित होती है। परिवार में सद्‌गुणों का होना निहायत ही जरूरी है। सकारात्मक से जीवन में अच्छे विचार विकसित होते हैं। तथा व्यक्ति का चरित्र भी सुदृढ़ होता है।

चरित्रवान व्यक्ति के गुण

चरित्रवान व्यक्ति को शिष्टाचार तथा नम्रतापूर्ण व्यवहार करना चाहिए। उसे ईमानदारी निभानी चाहिए तथा धैर्यवान और सहनशील होना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति उसके अंदर कमी बताता है तो उसे गुस्से में न आकर बात को सुनना चाहिए और यदि वास्तव में कभी है, तो उसे दूर करना चाहिए। एक अच्छे चरित्रवान व्यक्ति को बुरी से बुरी परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार करना चाहिए। उसे अपना कर्तव्य दिलोजान से निभाना चाहिए और अपने स्वार्थ की सिद्धी के लिए उच्चाधिकारियों की चापलूसी नहीं करनी चाहिए। एक अच्छे व्यक्ति के न तो बहुत दोस्त होते हैं और न ही दुश्मन। अतः उसके लिए सभी अपने होते हैं।

एक प्रसिद्ध व्यक्ति ने कहा है कि :

यदि हृदय सदाचारिता है तो चरित्र में सौंदर्य होगा
यदि चरित्र में सौंदर्य है तो घर में सामंजस्य होगा
जहां घरों में सामंजस्य है वहां राष्ट्र में सुव्यवस्था होगी
जब राष्ट्र में सुव्यवस्था होगी तब विश्व में शांति होगी।

सभी मूल्य एक दूसरे से संबंधित हैं और उनमें से यदि कुछ को विचलित करने का प्रयास हो तब अन्य मूल्यों का भी निश्चय ही पुष्पिकरण होने लगेगा। साईं बाबा का कहना है कि जब हम सत्य व सदाचरण का पल्लू पकड़े रहते हैं तब हम सर्वोच्च शांति को अनुभव करते हैं। मानव समस्त प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। उसकी श्रेष्ठता का प्रमुख आधार उसका चरित्रवान व सुसंस्कृत होना है। मनुष्य के पास यदि संस्कृति न हो तो वह एक साधारण पशु के अतिरिक्त और कुछ नहीं रह जाएगा। यह संस्कृति ही है जो उसे अन्य प्राणियों या पशुओं से अलग करती है। मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो संस्कृति का निर्माता, संरक्षक और उसे अपनाने वाला होता है। संस्कृति का सही रूप में अर्थ है कि कुविचारों एवं दुष्कर्मों को त्यागना है। पवित्र विचारों एवं कर्मों का पोषण करना है। जीवन में यदि सदाचरण पर अमल न किया जाए तो सम्पूर्ण जीवन अर्थहीन हो जाता है तथा चरित्र का निर्माण नहीं हो पाता है। एक चरित्रवान व्यक्ति को समाज में रहते हुए सामाजिक संबंधों का भी निर्वाह करना पड़ता है इसलिए उसको अपनी नकारात्मक सोच पर नियंत्रण रखना अत्यंत ही जरूरी है। उसको सहनशील भी होना पड़ता है तथा लोगों से दोस्ताना बर्ताव भी करना पड़ता है। वर्तमान समाज में भौतिक सम्पदा तो बढ़ रही है परंतु आदर्श की कमी होती जा रही है। सभी वर्तमान से असंतुष्ट है तथा परेशान नजर आते हैं। मानवीय गुणों व संस्कारों से इंसान दूर हो गया है।

1. **अभिवादन एवं आज्ञाकारिता :** व्यक्ति को अपने चरित्र सुधारने के लिए या चरित्रवान बनने के लिए अभिवादन की भावना को संजोना चाहिए। संस्कृत में लिखा है।

   अभिवादनशीलस्यनित्यम् वृद्धोपशेवनः
   चत्वारितस्यबर्धन्ते आयुर्विद्यायशोबलम्।।

अर्थात प्रतिदिन बुजुर्गों की सेवा करना तथा उनका अभिवादन या आदर सत्कार करने से व्यक्ति की चार चीजें बढ़ती हैं - आयु, विद्या, यश, (कीर्ति) और आत्मबल। अतः व्यक्ति को बिना कोई खर्च किए इन चार चीजों को मुफ्त में बढ़ाना चाहिए। इससे कार्य की सिद्धि तो होती ही है और साथ में मधुर संबंध भी स्थापित होते हैं। अपने से बड़ों की तथा कार्यस्थल पर अधिकारी की आज्ञा का पुलिस व्यवस्था में पालन करना ही आज्ञाकारिता है। इससे व्यवस्था में अनुशासन कायम रहता है।

अनुशासन : चरित्र निर्माण के लिए अनुशासन बहुत महत्वपूर्ण हैं अनुशासन कोई थोपने की वस्तु नहीं है। यह आत्मा से पल्लवित होता है। अनुशासन घर, बाहर, विद्यालय, समाज, खेल, नौकरी आदि सभी में

निहायत जरूरी है। यह सही है कि अनुशासन कठोरता से नहीं थोपा जा सकता, लेकिन यह भी सही है कि : 'भय बिन प्रीत न होई' अर्थात् भय के बिना व्यक्ति अनुशासित नहीं होता। अनुशासन बचपन से सीखा जाता है। अतः बच्चे को शुरू से ही आत्मविश्वास तथा अनुशासन की शिक्षा देनी चाहिए। पुलिस व्यवस्था अनुशासन के बिना चल ही नहीं सकता। अतः प्रत्येक पुलिसकर्मी को अनुशासित होना अति आवश्यक है। सामान्य रूप से पुलिस में अनुशासित होने से तात्पर्य है, पुलिस के आचरण के सिद्धांतों को माना। सद्प्रवृतियों के अनुकूल भाव व विचार विकसित करना ही जीवन में श्रेष्ठ है क्योंकि इनके बगैर व्यक्ति अनुशासन का पालन ठीक से नहीं कर सकता।

वातावरण के प्रति संवेदनशील होना,
संस्कृति, सौन्दर्य व मानवता के प्रति आस्थावान होना, साहित्य के प्रति लगाव पैदा करना,
सामाजिक आदर्शों का पालन करना,
देश प्रेम की भावना जागृत करना
जीवन में हमेशा अनुशासित रहना, व्यक्तित्व में निखार लाता है।

कभी-कभी हम पशुओं से भी निम्न स्तर का जीवन जीते हैं व यह भूल जाते हैं कि मानवीय गुणों से रहित व्यक्ति पतित होता है। सामाजिक संसजन व प्रगति के लिए मानवीय मूल्यों की प्रतिष्ठा करना अत्यंत आवश्यक है। हमें समाज में ही रहना व जीना है। आज के समाज के सदस्यों में भावात्मक समाकलन सुनिश्चित करने व लोगों के मन में इंसानियत के वृक्ष के रोपण की निहायत जरूरत है। वर्तमान समाज में भौतिक सम्पदा तो दिन-प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है परंतु आदर्श मूल्यों अर्थात आदर्श मानवों की कमी दिन-प्रतिदिन होती चली जा रही है। सभी वर्तमान से असंतुष्ट एवं परेशान हैं। हमारा समाज सजग नहीं हो पा रहा है। मानव मूल्यों के प्रति व्यक्ति स्वकेंद्रिय हो गया है तथा उच्चमानवीय गुणों व संस्कारों से वह दूर होता चला जा रहा है। शहरी जीवन खोखला, भीड़युक्त, प्रेमविहीन व आत्मीयता विहीन हो गया है। सभी अपने अस्तित्व के लिए संघर्षरत हैं।

उच्चतम पद व शिक्षा पाने व धार्मिक संस्कारों के बावजूद व्यक्ति सभ्यता के अलावा अनेक प्रकार से एक दूसरे को नीचा दिखाने व उसका जीवन समाप्त करने की कला सीख गया है जोकि मानवजाती के लिए एक गिरावट का संकेत है। इससे मानवजाति बर्बाद हो जाएगी व निम्नता के स्तर से भी नीचे चली जाएगी। मानव समाज का अस्तित्व खतरे में नजर आ रहा है। पुलिस व्यवस्था मानवता को उजागर कर इस भयंकर समस्या से निजात दिला सकती है। पुलिसवालों में मानवीय गुणों का होना अत्यन्त आवश्यक है।

शिक्षा : चरित्र निर्माण के लिए तथा जीवन में सफल होने के लिए शिक्षा हासिल करना परमावश्यक है। कहा गया है 'ऋते ज्ञानात् न मुक्तिः' अर्थात् ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं है। ज्ञान के उपयोग, साधनों, नेतृत्व एवं कौशल की प्राप्ति के द्वारा ही चरित्र का निर्माण होता है। किसी भी चीज का ज्ञान तभी सार्थक है जब उसका इस्तेमाल भी आता हो। पुलिस विभाग में लोगों को कानूनी पहलूओं को सीखना चाहिए तथा दुर्व्यवहार, रिश्वत लेना, काम चोरी अपने चरित्र में से निकाल देनी चाहिए। प्रशिक्षण में आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता और जनता का विश्वास जीतने की क्षमता का विकास करना चाहिए। मूल्य-उन्मुख शिक्षा, चारित्रिक एवं नैतिक विकास की बुनियाद है। पुलिस वालों में विनम्रता, सत्यता, सहिष्णुता, शिष्टता, ईमानदारी, हमदर्दी, भ्रातभाव, प्रेम, सेवाभाव, त्याग तथा राष्ट्र के प्रति प्रेम होना ही शिक्षा के द्वारा सम्भव हो जाता है।

आदतें : व्यक्ति में आदतों का समावेश होता है जो बार-बार सीखने एवं करने से बनती है। अतः जब कोई व्यक्ति बार-बार गंदी आदतें दोहराता है तो वह गंदा बन जाता है। जो अच्छी आदतें दोहराता है वह अच्छा बन

जाता है। अभ्यास करने से अच्छी आदतों का निर्माण हो सकता है।

पुलिस विभाग में गंदी आदतों को बढ़ावा नहीं दिया जाना चाहिए और अच्छी आदतें सिखानी चाहिए। अच्छी आदतों में सामाजिक मूल्यों का पालन, सफाई आज्ञाकारिता, सद्व्यवहार, बड़ों का आदर करना, विनम्रता, शिष्टता, नियमितता, समय का सदुपयोग आदि आता है। अनेक लोगों की आदत होती है कि कब दूसरों को मात दी जाए, अपने लाभ के लिए दूसरों के हित को बलि चढ़ा दिया जाए। उसके बनते काम बिगाड़े जाएं। इस प्रकार की आदत पुलिसवालों को छोड़नी चाहिए।

किसी के साथ अभ्रद भाषा व कठोरता का प्रयोग नहीं करना चाहिए। मानव के साथ मानवता का ही व्यवहार होना चाहिए।

सहनशक्ति और शिष्टाचार : व्यक्ति चरित्र के निर्माण के लिए उसमें सहनशक्ति, शिष्टता और विनम्रता की परम आवश्यकता है। कहा गया है कि कम खाना और गम खाना दोनों ही स्वास्थ्य के लिए ठीक होते हैं। पुलिसकर्मी की तो इनकी हर कदम पर आवश्यकता पड़ती है। खासतौर से उस समय जब पुलिस का और जनता का आपस में टकराव होता है। ऐसी स्थिति में पुलिसकर्मी को अपना धैर्य और नियंत्रण नहीं खोना चाहिए तथा ऐसी स्थिति में शिष्टता और दयालुता दूसरों से संबंध स्थापित करने में सहायक होते हैं। जब सामने वाला गुस्से में हो तो तुमको शांत और ठंडा रहना चाहिए। कहा भी गया है कि गर्म लोहे को गर्म लोहा नहीं काट सकता, ठंडा ही गर्म को काट सकता है।

साहस और आत्मविश्वास : एक चरित्रवान व्यक्ति साहसी और आत्मविश्वासी होता है। प्रतिदिन की जिन्दगी में अच्छाई और बुराई दोनों को ही व्यक्ति का सामना करना पड़ता है। अतः साहस का होना बहुत जरूरी है। बुराई की जड़ से उखाड़ने के लिए साहस की बहुत आवश्यकता है। इसके साथ ही व्यक्ति में आत्मविश्वास के बिना व्यक्ति का व्यक्तित्व अधूरा है। अतः पुलिस कर्मी को साहसी, आत्मविश्वासी और आत्मसम्मान को मानने वाला होना चाहिए। नैतिक मूल्यों का पालन करना चाहिए जैसे दूसरों का ध्यान रखना, करुणा, अच्छा आचरण, दया, अहिंसा, पवित्रता, सहानुभूति, आत्म-संयम, साहसपूर्ण आस्थाएं, ईश्वर का भय तथा संगठित कार्य आदि।

साख एवं विश्वसीनयता : समाज में प्रत्येक व्यक्ति की साख और लोगों का विश्वास होना चाहिए। जिस व्यक्ति की इज्जत नहीं होती उसका समाज में सम्मान नहीं होता।

प्यार और सहानुभूति : चारित्रिक गुणों में विश्व बंधुत्व की भावना का समावेश परमावश्यक है। इस भावना का विकास प्यार तथा सहानुभूति पर निर्भर करता है।

मनुष्य के धर्म यानि की कर्तव्य में दया भाव बहुत आवश्यक है। यदि व्यक्ति में अभिमान है तो पापी कहलाता है। अतः व्यक्ति को प्राण रहते हुए दया को नहीं छोड़ना चाहिए। जब दया जागृत होती है तो सहानुभूति स्वतः ही आ जाएगी और प्यार बारम्बार उमड़-उमड़ कर आएगा। ये बातें पुलिसकर्मी के लिए बहुत जरूरी है। पुलिस कर्मी को कमजोर वर्ग, वृद्ध, अपंग, स्त्री, बच्चे आदि के प्रति अपना प्यार और सहानुभूति केवल प्रकट ही नहीं करना है अपितु वास्तव में इनकी मदद करनी चाहिए। इससे चरित्र का निर्माण होता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि व्यक्ति का चरित्र उसका आइना होता है जो उसके व्यक्तित्व को उजागर करता है। आपका यदि चरित्र अच्छा है तो आप समाज में सम्मान के योग्य होंगे और पूजनीय भी। दुनिया आपको आदर के साथ सुनेगी। अतः अपने चारित्रिक गुणों के आधार पर अच्छे आचरण का अनुसरण करके जनता का सहयोग ले सकते हैं और सही मायनों में देश की सेवा कर सकते हैं तथा पुलिस छवि में भी चार चांद लगा सकते हैं। समाज के प्रत्येक

व्यक्ति में सामाजिक संवेदना होनी चाहिए। सामाजिक संवेदना व्यक्ति के जीवन में निखार लाती है। व्यक्ति परोपकारी बन जाता है। तभी जीवन का होना सार्थक कहलाता है।

प्रजातांत्रिक राज्य में पुलिस की भूमिका

पुलिस का कर्तव्य है लोगों में सुरक्षा की भावना बनाए रखना। जिन बातों से लोगों में असुरक्षा की भावना पैदा होती है, उन्हें रोकना पुलिस का कर्तव्य है। अर्थात हम कह सकते हैं कि पुलिस का काम आंतरिक शांति व व्यवस्था बनाए रखना तथा कानून व नियमों को तोड़ने वालों या उनका पालन न करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई करना है। पुलिस, प्रशासन का अंग है और उनका काम कानून का पालन करवाना है। पुलिस के कर्तव्य पालन के दो पहलू हैं—प्रथम पहलू, ऐसा प्रबंध करना कि कानून का पालन हो और द्वितीय पहलू यदि कानून का उल्लंघन करके कोई झगड़ा, दंगा-फसाद, अन्याय, अत्याचार अथवा चोरी-डकैती करता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो। यह काम बड़ी जिम्मेदारी का है। जिसे देश या राज्य में पुलिस की व्यवस्था जितनी सुदृढ़ तथा अच्छी होती है, उस देश या राज्य में उतनी ही अधिक स्थिरता रहती है।

पुलिस का काम सिद्धांतिक दृष्टि से तो एक जैसा ही होता है, राज्य चाहे लोकतांत्रिक हो या तानाशाही किन्तु व्यवहार में दोनों में पुलिस की भूमिका अलग-अलग होती है। तानाशाही शासन में जनता के कल्याण की नहीं बल्कि अपनी कुर्सी की चिंता तानाशाह करता है। अपनी कुर्सी बचाने हेतु वह पुलिस से नाजायज काम भी कराता है और जनता पुलिस के अत्याचारों का शिकार होती है। अंग्रेजों का शासन जब भारत में था तो अंग्रेज अपनी सरकार के हितों की रक्षा के लिए पुलिस का सहायता लेते थे और इसी कारण उन दिनों पुलिस को जालिम, अत्याचारी और निरंकुश समझा जाता था। लोग पुलिस को अपना रक्षक नहीं बल्कि भक्षक मानते थे। पुलिस जनता पर मनमाने अत्याचार करती थी और जनता की आवाज को कुचल देती थी। उस समय पुलिस की मनोवृत्ति ऐसी थी कि मानो वह अंग्रेजों की समर्थक और जनता की शत्रु हो। इस प्रकार की मनोवृत्ति का पनपना समाज को संगठित करने के बजाए, असंगठित होने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देता है।

आज के प्रजातांत्रिक शासन के अंतर्गत पुलिस जन-सेवा के अनेक कार्य आमतौर पर करती है। यद्यपि उसका सबसे प्रधान कार्य जनता के जान-माल की रक्षा करना और शांति बनाए रखना है। किंतु आज स्थिति यह है कि कठिनाई में फंसा प्रत्येक व्यक्ति तुरंत पुलिस का दरवाजा खटखटाता है। मौके पर पुलिस सरकार की प्रतिनिधि होती है। पुलिस शांति की प्रतीक और शांति भंग करने वालों की शत्रु है। पुलिस-जनसेवा के अनेक कार्य करती है, जैसे ट्रैफिक कंट्रोल करना, भटके या खोए बच्चों को उनके मां-बाप के पास पहुंचाना इत्यादि। अपराध हो जाने पर पुलिस दुर्घटनास्थल पर अन्यत्र भी उसकी जांच करती है। कई बार अपराधी भाग, छिपकर, फरार या लापता हो जाता है, पुलिस उसे ढूंढ निकालती है। चोर, डाकूओं आदि को पकड़ने के लिए पुलिस जासूसी का भी काम करती है। ऐसी परिस्थितियों में और हथियारों से लैस चोर-डाकूओं का सामना करने में पुलिस की जान को खतरा रहता है किंतु पुलिस अपनी जान की परवाह न करके अपने कर्तव्य का पालन करती है।

पुलिस प्रशासन का ऐसा अंग है, जिसका जनता के साथ सीधा और सबसे अधिक संबंध होता है। जनता के प्रत्येक वर्ग का व्यक्ति पुलिस की सेवाओं का उपयोग करता है।

प्रजातांत्रिक राज्य में पुलिस से कुछ अपेक्षाएं तथा उम्मीदें की जाती हैं जैसे :

1. लोगों में सुरक्षा की भावना बनी रहे।

2. लोग पुलिस को रक्षक माने और पुलिस की कार्यकुशलता तथा कर्तव्यनिष्ठा में उनका विश्वास बना रहे।
3. पुलिस यह मानकर चले कि उसका काम कानून का पालन करवाना है, किंतु वह खुद कानून से ऊपर नहीं है।
4. पुलिस न स्वयं अत्याचारी बने और न सरकारी अनाचार-अत्याचार का माध्यम बने।
5. पुलिस समाज-विरोधी और राष्ट्र-विरोधी तत्वों को कुचल कर समाज व राष्ट्र के हितों की रक्षा करे।
6. पुलिस रिश्वत, कालाबाजारी, तस्कर, व्यापार आदि के मामलों में उचित कार्रवाई करके उन्हें दबाए।
7. पुलिस यह मानकर चले कि जनता की शक्ति सरकार की शक्ति से भी बड़ी है और प्रजातंत्र में सरकारें बदला करती हैं। अतः उसे सरकार के इशारे पर गैर-कानूनी काम नहीं करने चाहिए।
8. पुलिस ऐसा व्यवहार करे कि लोग उसे हौवा न समझे, उससे डरे नहीं और उसके पास इस आशा से आएं कि पुलिस कानून के माध्यम से उनकी शिकायतों का समाधान करेगी।
9. प्रजातंत्र में पुलिस की भूमिका जनता को सताने या लूटने की नहीं, बल्कि रक्षा करने, सहायता करने और न्याय दिलाने की होनी चाहिए।
10. यदि पुलिस पर से जनता का विश्वास उठ जाए, तो यह प्रजातंत्र के लिए खतरे की घंटी है।

निष्कर्ष रूप में हम यह कह सकते हैं कि प्रजातंत्र में पुलिस को बड़ी रचनात्मक भूमिका निभानी चाहिए। उसे राजनैतिक प्रभाव से मुक्त होकर मानवीय संबंधों के आधार पर जनता की रक्षा करनी चाहिए तथा अपराधों को रोकना चाहिए।

अच्छे पुलिसकर्मी के गुण

भारत एक प्रजातंत्र देश है। अतः पुलिस भी प्रजातांत्रिक स्वरूप को देखकर होनी चाहिए। वह समय बदल गया है जब ब्रिटिश काल में पुलिस का स्वरूप शासन की मदद करना होती था और जनता पर विभिन्न प्रकार के अत्याचार ढाए जाते थे, निर्दोषों पर लाठी बरसाई जाती थी। आज पुलिस ब्रिटिश काल के रवैए को इख्तियार नहीं कर सकती। आज पुलिस का स्वरूप जनसेवक के रूप में होना चाहिए। स्वयं पुलिस शब्द का यदि विश्लेषण किया जाए तो पाएंगे कि उसमें विशिष्ठ गुणों का समावेश होना है। पुलिस शब्द अंग्रेजों के छः अक्षरों से मिलकर बना है। इन अक्षरों के निम्नलिखित भाव तथा अर्थ है :

P	Polite	विनम्र
O	Obedient	आज्ञाकारी
L	Loyal	निष्ठावान
I	Intelligent	बुद्धिमान
C	Courageous	साहसी
E	Efficient	योग्य

एक अच्छे पुलिस अफसर में उपरोक्त गुणों के अतिरिक्त कुछ अन्य गुण भी होने चाहिए जिससे कि वह अपना कर्तव्यपालन सुचारू रूप से निभा सके। एक अच्छे पुलिसकर्मी में निम्नलिखित गुणों का समावेश होना चाहिए :

1. विनम्रता : विनम्रता पुलिसकर्मी एक ऐसा गुण है जो दूसरे की परेशानियों एवं क्रोध को कम कर सकता है तथा गुस्से में आए व्यक्ति को शांति प्रदान करा सकता है। विनम्रता सही निर्णय देने में मदद करती है। एक अच्छे पुलिसकर्मी में विनम्रता का होना अत्यंत आवश्यक है। क्योंकि वह अक्सर झुंझलाहट में होता है और मानसिक रूप से परेशान रहता है। परिणामस्वरूप जनता भी खुश नहीं रह पाती है। अतः मानसिक संतुलन बनाए रखने एवं जनहित के लिए प्रत्येक पुलिसकर्मी को विनम्रता का गुण अपने चरित्र में समाविष्ट करना चाहिए।

2. आज्ञाकारिता : पुलिस विभाग चूंकि एक

अनुशासित बल है, अतः इसमें पुलिसकर्मी के चरित्र में आज्ञाकारिता वाला गुण निहायत जरूरी तथा आवश्यक है क्योंकि प्रत्येक सरकारी कर्मचारी को आज्ञाकारी होना चाहिए। आज्ञाकारी होने से व्यवस्था में अनुशासन कायम रहता है तथा कानूनों का पालन करने में सहजता मिलती है।

3. निष्ठावान : आज के दौर में निष्ठा का स्तर दिन प्रतिदिन गिरता चला जा रहा है। कोई भी व्यक्ति, देश तथा समाज अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठावान दृष्टिगोचर नहीं होता है। आज तो व्यक्ति अपने स्वार्थों के प्रति तथा धनोपार्जन के प्रति निष्ठावान दृष्टिगोचर होता है। देश और विभाग के विकास हेतु प्रत्येक नागरिक को तथा खासतौर से पुलिसकर्मी को अपने देश, संविधान, कर्तव्य और उच्चाधिकारियों के प्रति निष्ठावान होना चाहिए। एक निष्ठावान व्यक्ति ही अपने कर्तव्य को सही अंजाम दे सकता है। अतः एक अच्छे पुलिसकर्मी को सच्चा देशभक्त और स्वामीभक्त होना चाहिए। सत्य के प्रति हमेशा निष्ठावान रहना चाहिए। असत्य को पनपने नहीं देना चाहिए। पुलिसकर्मी का मन, वचन तथा कर्म में सत्य का सम्मान करना नैतिक कर्तव्य निहित है।

4. बुद्धिमान : यह कथन एवं वाक्य सत्य है कि बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं है। यदि ज्ञान नहीं है तो उसे बुद्धिमान भी नहीं कहा जा सकता। अतः प्रत्येक पुलिसकर्मी को अपने विभाग से संबंधित तथा समाजशास्त्र का ज्ञान हासिल करना चाहिए। यदि ज्ञान की कमी है तो कोई भी पुलिसकर्मी सही निर्णय नहीं ले सकता और न ही कर्तव्यपालन के साथ सही न्याय कर सकता है। किसी भी समस्या का निपटारा बारीकी से विश्लेषण तथा आकलन करके तथा उसे अपनी बुद्धि का सही प्रकार से उपयोग करते हुए करना चाहिए। इसी को पुलिसकर्मी की बुद्धिमानी कहा जाता है। मनुष्य मन को, इच्छाओं तथा विचारों की गठरी मात्र है, यह स्वतंत्रता देता है कि यह उसके कार्यों की दिशा तय करे। बुद्धिमता व्यक्ति को कर्तव्यों तथा उत्तरदायित्वों के बारे में अवगत कराती है। सोच समझकर ही निर्णय होना चाहिए।

5. साहसी : पुलिसकर्मी को साहसी व्यक्ति होना ही चाहिए क्योंकि आए दिन रोजमर्रा की जिंदगी में कोई न कोई कठिन परिस्थिति की घड़ी आती ही रहती है जिसका निदान करने हेतु साहस की आवश्यकता होती है। खतरों से खेलने की आदत एक पुलिसकर्मी को बना लेनी चाहिए तथा अपने साहस का हमेशा समाज के हित में परिचय देते रहना चाहिए। साहसी व्यक्ति सम्माननीय होता है। दूसरों के हितों में हमेशा योग्यदान देते रहना चाहिए। सत्यता तथा साहस व्यक्ति की ताकत को बढ़ाता है जीवन में साहसी व्यक्ति ही आगे बढ़ पाता है।

6. योग्य : पुलिसकर्मी को एक योग्य, शिक्षित तथा सभ्य होना चाहिए। योग्यता का पैमाना, खराब परिस्थितियों में ही सही निर्णय लेकर अपने कर्तव्य का पालन करना है। एक अच्छे पुलिसकर्मी को न केवल मानसिक रूप से योग्य होने की आवश्यकता है। बल्कि शारीरिक और भावनात्मक बुद्धिमत्ता का होना भी जरूरी है तभी वह हर कार्य को सरलतापूर्वक कर सकता है तथा अपनी योग्यता का प्रमाण समाज के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है। कठिन परिस्थितियों में धैर्यपूर्वक कार्य करना तथा उत्तरदायित्व, निभाना ही अच्छे एवं योग्य पुलिसकर्मी का परम धर्म है।

विभागीय एवं कानूनी जानकारी : एक अच्छे पुलिसकर्मी को विभाग के नियम, आदेश, विभाग की आचार संहिता आदि का ज्ञान होना जरूरी है। प्रतिदिन की जिंदगी में प्रत्येक पुलिसकर्मी को कदम-कदम पर कानून के नियमों की आवश्यकता पड़ती है। अतः उसको कानून का अच्छा जानकार होना चाहिए। साथ ही समय के साथ-साथ जो कानून में परिवर्तन आते हैं उनको भी नियमित रूप से सीखते रहना चाहिए। समाज परिवर्तनशील हैं। परिवर्तन तथा बदलाव का जानकारी पुलिसकर्मी को होनी ही चाहिए तभी कर्तव्य का पालन

सही रूप में हो सकता है।

बहुमुखी प्रतिभावान : समसामयिक परिस्थितियों को देखते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि आज पुलिस का काम केवल अपराधों की रोकथाम तथा कानून और व्यवस्था ही स्थापित करना नहीं है बल्कि आज कार्यक्षेत्र बहुत विस्तृत हो गया है। विशिष्ट व्यक्तियों की सुरक्षा, विशिष्ट संस्थानों की सुरक्षा का प्रबंध, विभिन्न प्रदर्शनों में पुलिस व्यवस्था, सामाजिक बुराइयों को दूर करना, जनता के मनोवेगों को समझना, जरूरत पड़ने पर प्राथमिक चिकित्सा उपचार करना लोगों को शिक्षित करना आदि कार्य भी आजकल पुलिस के कार्यों में सम्मिलित होते जा रहे हैं। अतः आज के युग में प्रत्येक पुलिसकर्मी को एक बहुमुखी प्रतिभावान व्यक्ति होना ही चाहिए। पुलिसकर्मी एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में कार्य करता है।

आत्मसंयमी तथा आत्मविश्वासी : जनता की जागरूकता की वजह से लोगों में कानून का ज्ञान बढ़ता जा रहा है जिससे जनता पुलिस के साथ बहस और बराबरी करने लगती है। कभी-कभी तो लोग इतने उत्तेजित हो जाते हैं कि कोई पुलिसकर्मी अपा आत्मसंयम खो बैठते हैं जो वाजिब नहीं है। अतः प्रत्येक पुलिसकर्मी को संयम से काम लेना चाहिए। दूसरे, प्रत्येक पुलिसकर्मी में आत्मविश्वास की भावना कूट-कूटकर भरी होनी चाहिए। यदि आत्मविश्वास नहीं होगा तो वह सही निर्णय नहीं ले सकेगा तथा जनता को सही निर्णय नहीं दे पाएंगे।

निष्पक्षता : प्रत्येक पुलिसकर्मी को अपना कर्तव्य पालन बिना किसी भेदभाव के निष्पक्षतापूर्वक करना चाहिए। उसे अपने दिलों दिमाग में जाति, धर्म, समुदाय आदि का भेदभाव नहीं रखना चाहिए और एक सच्चे जनसेवक के रूप में अपने कर्तव्यपालन का निर्वहन करना चाहिए।

सामाजिकता : प्रत्येक पुलिसकर्मी में सामाजिकता का गुण समाविष्ट होना चाहिए। यह गुण व्यावहारिकता से आता है। अतः प्रत्येक पुलिसकर्मी को व्यवहार कुशल होना चाहिए। आज के युग में सामाजिक और सामुदायिक पुलिस की आवश्यकता है क्योंकि बिना समाज के सहयोग के अपराधों की रोकथाम तथा कानून और व्यवस्था स्थापित करना असंभव तो नहीं लेकिन बहुत मुश्किल है। अतः एक अच्छे पुलिसकर्मी को जनता के साथ सहयोग बनाकर चलना चाहिए।

अनुशासनप्रिय : पुलिस विभाग एक अनुशासनबद्ध विभाग है जिसमें अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जा सकती। यदि अनुशासनहीनता होगी तो कोई भी किसी का कहना नहीं मानेगा और कार्य करना मुश्किल होगा। अतः प्रत्येक पुलिसकर्मी को अनुशासनप्रिय होना चाहिए तथा प्रत्येक कार्य कानून की परिसीमाओं में रहकर करना चाहिए। जनता के अधिकारों का भी ख्याल रखना चाहिए। अनुशासित व्यक्ति का व्यक्तित्व अलग से ही चमकता है। पुलिस व्यवस्था यदि राज्य की अनुशासित रहेगी तभी अच्छे समाज का निर्माण हो पाएगा।

दूरदृष्टा तथा कल्पनाशील : एक अच्छे पुलिसकर्मी को दूरदर्शी तथा कल्पनाशील वाले व्यक्तित्व का व्यक्ति होना चाहिए जिससे कि वह समस्याओं का पहले ही अंदाज लगा सके तथा उन्हें सुलझाने के तरीके सोच सके। साथ ही उस समस्या के परिणामों का भी अनुमान लगा सके तथा सुलझाने के लिए सही निर्णय ले सके। समयानुसार समस्याओं का सामाधान करना ही एक पुलिसकर्मी की दूरदर्शी का परिचायक है। लोभ, लालसा, क्रोध इत्यादि मस्तिष्क को दूषित करते हैं। व्यक्ति को अपने हृदय को शुद्ध बनाना होगा तभी समाज से पुलिस के प्रति घृणा दूर हो पाएगी।

ऐसा करने से सहिष्णुता एवं परानुभूति के आनुंषागिक मूल्यों का हृदय में विकास होता है। मानवता पनपती है। प्रेम का स्रोत सबल है, निर्बल नहीं। पुलिसवाला भौतिक एवं भावनात्मक बाधाओं को पार करने के लिए प्रोत्साहित हो जाता है। प्रेम एक शक्तिशाली ऊर्जा है जिससे दूसरों

का हृदय परिवर्तन किया जा सकता है। प्रेम ही एक ऐसी ऊर्जा है जो व्यक्ति जितना दे सकता है उतना ही जीवन में वापस पा सकता है। मातृभूमि के लिए भक्ति उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी की ईश्वर के प्रति भक्ति। पुलिस वाला यदि ऐसी भावना रखता है तभी वह अच्छा पुलिस वाला कहला सकता है। कल्पनाशील हो सकता है।

योजनाकार तथा कुशलसेवा : एक अच्छे पुलिसकर्मी को एक सफल योजनाकार होना चाहिए। किसी भी समस्या का निदान करने के लिए उसे उचित योजना बना लेनी चाहिए और फिर समस्या का विश्लेषण करके उसके परिणामों के बारे में सोचना चाहिए। दूसरे योजनाबद्ध कार्य को कराने के लिए एक कुशल नेतृत्व की आवश्यकता होती है। जिससे कि वह अपने नेतृत्व में पुलिसकर्मियों को सही दिशा-निर्देश एवं मार्गदर्शन कर सके। यदि एक पुलिसकर्मी सही रूप से नेतृत्व एवं मार्गदर्शन करता है तो निश्चय ही उसे और उसकी टीम को सफल टीम कहा जा सकता है।

आमतौर पर हम कह सकते हैं कि एक अच्छे पुलिसकर्मी अधिकारी को विनम्र, आज्ञाकारी, निष्ठावान, बुद्धिमान, साहसी, योग्य, ईमानदार, कानून का ज्ञाता, अनुशासनप्रिय, आत्मसंयमी, आकर्षक व्यक्तित्व वाला, चुस्त व चालाक, मिलनसार, धैर्यवान, अच्छी योजना वाला, अच्छा नेता, भावुक बुद्धिमान वाला और सतर्क होना चाहिए। तभी एक अच्छे पुलिसकर्मी का सही व्यक्तित्व निखर पाएगा तथा उसके अच्छे व्यक्तित्व का विकास हो सकेगा।

❐

कारागार में बंदियों का मानवाधिकार

विनोद मिश्रा
प्राध्यापक, समाज शास्त्र, शासकीय सी.जी.
महाविद्यालय रायपुर छत्तीसगढ़
डा. प्रिती मिश्रा
रिसर्च एसोसिएट, शोध परियोजना
ई-1/8, पुलिस कालोनी, नेहरू नगर, भोपाल, म.प्र.
462003

मानवाधिकर आधुनिक शब्द अवश्य है किंतु इसका आधार मानव सभ्यता के प्रागैतिहासिक काल से जुड़ा हुआ है। मनुष्य को अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए सदैव से कुछ अधिकार एवं स्वतंत्रता अनिवार्य रही है चाहे वह व्यक्ति समाज में रह रहा हो या फिर वह व्यक्ति किसी अपराध की सजा के रूप में कारागार में रह रहा हो, उसे मानवाधिकारों से किसी भी हाल में अलग नहीं किया जा सकता।

मानव सभ्यता के प्रारंभिक दौर में मानवाधिकारों को समाज में नैतिकता के तौर पर मान्यता प्राप्त थी किंतु समाज में हो रहे विकास के साथ ही इन अधिकारों को कानूनी मान्यता प्रदान की गई। विश्व स्तर पर मानवाधिकारों के हनन की पराकाष्ठा 1930 से 1945 के दौरान मिलती है, जिसमें द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मानवीय हिंसा की घटित घटनाओं की जितनी भी निंदा की जाए, वह कम है। इसी के उपरांत जून 1945 को राष्ट्रसंघ के चार्टर पर हस्ताक्षर कर मानवाधिकरों को अंतर्राष्ट्रीय कानून का रूप दिया गया।

मनुष्य द्वारा कभी-कभी अन्जाने में भी अपराध हो जाता है। कुछ व्यक्ति आदतन अपराध करने के आदी हो जाते हैं, जिसके फलस्वरूप उन्हें कारागार में बंदी बनाकर दंड का प्रावधान रखा जाता है। परंतु कारागार में रह कर उनके साथ अमानवीय व्यवहारों को रोका जा सके एवं उनकी अपराध की मानसिकता को कम कर उन्हें सभ्य नागरिक बनाने का अवसर प्रदान किया जा सके जिससे वह बंदीगृह से बाहर आकर समाज में शांति व सौहाद्र का वातावरण बनाएं, इन्हीं विचारों को ध्यान में रखकर मानवाधिकार का उदय हुआ।

वर्तमान समय में मानवाधिकार न केवल सामान्य व्यक्ति के लिए है, वरन बंदीगृह में भी मानवाधिकार लागू होते हैं। अपराधी होने मात्र पर किसी भी व्यक्ति को मानवाधिकारों से वंचित नहीं रखा जा सकता।

मानवाधिकार का अर्थ :

मानवाधिकार वे न्यूनतम अधिकार हैं, जो प्रत्येक व्यक्ति को प्राप्त होना अनिवार्य है क्योंकि वह मानव परिवार का सदस्य है। मानवाधिकारों की धारणा मानव गरिमा से जुड़ी है, अतः जो अधिकार मानव गरिमा को बनाए रखने के लिए आवश्यक होते हैं उन्हें मानवाधिकार कहा जा सकता है।

परिभाषा :

मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अनुसार स्वतंत्रता समानता गरिमा का अधिकार ही मानवाधिकार है।

(मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम-1993)

उद्देश्य :

प्रस्तुत शोध-पत्र बंदीगृहों पर लागू होने वाले मानवाधिकारों पर प्रकाश डालने की दृष्टि से लिखा गया है जो निम्न उद्देश्यों को पूरा करता है :

1. कारागारों में मानवाधिकारों के महत्व का वर्णन करना।

2. बंदियों के विभिन्न मानवाधिकारों का वर्णन करना।

3. कारागार में मानवाधिकारों के उल्लंघन के प्रकरणों की व्याख्या करना।

4. कारागार में मानवाधिकार उल्लंघन को न्यूनतम करने हेतु विभिन्न उपाय।

अध्ययन पद्धति :

उपरोक्त लिखित उद्देश्य द्वैतीयक स्रोतों के माध्यम से विश्लेषित किए जाएंगे, यह द्वैतीयक स्रोत व्यापक इंटरनेट सर्वे, विभिन्न जेलों एवं क्राईम रिकार्ड ब्यूरो नई-दिल्ली से लिए गए हैं।

1. कारागार में मानवाधिकार का महत्व : एक व्यक्ति कारागार अपराध के फलस्वरूप दंड के रूप में भेजा जाता है, न कि कारागार में दंड देने के लिए। उस व्यक्ति का अपराध देखकर न्यायाधीश कारागार की अवधि के रूप में दंड तय कर देते हैं, इसके पश्चात किसी भी प्रकार के दंड की आवश्यकता नहीं रह जाती। उल्लेखनीय है कि आधुनिक युग में उपचारात्मक एवं सुधारात्मक विचारधारा के माध्यम से अपराधियों की मानसिकता को बदला जाता है।

वास्तव में देखा जाए तो जहां एक ओर कारागार अपराधियों को सुधारने के बजाए और अधिक संगीन अपराधों की ओर धकेल देते हैं, वहीं दूसरी ओर कारागार में अपराधी अपने अपराध की सजा तो प्राप्त करता ही है साथ ही विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण एवं पुनर्वास कार्यक्रमों के द्वारा उसके अपराध की प्रवृत्ति को समाप्त किया जाता है। इस प्रकार कारागार से बाहर निकलकर वह व्यक्ति कारागार में प्राप्त प्रशिक्षणों के द्वारा अपने परिवार के दायित्वों का निर्वाह सुगमता से कर सकता है। इसलिए कारागार में मानवाधिकारों का अधिक महत्व बढ़ जाता है।

विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविदाएं :

I. सिविल और राजनैतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविदा : मार्च 1976 में सिविल और राजनैतिक अधिकारों की अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविदा को लागू किया गया है। अनुच्छेद 6, 7, 9, 11, 14 एवं 15 की प्रसंविदा में जीने का अधिकार, यातना का निषेध, मनमानी गिरफ्तारी का निषेध, संविदा बाध्यताओं को पूरा करने में असमर्थ होने पर कारावास का निषेध, उचित वितरण का अधिकार और पूर्वलक्षी दंडनीय उपायों का निषेध। यह प्रसंविय 100 से अधिक राष्ट्रों को जो इसके पक्षकार हैं, के लिए कानूनी तौर पर बाध्यकारी दस्तावेज है जिसका कारागार अधिकारियों सहित सरकार एवं उसकी संस्थाओं द्वारा सम्मान किया जाना चाहिए।

II. आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविदा : अंतराष्ट्रीय प्रसंविदा जनवरी 1976 में प्रवृत्त हुई इसके तीन मुख्य कारण हैं :

(क) कानून हवा में लागू नहीं हो जाता। कारागार अधिकारियों को उन लोगो की मौजूदा आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखकर अपने कर्तव्यों को पूरा करना चाहिए जिनकी सेवा व सुरक्षा की उन्होंने शपथ ली है।

(ख) यह धारणा गलत है कि आर्थिक एवं सामाजिक अधिकार एक सेट के रूप में कारागार अधिकारियों के रोजमर्रा के कार्यों से सुसंगत नहीं है। प्रत्यक्षतः सुसंगत आर्थिक अधिकारों के स्पष्ट उदाहरण—गैर' विभेदी एवं मौलिक श्रम मानक।

(ग) दो प्रसंविदाओं के अधीन संरक्षित अधिकारों के दोनों सेटों को समान और एक दूसरे पर निर्भर होने के रूप में सार्वभौमिक रूप से मान्यता प्राप्त है।

इस प्रकार उल्लेखनीय है कि आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकारों की अंतराष्ट्रीय प्रसंविदा में काम के अधिकार, रोजगार की उचित शर्त, श्रमिक संघों के संगठित करने, सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक बीमा, परिवारों और बच्चों का संरक्षण, उपयुक्त जीवन स्तर, स्वास्थ्य शिक्षा और सांस्कृतिक जीवन में भाग लेने के अधिकारों सहित अधिकारों के विस्तृत रेंज को संरक्षित करती है।

III. सिविल और राजनैतिक अधिकारों की अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविदा का प्रथम वैकल्पिक प्रोटोकॉल—सिविल एवं राजनैतिक अधिकारों की अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविदा

का प्रथम वैकल्पिक प्रोटोकॉल प्रसंविदा के साथ ही लागू हुआ है। इस अतिरिक्त दस्तावेज से मानवाधिकार संत प्रसंविदा में निर्दिष्ट किसी अधिकार के हनन से प्रभावित होने का दावा करने वाले व्यक्तियों से पत्र प्राप्त करने एवं उस पर विचार करने में समर्थ है। ऐसी शिकायतों पर विचार करते समय समिति ने एक महत्वपूर्ण विधिशास्त्र विकसित किया है जो कारागार अधिकारियों को काम के लिए प्रसंविदा की विवक्षाओं के निर्वाचन में उपयोगी मार्गदर्शन करता है।

IV. सिविल और राजनैतिक अधिकारों की अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविदा का द्वितीय वैकल्पिक प्रोटोकॉल- अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविदा में मृत्युदण्ड निषेध है, फिर भी इसके उपयोग पर कोई बड़ी परिसीमा नहीं है। मृत्युदण्ड को पूरी तरह समाप्त करने के पक्ष में निरंतर बढ़ रहे विश्व-जनमत को देखते हुए जनरल एसेम्बली ने 1989 में प्रसंविदा के द्वितीय प्रोटोकॉल को अपनाया, जिसका उद्देश्य मृत्युदंड को समाप्त करना था जिसे पक्षकार राष्ट्रों के लिए मृत्युदण्ड प्रतिबंधित किया गया था।

V. जनसंहार संबंधी कन्वेंशन—जनसंहार संबंधी अपराध निवारण और दंड पर हुई कन्वेंशन जनवरी 1951 में प्रवृत्त हुई। मानव-अधिकारों का घोर अतिक्रमण होने पर यह संयुक्त राष्ट्रसंघ की तरह विश्व समुदाय द्वारा महसूस किए गए सार्वभौमिक संत्रास और अत्याचार का परिणाम था जिसमें द्वितीय विश्व युद्ध का विशेष रूप से वर्णन किया गया है। इस सम्मेलन में इस बात की पुष्टि की गई कि अंतर्राष्ट्रीय विधि के अधीन जनसंहार एक अपराध है और इनका उद्देश्य इस अत्याचार को समाप्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्राप्त करना है। इसमें विशेष रूप से उन कुकृत्यों का उल्लेख किया गया जो समस्त अथवा किसी हिस्से, राष्ट्रीय, मानव-जातीय, जातीय अथवा धार्मिक समूह को मार कर गंभीर शारीरिक और मानसिक नुकसान पहुंचाकर जानबूझ कर जीवन की सामूहिक परिस्थितियों के अंदर घुसपैठ करना, ताकि उसके विनाश की योजना बन सके। समूह में ऐसे उपायों को थोपना जिनका आशय समूह के भीतर जन्म रोकना हो और एक समूह के बच्चों को दूसरे समूह में बलात् हस्तांतरण करके उन्हें पूर्णतः अथवा आंशिक रूप से समाप्त करने की मंशा से किए गए हों।

VI. महिलाओं के साथ भेद-भाव समाप्त करने संबंधी कन्वेंशन- महिलाओं के साथ भेद-भाव समाप्त करने संबंधी कन्वेंशन 1981 में प्रवृत्त हो जाने के पश्चात महिलाओं के साथ किए जाने वाले सभी प्रकार के भेद-भाव को खत्म करने संबंधी कन्वेंशन राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं सिविल क्षेत्र में महिलाओं के प्रति किए जाने वाले भेदभाव का पता लगाने वाला प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय दस्तावेज बन गया। इसमें पक्षकार राष्ट्रों से यह अपेक्षा की गई थी कि वे महिलाओं के प्रति भेद-भाव खत्म करने के लिए उन सभी क्षेत्रों में विशेष कार्रवाई करें और उन्हें पुरुषों के बराबर मानवाधिकार और मौलिक स्वतंत्रता का उपयोग करने की अनुमति प्रदान करें।

VII. बाल अपराध संबंधी कन्वेंशन- बाल अधिकार संबंधी कन्वेंशन सितंबर 1999 में प्रवृत्त हुआ और अब इसमें 100 से भी अधिक राष्ट्र पक्षकार हैं। इसमें किशोर अपराधियों को उनकी विशेष कमजोरी एवं उनके सुधार में समाज के हित को देखते हुए कतिपय विशेष अधिकार प्रदान किए गए हैं। विशेषकर यह बाल अपराधियों को उम्रकैद पर प्रतिबंध लगाती है तथा मृत्युदंड एवं यातनाओं से उन्हें संरक्षण प्रदान करती है। बच्चों के लिए कारावास केवल अंतिम उपाय होना चाहिए और यदि कारावास दिया जाता है तो कम से कम समय के लिए होना चाहिए। प्रत्येक मामले में इस सम्मेलन में अपेक्षा की गई है कि कानून तोड़ने वाले किशोरों से मानवीयता और मानव प्रतिष्ठा के अनुसार बर्ताव किया जाना चाहिए और ऐसा तरीका अपनाया जाए जिसमें उसकी बाल आयु और उसके सुधार की संभावना को ध्यान में रखा

गया हो।

2. बंदियों के विभिन्न मानवाधिकार :

1. गरिमा का अधिकार
2. स्वास्थ्य का अधिकार
3. सुरक्षा का अधिकार
4. कारावास की अवधि का सर्वोत्तम उपयोग का अधिकार
5. बाहरी जगत से संपर्क का अधिकार
6. शिकायत का अधिकार
7. विशेष श्रेणियों के बंदी

1. गरिमा का अधिकार : उन पुरूषों एवं महिलाओं के लिए रेखांकित किया गया है जो किसी विशेष कारण से उन्हें अपनी स्वतंत्रता से वंचित कर कारावास में रखा गया है। उनके साथ कारावास में हर समय मानवीयता एवं गरिमापूर्ण व्यवहार किया जाना उनका अधिकार है। मानवगरिमा के अंतर्गत आवास, स्वास्थ्य, कपड़े, बिस्तर, भोजन और पेय एवं व्यायाम आदि बुनियादी आवश्यकताओं की व्यवस्था प्राप्त होना चाहिए।

भारत के बंदीग्रहों में बंदियों के लिए भोजन, वस्त्र बिस्तर की पर्याप्त व्यवस्था है किन्तु आवास की पर्याप्त व्यवस्था न होने से बंदियों के अधिकार का हनन किया जाता है। (जेल सांख्यिकी-2004)

2. स्वास्थ्य का अधिकार : गरिमा की ही तरह उचित स्वास्थ्य की रक्षा का मानवाधिकार भी बंदियों का एक प्रमुख अधिकार है। पर्याप्त आवास न होने की वजह से भारतीय जेलों में बंदियों में विभिन्न प्रकार की बीमारियां हो रही हैं। विशेषतः भारतीय जेलों में बंदी टी.बी. का शिकार हो रहे हैं। (श्रीवास्तव दीप्ति-2007)

इसके अतिरिक्त चिकित्सकों, पैरामेडिकल स्टाफ की कमी से बंदियों की अस्वाभाविक मृत्यु हो रही है। (श्रीवास्तव दीप्ति-2007)

3. सुरक्षा का अधिकार : भारतीय कारागारों में बंदियों की सुरक्षा हेतु पर्याप्त जेल अधिकारियों व कर्मचारियों की कमी एवं पर्याप्त आधुनिक शस्त्रों व सुरक्षा संबंधी साधनों के अभाव में कई बार यह कर्मचारी स्वयं असुरक्षित हो जाते हैं। बंदीगृहों की दीवारें अतिप्राचीन होने के कारण दीवारों के गिरने की आशंका तक बनी रहती है। कारागारों में अपराधियों की अलग-अलग श्रेणियां बनाकर खतरनाक बंदियों को अलग रखने की व्यवस्था का अभाव है। जिससे साधारण अपराधियों में असुरक्षा की भावना बनी रहती है। समाज में किसी भी व्यक्ति को सुरक्षा के मानवाधिकारों का हनन न हो चाहे वह व्यक्ति कारागार में हो या समाज के अंदर।

4. कारावास की अवधि का सर्वोत्तम उपयोग का अधिकार : बंदीगृहों की शासन व्यवस्था का उद्देश्य है कि बंदी जितने भी समय कारागार में रहे उन्हें ऐसे कार्यों का प्रशिक्षण प्रदान कराया जाए जो उनके कारागार से रिहा होने पर उन्हें स्वावलंबी बनाकर विधिपालक जीवन व्यतीत करने में सहायता कर सके।

बंदियों को व्यक्तिगत विकास का पूर्ण अवसर प्रदान किया जाना चाहिए एवं धार्मिक सांस्कृतिक बौद्धिक विकास संबंधी कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना चाहिए जो उन्हें पुनर्वास में सहायता कर सके। विशेष तौर पर उन्हें व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए जिससे रिहाई के पश्चात हुए सामान्य एवं सम्मानजनक जीवनयापन कर सकें।

5. बाहरी जगत से संपर्क का अधिकार : कारागारों में बंदी कैदियों का बाह्य जगत से संपर्क हेतु कारागार में समुचित व्यवस्था किया जाना आवश्यक है जिनमें बंदियों को उनके परिवार से मुलाकात, समय-समय पर अवकाश व सर्शत रिहाई का दिया जाना, पत्र व्यवहार की व्यवस्था, समाचार पत्र/पत्रिकाओं की व्यवस्था, पुस्तकों की व्यवस्था बंदियों को उपलब्ध कराना अनिवार्य है ताकि अपने आप को वे बाहरी दुनिया से जोड़े रख सकें एवं स्वयं को वे दुनिया से अलग न समझें।

6. शिकायत का अधिकार : कारागार में प्रत्येक

बंदी को यह अधिकार है कि यदि उसके साथ किए जा रहे व्यवहार से वह बंदी असंतुष्ट है तो स्वयं या परिवार या फिर अपने वकील के माध्यम से हो रहे व्यवहार की शिकायत लिखित एवं अनुरोधात्मक तरीके से कर सकता है एवं अपने प्रति हो रहे व्यवहार से मुक्ति पा सकता है।

7. विशेष श्रेणियों के बंदी : कैदियों की कुछ विशेष श्रेणियां होती हैं जिनमें लिंग, आयु, जाति, संस्कृति अथवा कानूनी तरीके से विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। बंदीगृह में महिलाओं, किशोर एवं मृत्युदंड की सजा प्राप्त बंदी विशेष श्रेणियों में आते हैं। ऐसी महिला बंदी जो गर्भवती हो, स्तनपान कराती हो एवं प्रसवकाल में हो, उन्हें उचित स्वास्थ्य सुविधा एवं एकांत की व्यवस्था उपलब्ध कराना उनका अधिकार होता है। इसी प्रकार ऐसे किशोर जो बंदीगृह में हों उन्हें किशोरबंदीगृह में रखा जाए एवं उन्हें शिक्षा से दूर न किया जाए एवं उनके साथ सौहाद्रपूर्ण व्यवहार उनका अधिकार है। इसी प्रकार ऐसे बंदी जिन्हें मृत्युदंड दिया गया है उन्हें अन्य बंदियों से अलग रखकर जेल कर्मचारियों को विशेष सुविधाएं एवं परिवार के साथ मुलाकात आदि का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए।

3. कारागार में मानवाधिकारों के उल्लंघन की व्याख्या : यद्यपि कारागार सुधारालय हैं लेकिन वर्तमान में भारतीय बंदीगृहों में होने वाली मानवाधिकार उल्लंघन की घटनाएं मानवता को हिला रही हैं। तालिका क्रमांक-1 बंदीगृहों में मानवाधिकारों के उल्लंघन के प्रकरणों की संख्या को दर्शाती है :

4. कारागार में मानवाधिकार उल्लंघन को न्यूनतम करने के विभिन्न उपाय : कारागार में उपरोक्त वर्णन से

तालिका क्रमांक—1

क्र.सं.	राज्य / संघ राज्य	प्राप्त शिकायतें	निपटाई गई की सं.	लंबित शिकायतों शिकायतों की सं.	कुल प्राप्त शिकायतों की सं. शिकायतों का प्रतिशत	प्राप्त शिकायतों में निपटाई गई	निपटाई गई की सं.	लंबित शिकायतें शिकायतों की सं.	कुल प्राप्त शिकायतों की सं. में निपटाई गई शिकायतों का सं.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	आंध्र प्रदेश	9	8	1	88.9	15	14	1	93.3
2	अरूणांचल	-	-	-	-	-	-	-	-
3	असम	5	5	0	100.0	10	10	0	100.0
4	बिहार	54	21	33	38.9	0	0	0	0.0
5	छत्तीसगढ़	1	1	0	100.0	0	0	0	0.0
6	गोआ	0	0	0	0.0	0	0	0	0.0
7	गुजरात	0	0	0	0.0	0	0	0	0.0
8	हरिणाया	0	0	0	0.0	0	0	0	0.0
9	हिमाचल प्रदेश	0	0	0	0.0	1	1	0	100.0
10	जम्मू एवं कश्मीर	0	0	0	0.0	0	0	0	0.0
11	झारखंड	1	1	0	100.0	0	0	0	0.0
12	कर्नाटक	66	58	8	87.9	0	0	0	0.0
13	केरल	0	0	0	0.0	2	2	0	100.0
14	मध्य प्रदेश	3	3	0	100.0	26	24	2	92.3
15	महाराष्ट्र	2	2	0	100.0	0	0	0	0.0
16	मणिपुर	0	0	00	0.0	0	0	0	0.0
17	मेघालय	0	0	0	0.0	0	0	0	0.0
18	मिजोरम	0	0	0	0.0	0	0	0	0.0
19	नागालैंड	0	0	0	0.0	0	0	0	0.0
20	उड़ीसा	10	10	0	100.0	22	22	0	100.0
21	पंजाब	106	15	91	14.0	192	81	111	42.2
22	राजस्थान	28	20	8	71.4	41	60	11	73.3
23	सिक्किम	0	0	0	0.0	0	0	0	0.0
24	तमिलनाडु	40	40	0	100.0	121	121	0	100.0
25	त्रिपुरा	0	0	0	0.0	0	0	0	0.0
26	उत्तरप्रदेश	4	4	0	100.0	0	0	0	0.0
27	उत्तरांचल	0	0	0	0.0	0	0	0	0.0
28	पं. बंगाल	4	4	0	100.0	3	3	0	100.0
	कुल राज्य	333	192	141	57.7	433	308	125	71.0S

यह परिलक्षित होता है कि अनेकानेक योजनाओं के पश्चात भी बंदीगृहों में मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है जिसे न्यूनतम करने हेतु प्रस्तुत शोध-पत्र में निम्न लिखित सुझाव बताए गए हैं :

1. बंदियों के लिए पर्याप्त आवास की व्यवस्था होना।

2. भारतीय जेलों में चिकित्सकों का अभाव है इसे दूर करना अति आवश्यक है तभी बंदियों को स्वास्थ्य संबंधी मानवाधिकार मिल सकेगा।

3. जेल में निरुद्ध महिला बंदियों के साथ रह रहे छः वर्ष से कम उम्र के बच्चों का पर्याप्त समाजीकरण हो।

4. साधारण अपराध से निरुद्ध महिला बंदियों के लिए बंदीगृह के स्थान पर वैकल्पिक व्यवस्था होना चाहिए।

5. बंदियों के प्रभावशाली पुनर्वास के लिए कारावास के दौरान व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाए।

6. बंदियों को मनोवैज्ञानिक परामर्श देने की व्यवस्था की जानी चाहिए।

7. मानवाधिकारों के विषय में बंदियों में जागरूकता का प्रचार-प्रसार किया जाए।

उपरोक्त सुझावों के माध्यम से बंदीगृहों में मानवाधिकारों के उल्लंघन को कम किया जा सकता है। मानवाधिकार उल्लंघन की घटनाएं कम होने पर ही बंदियों की सुधारात्मक प्रक्रिया पूर्ण हो सकती है, सुधारात्मक प्रक्रिया के माध्यम से ही कारागार के मूल उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हैं।

संदर्भ

1. श्रीवास्तव, दीप्ति	2005	डेथ इन ज्यूडीशियल कस्टडी, शोध परियोजना गृह मंत्रालय भारत सरकार नई-दिल्ली
2. श्रीवास्वत, दीप्ति	2007	प्राबलम ऑफ ट्यूबर कोलोसिस शोधपत्र इंडियन पुलिस जरनल पु. अनु. वि. ब्यूरो, भारत सरकार
3. प्रिजन सांख्यिकी	2004	रा. अ. रि. ब्यूरो, भारत सरकार नई-दिल्ली

4. कारागारों में मानवाधिकार, कारागार स्टाफ के लिए प्रशिक्षण सामग्री।

5. संयुक्तराष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय।

6. आल इंडिया जेल रिफार्म कमेटी।

❒

व्यवसाय के प्रति कर्तव्य निष्ठा एवं पुलिस : एक समाजशास्त्रीय विश्लेषण

प्रो. ए.एल. श्रीवास्तव

पूर्व विभागाध्यक्ष, समाजशास्त्र विभाग, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी

किसी समाज में किसी विशेषकृत कार्य को क्रिया में परिवर्तित करना ही व्यवसाय है। व्यक्ति अपने जीवन की आवश्यकता को पूर्ण करने के उद्देश्य से कुछ आर्थिक क्रियाएं प्रतिपादित करता है जिसका संबंध व्यक्ति के व्यवसाय से होता है। व्यवसाय से व्यक्ति को आय प्राप्त होती है जो उसके जीवन के भौतिक आवश्यकताओं को संतुष्टि प्रदान करने में सहायक होता है। कुछ इतिहासकारों का तो यह भी विश्वास है कि आधुनिक सभ्यता श्रम-शक्ति के विभाजन के आधार पर निर्मित हुई है और यह श्रम विभाजन व्यवसायों के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका प्रतिपादित करता है। व्यवसाय के माध्यम से व्यक्ति समाज में अपना जीवनयापन करता है तथा जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए समाज को अपने लक्ष्य की प्राप्ति में प्रत्येक संभव सहयोग प्रदान करता है। व्यवसाय से संबंधित व्यक्ति की भूमिका उसके सामाजिक पद से जुड़ी होती है जिसके आधार पर व्यक्ति समाज में एक-दूसरे से प्रकार्यात्मक संबंध बनाए रखता है।

व्यवसाय व्यक्ति के जीवन के विविध पक्षों को निर्धारित करने में अपनी रचनात्मक भूमिका प्रतिपादित करता है। व्यक्ति की सामाजिक वर्ग स्थिति मुख्य रूप से उसके व्यवसाय से संबंधित होती है। समसामयिक परिवेश में आर्थिक साधन व्यक्ति के जीविकोपार्जन के लिए ही महत्वपूर्ण नहीं है अपितु उसे उन वस्तुओं को भी प्राप्त करने में सहायता प्रदान करती है जिसे उच्च सामाजिक मूल्यों का प्रतीक कहते हैं। व्यक्ति के जागृत क्षणों का अधिकांश भाग उसके व्यावसायिक जीवन एवं उसके क्रियान्वित कार्यों में व्यक्त होता है। साधारणतया यह कहा जाता है कि व्यक्ति का व्यवसाय उसके संपूर्ण व्यक्तित्व, मूल्यों, विचारों, व्यवहारों के प्रतिमानों, अन्तःक्रियाओं के स्वरूपों तथा सामूहिक जीवन को प्रभावित करता है। व्यक्ति का व्यवसाय उसकी आर्थिक क्षमता, समाज में उसकी परिस्थिति एवं क्रय शक्ति को निर्धारित करता है।

व्यक्ति जब अपने व्यवसाय का चयन करने का प्रयास करता है तो उसके पृष्ठभूमि में विविध प्रकार के कारक उत्तरदायी होते हैं। यद्यपि व्यक्ति को विषम परिस्थितियों में अपनी इच्छा के अनुरूप व्यवसाय प्राप्त नहीं होता तथापि वह अपनी आत्म संतुष्टि के लिए अपने मनोनुकूल व्यवसाय प्राप्त करने का सार्थक प्रयास करता है। इस प्रयास के अंतराल में कुछ अभिप्रेरकीय कारक उत्तरदायी होते हैं। ये कारक व्यवसाय की प्रकृति एवं व्यवसाय से संबंधित व्यक्ति के सामाजिक-मनोवैज्ञानिक परिस्थितियों से संबंधित होता है। व्यावसायिक स्तर पर आर्थिक लाभ, सुरक्षा, उच्च सामाजिक प्रतिष्ठा एवं व्यवसाय से संबंधित शक्ति एवं सत्ता आदि ऐसे महत्वपूर्ण कारक हैं जिसके प्रभाव के परिणामस्वरूप व्यक्ति किसी व्यवसाय का चयन करता है।

सामाजिक-मनोवैज्ञानिक स्तर पर अभिरुचि, व्यक्ति की कार्य कुशलता एवं कर्तव्य निष्ठा, परिवार एवं उसकी सामाजिक पृष्ठभूमि तथा व्यक्ति विशेष की आकांक्षा का स्तर आदि ऐसे महत्वपूर्ण अभिप्रेरकीय कारक हैं जिसके कारण व्यक्ति किसी व्यवसाय विशेष को चयन करने का प्रयास करता है।

साधारणतया पुलिस व्यवसाय समाज के अंतर्गत सेवा

भावना एवं कर्तव्य निष्ठा का ज्वलंत प्रतीक माना जाता है। सामान्य जन इस बात की अपेक्षा करते हैं कि पुलिस समाज में शोषकों द्वारा उत्पीड़ित व्यक्ति की प्रत्येक संभव सहायता प्रदान करे। समाज के कर्णधार, प्रणेता एवं शीर्ष नेता पुलिस के विभिन्न पदक्रमों के अधिकारियों को इस बात की दीक्षा देते हैं कि उन्हें अनुचित दबाव के समक्ष समर्पण नहीं करना चाहिए वरन् ऐसे लोगों के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करते हुए अपने कर्तव्य-परायणता का परिचय देना चाहिए। परंतु ये बातें सैद्धांतिक धरातल पर अनुकरणीय हो सकती है। परंतु व्यावहारिक धरातल पर इस प्रकार के नसीहतों का कोई महत्व नहीं होता। पुलिस को अपनी भूमिका प्रतिपादन के साथ ही साथ विविध प्रकार के ऐसे संवेदनशील अनुमोदनों के प्रति झुकना पड़ता है जिसका कोई प्रत्युत्तर नहीं है। कभी-कभी वह कर्तव्य के ऐसे चौराहे पर रहता है जहां से स्पष्ट रास्ता नहीं झलकता है।

मनोवैज्ञानिक धरातल पर 'पुलिस' से ऐसी अपेक्षा की जाती है कि वह अपने चित्रकल्प में पर्याप्त परिमार्जन एवं सुधार लाने का दृढ़ प्रयास करे। साधारणतया यह कहा जाता है कि सामान्य व्यक्ति न्याय पाने की प्रक्रिया में पुलिस के पास आने से बचता है। लोगों में यह धारणा व्याप्त है कि पुलिस सामान्य जन को अपेक्षित मदद पहुंचाने की अपेक्षा उसे फंसाने का ताना-बाना बुनने लगती है। ऐसी स्थिति में क्या पुलिस का 'स्वस्थ चित्रकल्प' बन सकता है? यह स्वयं में एक गंभीर प्रश्न है। इस प्रश्न का उत्तर संभव है यदि पुलिस पारदर्शी एवं ईमानदार कार्यशैली को अपनाते हुए सामान्यजनों के मध्य अपना चित्रकल्प 'एक मित्र' के रूप में प्रस्तुत करे। 'एक मित्र' का चित्रकल्प छद्मवेशीय होने पर और भी भयावह हो सकता है, अतः पुलिसकर्मियों को देश की सांस्कृतिक विविधता एवं सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूक प्रहरी के रूप में कार्यरत होने का प्रयास करना चाहिए।

यह कहना अतिश्योक्ति नहीं होगा कि पुलिस अपने कर्तव्यनिष्ठा का परिचय देते हुए अपराधियों पर शिकंजा कस सकती है। कई ऐसे उदाहरण आए हैं जिसमें पुलिस की टीम ने अपराधियों को उनके अस्तित्व के बारे में सरलता से समझा दिया है तथा परिस्थिति विशेष में दण्डित भी किया है। परंतु इस सत्य को भी अस्वीकार नहीं किया जा सकता कि कुछ लोग कुख्यात अपराधियों को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग प्रदान करने में भी प्रयासरत रहते हैं। क्या पुलिस का ऐसा व्यवहार उनकी कर्तव्यनिष्ठा पर कुठाराघात नहीं करता? अपराधियों पर कठोर नियंत्रण की प्रक्रिया में यह तथ्य भी प्रकट होता है कि छोटे पुलिस अधिकारी परिस्थिति विशेष में शातिर अपराधियों को बुरे समय में शरण देने से भी पीछे नहीं हटते। उनकी इस प्रकार की गतिविधियों से पुलिस की रणनीति की सफलता पर पानी फिर जाता है। पुलिस अधिकारी सटीक सूचनाओं के आधार पर अपराधियों को पकड़ने के शिकंजे कसने लगते हैं तथा समाज विशेष को भयमुक्त करने का प्रत्येक सार्थक प्रयास करते हैं। परंतु गोपनीयता भंग होने के कारण लक्ष्य उन्मेषित कार्य प्रभावित होता है और अपराधियों का सही उपचार नहीं हो पाता है।

कभी-कभी पुलिस संगठन में कुछ गिने-चुने पुलिस कर्मियों पर कर्तव्यनिष्ठा के अभाव में जब उच्च पदाधिकारी कुछ कठिन कार्रवाई करने की पृष्ठभूमि बनाते हैं तो राजनीतिक दबाव के परिणामस्वरूप ऐसे कर्तव्यनिष्ठ पदाधिकारियों का मनोबल तोड़ने का प्रत्येक संभव प्रयास किया जाता है तथा उनका स्थानांतरण ऐसे पद पर कर दिया जाता है जिससे वे अवसाद से ग्रसित हो जाएं। ऐसी स्थिति में ऐसे पुलिस अधिकारी जो कर्तव्यनिष्ठा में अपनी पूर्ण आस्था रखते हैं तथा अपराधियों का मनोबल तोड़ने के लिए प्रत्येक संभव प्रयास में तल्लीन रहते हैं, अपने ही विभाग के कुछ कर्मियों से बिना निपटे अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल नहीं हो पाते।

समाज के विविध भागों में विविध प्रकार के घटित

अपराध पुलिस संगठन को चुनौती प्रदान करती है। पुलिस इस चुनौती को अपने ढंग से सामना करती है। परंतु समाज में उसे इस शिकायत का भी तो सामना करना पड़ता है कि वह भेदभाव रहित व्यवहार न करके विभेदीकरण की प्रक्रिया को प्रोत्साहन प्रदान करती है। सामान्य लोगों में यह धारणा व्याप्त है कि वह निर्धन, अशिक्षित, पिछड़े संवर्ग के लोगों को मदद प्रदान करने की अपेक्षा प्रताड़ित करती है तथा अपराध में लिप्त धनाढ्य, शिक्षित एवं प्रभावकारी लोगों को बचाने एवं सुरक्षा प्रदान करने का प्रत्येक संभव प्रयास करती है। परंतु लोगों के इस प्रकार के रूढ़ियुक्तिपूर्ण विचारों को सहज में नहीं बदला जा सकता है। पुलिस अपने सीमित साधनों से प्रत्येक स्तर के अपराधियों को दबोचने का प्रयास करती है। पुलिस सामाजिक व्यवस्था के दुधारी तलवार पर चलने के कारण कभी कभी लोगों के अपेक्षा के अनुरूप अपने को प्रमाणित नहीं कर पाती। समाज में विविध पक्षों के विविध प्रकार के उचित-अनुचित दबाव के परिणामस्वरूप वह कुछ ऐसे कार्यों को करने के लिए विवश हो जाती है जिसकी अपेक्षा नहीं की जा सकती।

यद्यपि पुलिस से इस बात की अपेक्षा की जाती है कि वह सरकारी नीतियों को समाज में दृढ़ता के साथ कार्यान्वित करे। समाज में इसे न मानने वाले को कठोर से कठोर दण्ड प्रदान करने की व्यवस्था करे। परंतु क्या यह संभव हो पाता है? दृढ़ता से नीतियों एवं अधिनियमों को लागू करने की प्रक्रिया में पुलिस के ऊपर विविध प्रकार के राजनीतिक, प्रशासनिक एवं सामाजिक दबाव पड़ने लगते हैं। पुलिस अधिकारी भी अपनी गर्दन को नपने से बचाने के लिए किसी प्रकार का जोखिम झेलने को तैयार नहीं होते। ऐसी स्थिति में कानून का उल्लंघन करने वालों की ऊंची पहुंच होने के कारण उनका कोई बाल बांका भी नहीं कर पाता। ऐसी स्थिति में समाज की अविरलता प्रभावित होती है और पुलिस परिस्थिति विशेष में मूक दर्शक बनी रहती है। समाज की व्यवस्था सुचारू रूप से तभी संचालित हो सकती है जब पुलिस बिना किसी राजनीतिक दबाव के स्वतंत्र रूप से नियम एवं कानून के अंतर्गत कार्य करने के लिए स्वतंत्र हो। यह एक स्वप्न चिंतन तो हो सकता है परंतु यथार्थ में ऐसा चित्र देखने को बहुत कम प्राप्त होता है। कभी-कभी संदेहास्पद स्थितियों में पुलिस को यथार्थ समझने में काफी विलम्ब होता है, इसका परिणाम यह होता है कि पुलिस सही ढंग से अपनी गवेषणा को दिशा प्रदान नहीं कर पाती। इसका परिणाम यह होता है कि जन सामान्य पुलिस के भूमिका का गलत मूल्यांकन करने लगते हैं। पुलिस 'अपराध नियंत्रण प्रारूप' के अंतर्गत अपराधियों को पकड़ने की व्यवस्था करती है। कानून को लागू करने की प्रक्रिया में यह केंद्रीय मूलक होता है। साधारणतया कानून का कड़ाई से पालन समाज के संगठनात्मक पक्ष को सुदृढ़ करने का सार्थक प्रयास करता है।

इस प्रकार कर्तव्यनिष्ठा के अनुपालन से समाज के कार्यों को सुचारू रूप से चलाने में पुलिस संगठन से जुड़े विविध स्तर के लोगों को पर्याप्त सुविधा प्राप्त है। इसके अंतर्गत प्रशासनिक कार्यों के संचालन में पर्याप्त सुविधा प्राप्त होती है। यह तभी संभव है जब विविध प्रस्तरों के पुलिस कर्मियों के कार्य को तर्कसंगत रूप से समन्वित किया जाए। तर्कसंगत रूप से समन्वित असमानताओं में ताल-मेल बैठाना उच्च पदस्थ अधिकारियों के सूझ-बूझ का परिचायक होता है। परंतु कभी-कभी विषम परिस्थितियों में यह संभव प्रतीत नहीं होता क्योंकि कर्तव्यों को पूर्ण करने के लिए आवश्यक आदेश देने के अधिकार सुनिश्चित आधार पर बंटे होते हैं तथा विविध प्रकार के प्रशासनिक सामाजिक एवं राजनैतिक दबाव के परिणामस्वरूप पुलिस संगठन के विविध प्रस्तरों के कार्मिक अपने कर्तव्यों का सही दिशा में अनुपालन करने में असमर्थ होते हैं।

समाजशास्त्रीय आधार पर विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि कर्मचारी तंत्र के अंतर्गत कार्य करने वाले विभिन्न

पदस्थ अधिकारियों को साधारण जनता की अपेक्षा अधिक सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। उच्च पदाधिकारियों के अधीनस्थ कार्य करने वाले कार्मिकों को उनकी आज्ञाओं का पालन करना पड़ता है। कुछ ऐसे भी अधिकारी होते हैं जो प्रशासनिक योग्यता न रखते हुए भी किसी विशेष अनुकम्पा से उच्च पद को प्राप्त कर लेते हैं और प्रशासनिक क्रियाकलापों के कुशल संचालन में असफलता को खुला निमंत्रण देते रहते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि छोटे पदों पर कार्यरत कार्मिक दक्षता रहते हुए भी अपनी कर्तव्यनिष्ठा का उचित प्रदर्शन नहीं कर पाते जिससे उनके कर्तव्यों के संचालन में उभय-संकट की स्थिति बनी रहती है।

प्रसिद्ध समाजशास्त्री मैक्स वेबर का दृढ़ विचार है कि शासन के प्रजातंत्रीकरण परिणामस्वरूप कर्मचारी तंत्र का विकास हुआ है। परिणामस्वरूप प्रजातंत्र और कर्मचारी तंत्र के बीच घनिष्ठ संबंध स्थापित होते गए। अयोग्य-योग्य के ऊपर अपना प्रभाव स्थापित करने का प्रयास करने लगा। इसका परिणाम यह हुआ कि कार्यशैली एवं कर्तव्यनिष्ठा प्रभावित होने लगी। पुलिस संगठन के विविध स्तरों के कार्मिक समाज की सुरक्षा एवं उसके अविरल निरंतरता के सजग प्रहरी हैं। कर्तव्यनिष्ठ होकर समाज के विविध पक्षों को बहुत दृढ़ता के साथ स्थिरता नित नये-नये प्रयोग व प्रगति करने की प्रवृत्ति से विषम परिस्थितियों में कार्य कुशलता दब जाती है और संबंधित कार्यों को निपटाने में विलम्ब होने लगता है। पुलिस संगठन से जुड़े लोगों को इस चुनौती का सामना करते हुए अपने कर्तव्यनिष्ठा का परिचय देना चाहिए जिससे समाज में विघटनकारी तत्वों को पनपने का अवसर प्राप्त न हो। पुलिस कर्मिकों के प्रति चित्रकल्प में सुधार समाज की अपेक्षाओं को पूर्ण करने में ही संभव है।

❐

थाने में नवनियुक्त पुलिस कर्मियों से अपेक्षाएं

(थाना स्तर के पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों को अपनी नव नियुक्ति के स्थान पर प्रारंभ में क्या-क्या करना आवश्यक है)

हाकिम राय
पुलिस उपाधीक्षक (से.नि.)
9-डी- एच.आई.जी. अवन्तिका कालोनी
कांठ रोड, एम.डी.ए. मुरादाबाद, उ.प्र.

पुलिस विभाग में थाना एक ऐसी इकाई है जहां से पुलिस का कार्य आरंभ होता है। थाना पुलिस विभाग की धुरी कहा जा सकता है। यदि थाना स्तर पर पुलिस के कार्यों का निष्पादन सही ढंग से किया जाए तो पुलिस विभाग समाज के विभिन्न वर्गों की आलोचना से बचने के साथ-साथ आम जनता की प्रशंसा का पात्र बन सकता है। पुलिस विभाग की छवि को अच्छा बनाए रखने के लिए स्थापित मानदंडों के आधार पर कार्य करने की आवश्यकता होती है। यह तभी हो सकता है जब प्रभारी निरीक्षक/थाना प्रभारी, उप निरीक्षक पुलिस, प्रधान लेखक, चौकी के मुख्य आरक्षी व आरक्षी यह जानते हों कि उन्हें करना क्या है? इसी बात को ध्यान में रखते हुए उक्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों के वह कार्य नीचे लिखे जा रहे हैं जो उन्हें अपनी नई नियुक्ति के स्थान पर जाते ही करने आवश्यक होते हैं।

(क) प्रभारी निरीक्षक/थाना प्रभारी द्वारा किसी कोतवाली/थाने का कार्य भार ग्रहण करने के बाद क्या करना आवश्यक है।

थाने का भार साधक अधिकारी कहीं पर उप निरीक्षक पुलिस होता है और कहीं पर निरीक्षक पुलिस होता है। वह अपने थाने की सीमा के अंदर पुलिस प्रशासन को चलाता है। वह अपने अधीनस्थों की दक्षता, उनके कर्तव्यों का उचित पालन, उनके द्वारा तैयार किए गए सभी रजिस्टरों, अभिलेखों व रिपोर्टों की शुद्धता, थाने में रखे जाने वाले सरकारी धन और मूल्यवान संपत्ति की सुरक्षित अभिरक्षा और रोकड़बही को सही बनाने तथा अपने अधीनस्थों पर नियंत्रण बनाए रखने और उनके अनुशासन के लिए उत्तरदायी है।

इन सब कार्यों को करने के लिए उसे कार्य भार ग्रहण करने के तत्काल बाद निम्न कार्य करने चाहिए जिससे वह थाने के संबंध में संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सके।

1. थाना क्षेत्र की जानकारी करना

नव नियुक्त थाना प्रभारी को अपने थाना क्षेत्र में भ्रमण करके निम्न बिंदुओं पर जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए।

I. थाने की सीमा की जानकारी करना
II. थाना क्षेत्र में अपराधियों के आने के मार्ग कौन-कौन से हैं
III. थाने के औद्योगिक क्षेत्र की जानकारी करना
IV. थाना क्षेत्र के स्कूल/कालेजों की जानकारी करना
V. थाना क्षेत्र के सिनेमा घरों की जानकारी करना
VI. थाना क्षेत्र के बैंकों की जानकारी करना
VII. थाना क्षेत्र में पड़ने वाले बस अड्डों की जानकारी करना
VIII. सरकारी शराब की दुकानों की जानकारी करना
IX. रेलवे स्टेशन के बाहर के क्षेत्र की स्थिति की जानकारी करना
X. थाना क्षेत्र के बाजारों की जानकारी करना
XI. थाना क्षेत्र के साम्प्रदायिक दृष्टि से संवेदनशील मौहल्लों/चौराहों की जानकारी करना

XII. थाना क्षेत्र के प्रमुख व्यक्तियों के बारे में जानकारी करना

XIII. थाना क्षेत्र की शस्त्र की दुकानों, तेजाब की दुकानों एवं आतिशबाजी की दुकानों की जानकारी करना

2. खुफिया नोट बुक का अध्ययन करना चाहिए

3. अपने अधीनस्थों का सम्मेलन करना चाहिए

4. थाने के मालखाने में मौजूद सरकारी संपत्ति का सत्यापन करना चाहिए

5. थाने के अपराध संबंधी निम्नलिखित अभिलेखों का निरीक्षण कर लेना चाहिए

- **अपराध रजिस्टर (रजिस्टर नम्बर-4)**
- **थाने की निरोधात्मक कार्रवाई का आकलन करना**
- **संपत्ति का रजिस्टर (रजिस्टर नं.-5)**
- **ग्राम अपराध पुस्तिका (रजिस्टर नं.-8 के पांचों भागों का अध्ययन करना)**
- **पलायित अपराधियों का रजिस्टर**
- **इंडैक्स प्रथम सूचना रिपोर्ट अहस्तक्षेपीय अपराध**
- **क्रियाशील अपराधियों का रजिस्टर**
- **बीट इंफामेंशन रजिस्टर**
- **गुण्डों का रजिस्टर**
- **जमानत का रजिस्टर**
- **त्यौहार रजिस्टर**
- **गृहभेदन के अपराध का मानचित्र**
- **पिछले 10 वर्षों के प्रकाश में आए अपराधियों का रजिस्टर**
- **संभावित झगड़े के प्रकरणों के स्थानों का रजिस्टर**
- **राजनैतिक पार्टियों का रजिस्टर**
- **राजनैतिक पार्टियों का सूचना रजिस्टर**
- **गैंग रजिस्टर**
- **आरोप पत्र रजिस्टर**
- **शस्त्र रजिस्टर**

(ख) थाने के अधीनस्थ उप निरीक्षक पुलिस को नई नियुक्ति के समय क्या क्या करना आवश्यक है

थाने पर कार्य भार के अनुसार उप निरीक्षक नागरिक पुलिस की नियुक्ति होती है। कुछ उप निरीक्षक ना.पु. थाने की विभिन्न चौकियों पर प्रभारी के रूप में नियुक्त होते हैं व कुछ चौकी प्रभारी उप निरीक्षक की सहायता के लिए उनके साथ चौकी पर नियुक्त किए जाते हैं। यदि थाने में ग्रामीण क्षेत्र है, तो **बीटवाइज** (हलकेवार) उपनिरीक्षक की नियुक्ति की जाती है। सभी उप निरीक्षक पुलिस अपनी चौकी या अपनी बीट के क्षेत्र के अपराध नियंत्रण एवं घटित अपराधों की विवेचना के लिए थाना प्रभारी के प्रति उत्तरदायी होते हैं। इन दोनों कार्यों के कुशल संपादन हेतु नव नियुक्त उप निरीक्षक को निम्न कार्य प्रारंभ में ही कर लेने चाहिए जिससे उसे संबंधित क्षेत्र के कार्यों के बारे में जानकारी हो जाए और आवश्यक कार्रवाई की जा सके।

1. अपने प्रभार के क्षेत्र की जानकारी करना

उप निरीक्षक पुलिस चाहे चौकी पर नियुक्त हो या देहात की किसी बीट का प्रभारी हो उसे अपने प्रभार के क्षेत्र की जानकारी निम्न बिंदुओं पर कर लेनी चाहिए-

- उसकी चौकी क्षेत्र में या ग्रामीण क्षेत्र में कितने मौहल्ले/गांव हैं।
- उसके क्षेत्र में मुख्य धार्मिक स्थल कहां-कहां हैं।
- उसके क्षेत्र में सिनेमाघर कहां-कहां हैं और उनके दूरभाष नंबर
- उसके क्षेत्र में बाजार कहां-कहां लगते हैं।
- उसके क्षेत्र में बैंक कहां-कहां हैं और उनके दूरभाष नम्बर
- उसके क्षेत्र में संवेदनशील मौहल्ले/चौराहे अथवा गांव कौन से हैं।
- उसके क्षेत्र में औद्योगिक स्थल कहां-कहां हैं।

- उसके क्षेत्र में रोडवेज बस स्टेंड/टैक्सी अड्डे कहां-कहां पर स्थित हैं।
- उसके क्षेत्र में सरकारी शराब की दुकानें कहां-कहां स्थित हैं।
- उसके क्षेत्र में निरीक्षण भवन कहां-कहां हैं और उनके दूरभाष नंबर

2. अपने प्रभार क्षेत्र के अपराध की जानकारी करना

नव नियुक्त उप निरीक्षक को अपनी चौकी/ ग्रामीण क्षेत्र के अपराध की जानकारी निम्न बिंदुओं पर अभिलेखों के आधार पर कर लेनी चाहिए

- किस प्रकार का अपराध क्षेत्र में अधिक हो रहा है।
- क्षेत्र का कौन-सा भाग अपराध से अधिक प्रभावित है।
- किस प्रकार के लोग अपराध में सक्रिय हैं।
- अपराधियों का आयु वर्ग क्या है।
- अपराध घटित होने का समय क्या है।

यह जानकारी करने के बाद उप निरीक्षक पुलिस अपने क्षेत्र में अपराध की रोकथाम हेतु योजना बनाकर थाना प्रभारी से विचार विमर्श करने के उपरान्त आवश्यक कार्रवाई कर सकता है।

3. प्रभार क्षेत्र में साम्प्रदायिक अथवा जातिगत झगड़ों की जानकारी करना

उप निरीक्षक पुलिस को अपने प्रभार क्षेत्र में रहने वाले लोगों के साम्प्रदायिक/जातिगत झगड़ों की स्थिति की निम्न जानकारी करके उनके समाधान हेतु सतर्क रहना आवश्यक है, क्योंकि स्थिति की जानकारी न होने और समय रहते कार्रवाई न करने के कारण यह समस्या विस्फोटक हो सकती है।

- कौन कौन से मौहल्ले/गांव साम्प्रदायिक दृष्टि से संवेदनशील हैं
- किन किन मौहल्लों/गांवों में पहले साम्प्रदायिक घटना हुई हैं।
- कौन कौन लोग साम्प्रदायिक/जातिगत झगड़ों में भाग लेते हैं।
- कौन कौन लोग इस प्रकार के झगड़ों को प्रोत्साहन देते हैं।
- क्या इस प्रकार की कोई समस्या वर्तमान में चल रही है।

यह जानकारी प्राप्त करने के बाद उ.नि. पुलिस अपने क्षेत्र में होने वाले साम्प्रदायिक/जाति झगड़ों पर नियंत्रण लगाने के लिए आवश्यक कार्रवाई थाना प्रभारी से विचार विमर्श करके कर सकता है।

4. प्रभार क्षेत्र में होने वाली अवैधानिक गतिविधियों की जानकारी प्राप्त करना

नव नियुक्त उप निरीक्षक पुलिस को अपने प्रभार क्षेत्र में होने वाली निम्न अवैधानिक गतिविधियों की जानकारी प्रारंभ में ही कर लेनी चाहिए जिससे उन पर अंकुश लगाया जा सके।

- प्रभार क्षेत्र में जुआ, सट्टा होने के बारे में
- प्रभार क्षेत्र में अवैध शराब बनाने व बेचने के बारे में
- प्रभार क्षेत्र में मादक पदार्थों की बिक्री के बारे में
- प्रभार क्षेत्र में अवैध शस्त्रों के बनाने व बेचने के बारे में
- प्रभार क्षेत्र में चल रहे वैश्यालयों के बारे में
- प्रभार क्षेत्र में चोरी का माल खरीदने वालों के बारे में

यह जानकारी प्राप्त करने के उपरान्त उ.नि.

पुलिस इन अवैधानिक गतिविधियों पर नियंत्रण लगाने हेतु थाना प्रभारी से विचार विमर्श करने के उपरांत प्रभावी कार्रवाई अपने क्षेत्र में कर सकता है।

5. अपने प्रभार क्षेत्र के कर्मचारियों के बारे में जानकारी प्राप्त करना

उप निरीक्षक चौकी या देहात क्षेत्र को अपने कर्मचारियों के बारे में निम्न जानकारी प्राप्त करनी चाहिए जिससे आवश्यक कार्रवाई की जा सके-

- कर्मचारियों का नियतन कितना है।
- कितने कर्मचारी नियुक्त हैं।
- कितने कर्मचारी चौकी बैरक में रहते हैं।
- कितने कर्मचारी मकान लेकर मौहल्लों में रह रहे हैं उनका पूरा पता और दूरभाष नम्बर।
- उनको अपनी बीट की जानकारी है या नहीं
- वह अपनी बीट में जा रहे हैं अथवा नहीं।
- उनके पास बीट बुक है या नहीं?
- उन कर्मचारियों में कोई शराब पीने का आदी तो नहीं है।
- बीट सूचना लाने का कार्य उनके द्वारा किया जा रहा या नहीं।
- उनको शासकीय कार्य में किसी परेशानी का सामना तो नहीं करना पड़ रहा है।

यदि अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के संबंध में कोई असमान्य बात ज्ञात होती है, तो उसको थाना प्रभारी के संज्ञान में तत्काल लाई जानी चाहिए जिससे आवश्यक कार्रवाई की जा सके।

6. अपने प्रभार क्षेत्र के संबंधित अभिलेखों का अवलोकन करना

नव नियुक्त उप निरीक्षक पुलिस को अपने प्रभार क्षेत्र से संबंधित अभिलेखों का अवलोकन करके यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि उसके क्षेत्र की सूचना संबंधित अभिलेखों में दर्ज हो रही है या नहीं? चौकी प्रभारी उ.नि. को अपनी चौकी पर रखे जाने वाले निम्न अभिलेखों का निरीक्षण कर लेना चाहिए।

- चौकी क्षेत्र का अपराध रजिस्टर अद्यावधिक है या नहीं।
- चौकी क्षेत्र की बीट सूचना का रजिस्टर बना है या नहीं यदि बना है, तो उसमें सूचनाएं कर्मचारियों द्वारा अंकित कराई जा रही हैं या नहीं।
- कर्मचारियों का ड्यूटी रजिस्टर में यह जांच करने की आवश्यकता है कि कर्मचारियों की ड्यूटी निष्पक्षता से लगाई जा रही है या नहीं।
- सेक्शन बोर्ड पूर्ण है या नहीं यदि पूर्ण नहीं है, तो उसे पूर्ण कराएं जिससे एक दृष्टि में पूरी चौकी क्षेत्र के बीट का और कर्मचारियों की जानकारी हो सकती है।

यदि चौकी के प्रभारी उ.नि. को चौकी पर रखे जाने वाले अभिलेखों के संबंध में कोई त्रुटि ज्ञात होती है, तो उसको तत्काल अपने स्तर से ठीक करने का प्रयास करना चाहिए।

7. प्रभार क्षेत्र के संभ्रान्त व्यक्तियों की जानकारी करना और उनसे संपर्क करना

उप निरीक्षक पुलिस को अपने प्रभार क्षेत्र में रहने वाले मुख्य संभ्रान्त लोगों से नव नियुक्ति के बाद प्रारंभ में ही समय निकाल कर संपर्क कर लेना चाहिए और उनके संबंध में निम्न जानकारी प्राप्त करनी चाहिए जिससे आवश्यकता पड़ने पर उनका सहयोग प्राप्त किया जा सके।

- चौकी क्षेत्र में रहने वाले प्रमुख राजनीतिज्ञों के नाम पते एवं दूरभाष नम्बर की जानकारी

करना।

- चौकी क्षेत्र में रहने वाले प्रमुख समाज सेवी व्यक्तियों के **नाम, पते** एवं **उनके दूरभाष नंबर** जानकारी करना।
- चौकी क्षेत्र में कार्यरत प्रमुख समाज सेवा संस्थाओं जैसे **रोटरी क्लब/लायंस क्लब** आदि के प्रमुख पदाधिकारियों के **नाम, पते एवं दूरभाष नम्बर** की जानकारी करना।
- चौकी प्रभारी उ.नि. को उक्त सभी जानकारियों के संबंध में थाना प्रभारी को अवगत करा देना चाहिए।

(ग) थाने के प्रधान लेखक को अपनी नव नियुक्ति के थाने पर प्रारंभ में क्या क्या करना आवश्यक है?

थाने का प्रधान लेखक मुख्य आरक्षी पद का होता है वह थाने के कार्यालय का लिपिक एवं रिकार्ड कीपर होता है। इसका कार्य अपराध की प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखना, रोकड़ बही लिखना, जनरल डायरी लिखना और थाने पर रखी जाने वाली सरकारी संपत्ति, धन एवं मूल्यवान संपत्ति को अपनी अभिरक्षा में सुरक्षित रखना होता है। इसके अतिरिक्त वह थाने के सभी अभिलेखों का रख-रखाव करने के लिए उत्तरदायी है।

उक्त कर्तव्यों को दृष्टि में रखकर प्रधान लेखक को निम्न कार्य अपनी नव नियुक्ति के प्रारंभ में ही कर लेने चाहिए-

(1) सरकारी संपत्ति का भौतिक रूप से सत्यापन करके उसको अपनी अभिरक्षा में लेना

प्रधान लेखक जब किसी थाने पर नियुक्त होता है तो वह निवर्तमान प्रधान लेखक से थाने की सरकारी संपत्ति का प्रभार लेता है। प्रायः देखने में आया है कि यह कार्य कागज पर किया जाता है जो सही नहीं है। प्रधान लेखक को प्रत्येक सरकारी संपत्ति व्यक्तिगत रूप से देखकर अपने प्रभार में लेनी चाहिए जिससे बाद में कोई परेशानी न होने पाए। सरकारी संपत्ति में कमी होना न्यास भंग का अपराध है और इस प्रकार की कमी पाए जाने पर **धारा 409 भा.दं.वि.** के अपराध कई थानों पर पंजीकृत हुए हैं। भौतिक रूप से चैक कर संपत्ति प्रभार में लेने पर यदि कोई कमी पाई जाती है, तो नव नियुक्त प्रधान लेखक को इस बात को थाना प्रभारी के संज्ञान में लाना चाहिए जिससे आवश्यक कार्रवाई की जा सके।

(2) मुकदमों से संबंधित संपत्ति को भी भौतिक रूप से चैक कर प्रभार में लेना चाहिए

थाने पर पंजीकृत अभियोगों से संबंधित संपत्ति थाने के मालखाने में रहती है। इसका प्रभार भी प्रधान लेखक के पास रहता है। अतः यह आवश्यक है कि **निवर्तमान** प्रधान लेखक से मुकदमों से संबंधित संपत्ति का प्रभार नव नियुक्त प्रधान लेखक को भौतिक रूप से चैक कर लेना चाहिए। यह बात देखने में आई है कि बहुत से मुकदमों का माल रजिस्टर में इन्दराज होने पर भी मालखाने से गायब मिलता है और इस गायब माल के संबंध में कई प्रधान लेखक के विरुद्ध वैधानिक व विभागीय कार्रवाई की जाती है।

(3) धन का प्रभार रोकड़ बही के अनुसार लिया जाना चाहिए

थाने पर प्राप्त होने वाले सरकारी धन का लेखा जोखा प्रधान लेखक द्वारा रोकड़ बही में रखा जाता है। प्रधान लेखक का पद भार ग्रहण करते समय सरकारी धन को थाने की रोकड़बही के अनुरूप लिखित रूप से प्राप्त करना चाहिए। इसका उल्लेख **जनरल डायरी** में करना चाहिए। यदि कोई अवितरित धन बहुत समय से किन्हीं कारणों से रोकड़ बही में लम्बित हो, तो उसको वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आंकिक को लौटा देना चाहिए क्योंकि धन को अकारण थाने पर रखना उचित नहीं है।

(4) मालखाने में अभियुक्तों की व्यक्तिगत तलाशी और न्यायालय के आदेश से वापस किए जाने वाले माल को भौतिक रूप से चैक कर प्राप्त करना

थाने पर अभियुक्तों की व्यक्तिगत तलाशी का सामान/धन भी मालखाने पर रखा जाता है और इसका उल्लेख थाने के मालखाना रजिस्टर में किया जाता है। नव नियुक्त प्रधान लेखक को यह **माल/धन** भौतिक रूप से चैक करके प्राप्त करना चाहिए जिससे कोई कमी हो तो प्रकाश में आ जाए। थाने पर न्यायालय के निर्णय के बाद मुकदमों से संबंधित माल वादी अथवा अभियुक्त को वापस करने हेतु प्राप्त होता है। इस प्रकार के माल को नव-नियुक्त प्रधान लेखक द्वारा थाने पर रखे जाने वाले अभिलेखों से मिलान करके प्राप्त करना चाहिए जिससे आने वाले समय में किसी कठिनाई का सामना न करना पड़े।

(5) थाने पर रखी जाने वाली पुस्तकों का प्रभार थाने के रजिस्टर से मिलान कर लेना चाहिए

प्रत्येक थाने पर विधि एवं विभिन्न अधिनियमों की पुस्तकें जनपद के पुलिस अधीक्षक के कार्यालय से प्राप्त होती हैं और इनका थाने पर रिकार्ड रखा जाता है। प्रायः इन पुस्तकों में कमी पाई जाती है। नव नियुक्त प्रधान लेखक को इन पुस्तकों का प्रभार रजिस्टर से मिलान करके लेना चाहिए। यदि कोई कमी पाई जाए तो थाना प्रभारी के संज्ञान में लाना चाहिए।

(6) हवालात व मालखाने के कक्ष के सुरक्षित होने की जांच कर ली जाए

हवालात व मालखाने की सुरक्षा का भार थाने के प्रधान लेखक पर होता है और इन दोनों कक्षों की चाबी उसी के पास रहती है। हवालात में रखे जाने वाले अभियुक्तों व मालखाने में रखी जाने वाली संपत्ति को सुरक्षित रखने हेतु नव नियुक्त प्रधान लेखक को इन दोनों कक्षों का निरीक्षण कर लेना चाहिए। यदि कोई कक्ष असुरक्षित प्रतीत होता हो, तो उसे थाना प्रभारी के संज्ञान में लाकर ठीक करवा लेना चाहिए। जिससे कोई अनहोनी घटना न घटने पाए।

(7) थाने पर रखे जाने वाले विभिन्न अभिलेखों का रखरखाव चैक कर लेना चाहिए

थाने पर रखे जाने वाले अपराध संबंधी, धन संबंधी एवं भूमि भवन संबंधी अभिलेख प्रधान लेखक व उसके साथ नियुक्त आरक्षी लेखक द्वारा तैयार किया जाता है। प्रधान लेखक का यह कर्तव्य है कि वह नई नियुक्ति के थाने पर प्रारंभ में ही यह देख लें कि थाने पर रखे जाने वाले अभिलेखों में आवश्यक सूचनाएं अद्यावधिक अंकित है या नहीं? यदि उसे लगता है, कि अभिलेखों में सूचना अद्यावधिक नहीं है, तो इसकी सूचना थाना प्रभारी को देकर उसे यथा शीघ्र पूर्ण करें।

(घ) चौकी भार के साधक मुख्य आरक्षी को अपनी नव-नियुक्ति पर क्या-क्या करना आवश्यक है?

चौकी का भार साधक मुख्य आरक्षी चौकी पर नियुक्त आरक्षियों के कर्तव्यों का पालन, उनके आचरण व अनुशासन हेतु उत्तरदायी है। वह अपनी चौकी के आरक्षियों की ड्यूटी लगाता है और यह देखता है कि वह अपने कर्तव्यों का उचित रूप से पालन करें। वह चौकी क्षेत्र में होने वाले अपराधों एवं महत्वपूर्ण घटनाओं की सूचना थाना प्रभारी को देता है। वह अपराध का अन्वेषण नहीं करता, परंतु यदि वह पुलिस अधीक्षक द्वारा विशेष रूप से प्राधिकृत कर दिया जाए, तो वह पंचायतनामा भरने की कार्रवाई कर सकता है।

चौकी के भार साधक मुख्य आरक्षी को उक्त कर्तव्यों को ध्यान में रखते हुए अपनी नव-नियुक्ति के स्थान पर निम्न कार्य प्रारंभ में ही कर लेने चाहिए।

1. चौकी क्षेत्र की पूर्ण जानकारी प्राप्त करना

चौकी पर नव नियुक्त मुख्य आरक्षी को चौकी क्षेत्र का भ्रमण करके निम्न स्थानों की जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए जिससे वह चौकी क्षेत्र से परिचित हो सके और वह आवश्यकतानुसार उचित कार्रवाई हेतु वहां पहुंच सके।

- चौकी क्षेत्र में कौन-कौन से मौहल्ले हैं।
- उन मौहल्लों में जातिगत अनुपात क्या है।

• किन-किन मौहल्लों में साम्प्रदायिक या जातिगत झगड़ों की संभावना रहती है।

• कौन-कौन चौराहे कानून व्यवस्था की दृष्टि से संवेदनशील है।

• मुख्य-मुख्य धार्मिक स्थल कहां-कहां पर स्थित हैं।

• स्कूल/कालेज कहां-कहां पर हैं।

• सिनेमाघर कहां-कहां पर हैं।

• शराब की दुकानें कहां-कहां पर हैं।

• रोडवेज बस स्टेशन कहां पर हैं।

• चौकी में कोई औद्योगिक क्षेत्र कहां पर हैं।

• चौकी क्षेत्र में बैंक कहां-कहां हैं।

• चौकी क्षेत्र में बाजार कहां-कहां हैं।

• चौकी क्षेत्र में आतिशबाजी की दुकानें कहां-कहां हैं।

• चौकी क्षेत्र में तेजाब विक्रेता की दुकानें कहां-कहां हैं।

• चौकी क्षेत्र में शस्त्र विक्रेताओं की दुकानें कहां-कहां हैं।

2. चौकी पर नियुक्त कर्मचारियों के संबंध में जानकारी प्राप्त करना

चौकी पर नियुक्त होने के बाद चौकी के मुख्य आरक्षी को वहां नियुक्त कर्मचारियों से बात करके निम्न जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए जिससे अग्रिम आवश्यक कार्रवाई की जा सके।

• चौकी पर कितने कर्मचारियों का स्वीकृत नियतन है।

• चौकी पर कितने कर्मचारी नियुक्त हैं।

• चौकी क्षेत्र में कहां-कहां ड्यूटी रोजाना भेजी जाती है।

• कौन-कौन कर्मचारी किस किस बीट में नियुक्त हैं।

• कितने कर्मचारी चौकी पर रहते हैं और कितने प्राईवेट मकानों में रह रहे हैं।

• कोई कर्मचारी ऐसा तो नहीं है जिसके शराब पीने या अपराधियों से मिले होने की शिकायत हो।

यदि चौकी प्रभारी मुख्य आरक्षी को उक्त बिंदुओं में से किसी बिंदु पर कोई सत्य प्रतीत होता है, तो अपनी चौकी के प्रभारी उ.नि. के संज्ञान में लाकर उसको ठीक किया जाए।

3. चौकी क्षेत्र में रहने वाले प्रमुख व्यक्तियों से संपर्क करना

चौकी प्रभारी मुख्य आरक्षी को अपने चौकी क्षेत्र के प्रमुख संभ्रात व्यक्तियों से प्रारंभ में ही समय निकाल कर संपर्क कर लेना चाहिए। उन लोगों से मिल कर चौकी क्षेत्र में हो रही अवैधानिक गतिविधियों की जानकारी कर लेनी चाहिए और उनसे पुलिस कार्यों में सहायता देते रहने की प्रार्थना करनी चाहिए।

4. चौकी क्षेत्र के हिस्ट्रीशीटरों/सक्रिय अपराधियों की व्यक्तिगत जानकारी कर लेनी चाहिए

नव-नियुक्त मुख्य आरक्षी को अपने चौकी क्षेत्र के सभी हिस्ट्रीशीटरों की व्यक्तिगत रूप से पहचान कर लेनी चाहिए जिससे उन पर निगाह रखी जा सके। इस कार्य हेतु उन्हें चौकी पर बुलाया जा सकता है अथवा उनके घर जाकर उनसे संपर्क किया जा सकता है यदि कोई हिस्ट्रीशीटर मर गया है अथवा शारीरिक रूप से अक्षम है तो इस संबंध में थाना प्रभारी को लिखित में सूचना देकर उसकी हिस्ट्रीशीट में इस बात का नोट लगवाया जाना चाहिए जिससे उसकी हिस्ट्रीशीट नष्ट की जा सके अथवा उसकी निगरानी बंद की जा सके।

5. स्कूल/कालेज के प्रधानाचार्य से संपर्क करना चाहिए

मुख्य आरक्षी को अपनी चौकी क्षेत्र के स्कूल/कालेज के प्रधानाचार्यों से संपर्क करके उनके स्कूल/कालेज की समस्याओं के बारे में जानकारी प्राप्त करके अपने चौकी/थाना प्रभारी को सूचित करना चाहिए जिससे उनके स्तर से आवश्यक कार्रवाई की जा सके। स्कूल/कालेज के दूरभाष नंबर नोट करके चौकी पर रखने चाहिए जिससे आवश्यकता पड़ने पर संपर्क स्थापित किया जा सके।

6. आरक्षियों की बीट बुक चैक कर लेनी चाहिए

चौकी के प्रत्येक आरक्षी की बीट बुक होती है जिससे **संबंधित गश्त, निगरानी** एवं तामील आदि का कार्य उस आरक्षी को दिया जाता है। मुख्य आरक्षी को यह चैक करना चाहिए कि प्रत्येक आरक्षी के पास बीट से संबंधित बीट बुक है या नहीं। यदि बीट बुक नहीं है, तो आरक्षियों की बीट बुक तैयार करा देनी चाहिए क्योंकि बीट बुक में संबंधित बीट के अपराधियों, हिस्ट्रीशीटरों, सक्रिय अपराधियों, शराब की दुकानों एवं भगौड़ा आदि के नाम अंकित होते हैं।

7. चौकी के अभिलेखों को अद्यतन रखना चाहिए

नव-नियुक्त मुख्य आरक्षी चौकी के निम्न अभिलेखों को चैक कर लेना चाहिए और उन्हें अद्यतन रखा जाना चाहिए।

(1) चौकी का अपराध रजिस्टर

(2) चौकी का बीट इंफार्मेशन रजिस्टर

(3) चौकी के कर्मचारियों का ड्यूटी रजिस्टर

(4) सेक्शन बोर्ड

8. चौकी की आपराधिक स्थिति का मूल्यांकन कर लेना चाहिए

नव-नियुक्त मुख्य आरक्षी को अपनी चौकी क्षेत्र की अपराध की स्थिति का तुलनात्मक अध्ययन करके यह देख लेना चाहिए कि अपराध की स्थिति ठीक है या खराब है। यह भी देखना चाहिए कि चौकी क्षेत्र के कौन कौन मौहल्ले अपराध से अधिक प्रभावित हुए हैं और किस प्रकार के अपराध अधिक घटित हुए हैं। इस अध्ययन के बाद अपने चौकी प्रभारी उप निरीक्षक से विचार विमर्श करके अपराध नियंत्रित करने का प्रयास करना चाहिए।

(ड़) थाने/चौकी पर नव-नियुक्त आरक्षी नागरिक पुलिस को अपनी नियुक्ति के तत्काल बाद क्या क्या करना आवश्यक है

नागरिक पुलिस के आरक्षियों का मुख्य कार्य अपराध की रोकथाम करना है। इनको इस कार्य हेतु थाना क्षेत्र में **गश्त करने, अपराधियों की निगरानी करने, फरार अपराधियों का पता लगाने** व अपराधियों के संबंध में सूचना एकत्र कर लाने हेतु निर्देशित किया जाता है। थाना व चौकी पर संतरी ड्यूटी का कार्य भी उन्हीं से लिया जाता है। प्रत्येक नव-नियुक्त आरक्षी को निम्न कार्य प्रारंभ में ही कर लेना चाहिए।

1. अपनी बीट (कार्य क्षेत्र) की भ्रमण करके जानकारी प्राप्त करना

प्रत्येक नव-नियुक्त आरक्षी को अपनी बीट में भ्रमण करके निम्न जानकारी करनी चाहिए।

- बीट के अंतर्गत कितने मौहल्ले या गांव है।
- संवेदनशील मौहल्ले अथवा गांव कौन-कौन से हैं?
- कौन-कौन से संभ्रान्त व्यक्ति किस-किस मौहल्ले या गाँव में निवास करते हैं।
- शस्त्र धारक कौन-कौन हैं।
- मुख्य मुख्य धार्मिक स्थल कहां-कहां पर हैं।
- उसकी बीट में किस दिन कहां बाजार लगता है।

2. अपनी बीट (कार्य क्षेत्र) के अपराधियों की जानकारी करनी चाहिए

नव-नियुक्त आरक्षी को अपनी बीट में प्रारंभ में भ्रमण करके निम्न जानकारी करनी चाहिए :

- कौन-कौन हिस्ट्रीशीटर किस किस मौहल्ले या गांव में रहते हैं और उनमें कौन-कौन सक्रिय हैं।
- कौन-कौन सक्रिय अपराधी कहां-कहां निवास करते हैं।
- अपने बीट में निवास करने वाले हिस्ट्रीशीटरों/ सक्रिय अपराधियों को व्यक्तिगत रूप से देख लेना चाहिए जिससे उन पर दृष्टि रखी जा सके।

3. अपनी बीट बुक तैयार करनी चाहिए

प्रत्येक आरक्षी को अपनी बीट के संबंध में एक बीट बुक रखना आवश्यक है। यदि उसे कोई बीट बुक थाने या चौकी से बीट से संबंधित नहीं मिली हो, तो

उसको अपनी बीट बुक निम्न बिंदुओं पर तैयार कर लेनी चाहिए और यदि मिली हो तो निम्न बिंदु उसमें सम्मिलित कर लेना चाहिए।

1. बीट कान्स. का व्यक्तिगत विवरण

2. बीट का भौगोलिक विवरण एवं सामान्य जानकारी

3. बीट के अंतर्गत रहने वाले मौहल्लों/ग्रामों के प्रमुख व्यक्तियों, पुलिस मित्रों व अन्य संदिग्ध व्यक्तियों के नाम पते एवं विवरण

4. बीट में मौजूद विभिन्न विवाद/शत्रुता की जानकारी

5. बीट में अपराधिक ठिकानों के विवरण की जानकारी

6. बीट में घटित होने वाले अपराधों की जानकारी

7. बीट के अपराधों में गत 10 वर्षों में जेल गए अपराधियों का विवरण

8. वरिष्ठ अधिकारियों के टेलीफोन नंबरों की जानकारी

4. बीट कान्स. को अपनी बीट से अपराध और अपराधियों से संबंधित सूचनाएं निम्न बिंदुओं पर एकत्रित कर बीट इन्फ्रामेंशन रजिस्टर में दर्ज करानी चाहिए-

- संभावित झगड़ों के संबंध में
- साम्प्रदायिक तनाव के संबंध में
- विद्यार्थियों के भावी झगड़ों के संबंध में
- श्रमिक और उद्योगपतियों के विवाद के संबंध में
- अपराध में सक्रिय अपराधियों के संबंध में
- चोरी की संपत्ति खरीदने वालों के संबंध में
- अवैध शस्त्रों को बनाने व बेचने वालों के संबंध में
- अवैध शराब बनाने व बेचने वालों के संबंध में
- जुआ सट्टा कराने वालों के संबंध में
- मादक द्रव्यों की बिक्री के संबंध में
- बीट में किसी बाहरी संदिग्ध व्यक्ति के आकर रहने के संबंध में
- हिस्ट्रीशीटर की घर से अनुपस्थिति के संबंध में
- नए अपराधियों के संबंध में

5. संभ्रान्त लोगों से व्यक्तिगत संपर्क कर लेना चाहिए

बीट आरक्षी को अपनी बीट के संभ्रान्त लोगों से एक-एक कर व्यक्तिगत रूप से मिल कर परिचय प्राप्त करना चाहिए और उनके टेलीफोन नम्बर नोट कर लेने चाहिए। उनके मौहल्ले/गांव की समस्याओं के बारे में बात करके जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए और उन समस्याओं को **चौकी प्रभारी/थाना प्रभारी** को बताना चाहिए।

6. स्कूल/कालेज की स्थिति की जानकारी व्यक्तिगत रूप से करनी चाहिए

बीट आरक्षी को अपनी बीट के स्कूल/कालेज जाकर यह जानकारी करनी चाहिए कि वह कहां स्थित है और वहां आस-पास किस प्रकार का वातावरण है। लड़कियों के स्कूल/कालेज के बाहर उसे विशेष रूप से यह देखने की आवश्यकता है कि स्कूल/कालेज के शुरू होने के समय व छूटने के समय लड़कियों के साथ कोई अभद्र व्यवहार करने की शिकायत है या नहीं।

7. सिनेमाघर और शराब की दुकानों को भी व्यक्तिगत रूप से जाकर देख लेना चाहिए

बीट आरक्षी को अपनी बीट स्थित शराब की दुकान व सिनेमाघरों में जाकर यह देख लेना चाहिए कि इन स्थानों पर कानून व्यवस्था की दृष्टि से किस समय पुलिस रहने की आवश्यकता है, क्योंकि इन दोनों स्थलों पर लोग आते-जाते रहते हैं, यदि उसे कोई बात महत्वपूर्ण प्रतीत होती है, तो उसे **चौकी प्रभारी/थाना प्रभारी** के संज्ञान में लाना चाहिए।

❐

"पुलिस आचरण और सर्वसाधारण"

श्रीमती मीना मल्होत्रा,

सी-12/453, सर्वोदय कन्या विद्यालय
यमुना विहार, दिल्ली-110053

आचरण क्या है?

समाज की जागरूकता एवं शिक्षा के प्रसार ने पुलिस विभाग में व्याप्त कमियों को उजागर किया है। पुलिस छवि को सुधारने, पुलिस जनता संबंधों को सुधारने एवं जन सहयोग प्राप्त करने के लिए पुलिस को अनुशासन एवं अच्छे आचरण का पालन करना चाहिए। आचरण वह प्रक्रिया है जिसका अनुसरण करके व्यक्ति अच्छा कहलाता है और समाज में अपना एक स्थान बनाता है।

आचरण का संबंध नैतिकता से है सामाजिक मूल्य एवं आचार नीति का अनुसरण आचरण का निर्माण करता है, कोई भी व्यक्ति या समाज विकास और प्रगति पर जा सकता है यदि उस समाज ने अपनी आंतरिक सुरक्षा तथा सामाजिक न्याय पर आधारित आचार-संहिता बना रखी है और व्यक्ति उसका अनुसरण करते हों। आचरण का सीधा संबंध व्यक्ति के चरित्र से होता है या यों कहें कि चरित्र का संबंध आचरण से है। आचरण, वाणी और कर्म से निर्मित होता है। वाणी और कर्म विचार के अधीन होते हैं। विचार बुद्धि के अधीन और बुद्धि कभी तो विवेक के अधीन देखी जाती है तो कभी अहंकार के अधीन। अतः चरित्र निर्माण की क्रिया से ही आचरण के तत्वों का संबंध है—अहंकार, विवेक, बुद्धि, विचार, वाणी तथा कर्म। प्रत्येक मानव के अन्तःकरण में कोई आवाज हर समय सलाह देती पाई जाती है। वह आवाज चाहे विवेक की हो या अहंकार की, हमारे पास बुद्धि के ही माध्यम से आती है। जब यह विवेक के अधीन होकर हमसे आचरण कराती है तो लोग उसे सदाचरण करते हैं और इसके पालन करने वाले को चरित्रवान? जब यही बुद्धि विवेक विरुद्ध, अहंकार के अधीन होकर आचरण कराती है तो उसे दुराचरण कहा जाता है और इनके पालन करने वाला व्यक्ति दुश्चरित्र होता है। यदि व्यक्ति अपना कर्तव्य निभाते समय निम्नलिखित सात प्रवृत्तियों का ध्यान रखता है तो वह सही आचरण वाला व्यक्ति कहा जाता है। वे सात प्रवृत्तियां निम्नलिखित हैं :

1. अविचल आत्मविश्वास,
2. अपनी कथनी की सार्थकता में अडिग आस्था,
3. अपनी संकल्प शक्ति का भरपूर उपयोग
4. अपने भविष्य पर अटूट निष्ठा
5. अंतःकरण में अन्तः उत्साह
6. आलस्य रहित होना और
7. संपूर्ण सामर्थ्य तथा संपूर्ण कौशल से समस्त कार्यों को करने की प्रवृत्ति।

निर्धारित पद्धति के प्रतिकूल आचरण करना दुराचरण है और ऐसा व्यक्ति दुश्चरित्र व्यक्ति कहलाता है। जब पेट, हृदय, जिगर, फेफड़े आदि अंग अपने-अपने निर्धारित आचरणों को चुस्ती से सम्पादित करते हैं तो शरीर बलवान और अपने अस्तित्व के उद्देश्य को पूरा करने में समर्थ होता है। इनमें से कोई भी एक अंग अपने आचरण में थोड़ी से भी शिथिलता लाता है तो संपूर्ण शरीर भी बेकार सा होने लगता है। यही बात पुलिस विभाग पर भी लागू होती है। यदि एक भी पुलिसकर्मी गलत आचरण करता है तो कार्य प्रणाली में रुकावट हो जाती है और पुलिस की बदनामी होती है।

भारतवर्ष में पुलिस प्राचीन काल में गुप्तचर का कार्य करती थी। ब्रिटिश सरकार ने पुलिस का संगठन अपने स्वार्थ के लिए किया। पुलिस के बलबूते पर अंग्रेजों ने भारत पर राज किया। ब्रिटिश शासन में पुलिस

आचरण के सिद्धांतों की आवश्यकता नहीं समझी गई। भारत में प्रजातांत्रिक सरकार होने के कारण ब्रिटिश शासन की पुलिस के रवैये में परिवर्तन लाने के लिए आज तक प्रयत्न चल रहे हैं। यही कारण था कि 1960 में एक समिति बनाई गई और पूरे देश की पुलिस के लिए पुलिस आचरण संहिता तैयार की गई। पुलिस आचरण संहिता से तात्पर्य पुलिस बल में कर्तव्यपरायण, आज्ञापालन और अनुशासन को प्रोत्साहन करने के लिए मार्ग दर्शन करने वाले नियमों की उस सूची से है जो पुलिस कर्मियों के व्यवहार, चरित्र और व्यक्तित्व का निर्माण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

प्रत्येक समाज या संस्था में कार्यरत व्यक्तियों के काम करने का अपना एक विशिष्ट तरीका होता है, जो संगठन के व्यक्तियों के व्यवहार, चरित्र एवं विशिष्ट योग्यताओं की पहचान कराता है। उस समाज या संस्था के अपने मूल्य एवं आदर्श होते हैं जो सैद्धांतिक रूप से सर्वमान्य होते हैं। इन मूल्यों एवं आदर्शों की नियमावली को आचार संहिता के नाम से जाना जाता है। जिससे कि संस्था में आज्ञा पालन, कर्तव्यपालन एवं अनुशासन को बढ़ावा देते हुए व्यक्तिगत एवं विभागीय कार्यकुशलता को अधिक से अधिक मात्रा तक बढ़ाया जा सके और प्रशासनिक उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके।

पुलिस आचरण

वैसे तो कोई भी विभाग ऐसा नहीं दिखाई पड़ता जिसमें उसका कर्मचारी उस विभाग द्वारा प्रतिपादित आचार संहिता का पूर्ण रूप से पालन करता हो और पुलिस भी उसका अपवाद नहीं है। प्रत्येक विभाग और समाज की आचार संहिता होती है जिसके पालन करने से उस विभाग और समाज की छवि में निखार आता है और कार्य भी सुचारु रूप से चलता है। पुलिस विभाग में प्रायः देखा गया है कि छोटी श्रेणी के पुलिसकर्मी आचार संहिता को ताक पर रखकर काम करते हैं। गाली देना, मार-पीट करना, डंडा घुमाना, दुर्व्यवहार करना, जनता के व्यक्तियों को बेइज्जत करना आदि रोजमर्रा की जिंदगी उनके आचरण के हिस्से बन जाते हैं। कालान्तर में ये उनकी आदतें बन जाती हैं जिससे वह सामान्य पुलिसकर्मी न रहकर अपने आप में एक कारण बन जाता है जो पुलिस की छवि को धूमिल करता है। आज प्रत्येक पुलिसकर्मी को यह अवश्य सोचना चाहिए कि वह ब्रिटिशकाल का पुलिसकर्मी नहीं है। वह स्वतंत्र भारत के प्रजातांत्रिक एवं कल्याणकारी देश का नागरिक है और उसकी नियुक्ति जनसेवक के रूप में हुई है न कि शासक के रूप में।

अच्छे आचरण से अभिप्राय पुलिस बल में कर्तव्य, आज्ञा पालन, अनुशासन तथा दूसरों के अधिकारों को ध्यान में रखकर कर्म करना है। अर्थात् प्रत्येक पुलिसकर्मी को अपने विभाग द्वारा निर्धारित परिसीमाओं के अंदर रहकर कानून के अनुसार, मानवाधिकारों को ध्यान में रखकर कार्य करना चाहिए। इसका उल्लंघन करने पर आम जनता को तकलीफ होती है। वे नियम जिन पर चलकर पुलिस कर्मी का व्यवहार, चरित्र और व्यक्तित्व बनता है, वह कालान्तर में उसके आचरण में परिवर्तित हो जाता है। अतः पुलिस एवं समाज दोनों को ही अपने-अपने मूल्यों तथा आदर्शों को दृष्टिगत रखते हुए कार्य करना चाहिए।

प्रजातांत्रिक देश में पुलिस के आचरण को ब्रिटिश शासन के पुलिसकर्मी के आचरण से एकदम भिन्न रखने की आवश्यकता महसूस की गई है। देश में आजादी के बीस साल बाद यह आवश्यकता महसूस हुई कि देश के प्रजातांत्रिक स्वरूप को ध्यान में रखते हुए पूरे देश की पुलिस के लिए कुछ आचरण के सिद्धांतों का निर्माण किया जाना चाहिए जिससे कि पुलिस कर्मियों का व्यवहार, कर्तव्यपरायणता, छवि और गौरव बढ़ाया जा सके।

आज समय आ गया है कि पुलिस कर्मी की बहुमुखी प्रतिभा जैसे—एक वकील, डाक्टर, इंजीनियर, समाज सुधारक, शिक्षक, मनोवैज्ञानिक, प्रबंधक, अपराध शास्त्री

एवं जनसंपर्क अधिकारी व्यक्तित्व वाली होनी चाहिए। तभी जनता का विश्वास जीता जा सकता है और सहयोग की आशा की जा सकती है।

निष्कर्ष रूप से हर पुलिस कर्मी को कम से कम निम्न आचरण का प्रदर्शन करना चाहिए :

1. हर पुलिस कर्मी को निष्पक्षता और बिना भेद-भाव के अपने कर्तव्य को निभाना चाहिए।

2. हर वर्ग के व्यक्ति को उचित सम्मान देना चाहिए, मधुर वाणी का प्रयोग करना चाहिए। कहा गया है कि "कौवा किसका धन हर लेता, कोयल किसको दे देती है, केवल मीठे बोल सुनाकर, वश में सबको कर लेती है।"

3. पुलिस कर्मियों को जनता के साथ बहस नहीं करनी चाहिए और उचित कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए।

4. शिष्टता एवं भद्र व्यवहार से जनता का दिल जीतना चाहिए और उन की मदद करनी चाहिए तथा औरतों और बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए। यदि जनता का कोई व्यक्ति तुम्हारा अपमान करे या क्रोध करे तो ऐसी स्थिति में संयम और आत्मनियंत्रण रखना चाहिए और उसके खिलाफ जो कानूनी कार्रवाई बनती है, अमल में लानी चाहिए।

5. आचरण के सिद्धांतों को अपनाना चाहिए।

6. समय का सदुपयोग करना चाहिए तथा आधुनिक पुलिस से संबंधित ज्ञान हासिल करना चाहिए। नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए और बदनामी से डरना चाहिए।

7. मिल-जुलकर काम करने की भावना को बढ़ावा देना चाहिए।

8. अपराधों की रोकथाम करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए।

9. ईमानदारी का प्रदर्शन करना चाहिए और भ्रष्टाचार का विरोध करना चाहिए।

10. हर पुलिस कर्मी को समझना चाहिए कि उसका जीवन समाज के लिए समर्पित है और समाज की सेवा करना उसका प्रथम कर्तव्य है।

सदाचरण बनाम चरित्र निर्माण

पहले भी यह बात स्पष्ट की जा चुकी है कि मनुष्य का चरित्र उसके आचरण से दृष्टिगोचर होता है या यूं कहिए कि आचरण से किसी व्यक्ति के चरित्र का पता चलता है। अतः आचरण निर्माण के लिए चरित्र निर्माण परम आवश्यक है क्योंकि लोगों में एक अच्छा पुलिसकर्मी उसी स्थिति में नैतिक प्रभुत्व प्राप्त कर सकता है जब उसका चरित्र अच्छा हो। रोज के क्रियाकलापों में पुलिसकर्मी बहुत से व्यक्तियों के संपर्क में आता है। अतः उसका आचरण उन व्यक्तियों के साथ अच्छा, फलदायक एवं भलाई करने वाला होना चाहिए। यदि पुलिसकर्मी स्वयं चरित्रवान है तो स्वाभाविक है कि उसका आचरण भी ठीक होगा और उसी स्थिति में जनता भी उससे प्रभावित होगी तथा सहयोग के लिए तत्पर होगी। अतः पुलिसकर्मी के नैतिक चरित्र का निर्माण होना बहुत जरूरी है।

एक अच्छे पुलिसकर्मी का चरित्र कैसा होना चाहिए यह विभाग द्वारा निर्धारित आचार संहिता तथा खुद पुलिसकर्मी के अपने गुण जैसे ईमानदारी, विश्वसनीयता, कर्तव्यपरायणता, जनसेवक की भावना, देश-प्रेम, पद-प्रतिष्ठा, आत्मविश्वास और साहस आदि हैं। इसके अतिरिक्त एक अच्छे चरित्रवान व्यक्ति को दयालु, विचारशील, शिष्टाचारी, धैर्यवान, खतरे का सामना करने वाला और निष्पक्ष होना चाहिए। एक अच्छा पुलिसकर्मी कभी भी अपने अपमान के लिए गुस्सा नहीं दिखाता बल्कि धैर्य, शिष्टता और सभ्यता का परिचय देता है। उपेक्षा की भावना एक अच्छे पुलिसकर्मी में नहीं आनी चाहिए बल्कि उसे सहायता के लिए तुरंत तैयार रहना चाहिए।

चरित्र क्या है?

चरित्र व्यक्तिगत गुणों का वह भंडार है जो व्यक्ति के आचरण के उपरांत उजागर होता है। अतः चरित्र के

ऊपर वंशानुक्रम तथा बाह्य, सामाजिक, राजनैतिक, प्राकृतिक तथा आर्थिक परिस्थितियों का प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि चरित्र, व्यक्ति के अंदर निहित मानसिक तथा नैतिक दशाओं का भंडार है जो आचरण के बाद एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्नता प्रकट करता है। व्यक्ति के चरित्र पर उसके वंश और वातावरण का असर पड़ता है। वंश से उसके चारित्रिक गुण स्वतः ही उसमें समाहित होते हैं जबकि बाह्य वातावरण से कुछ गुण वह अर्जित करता है। लेकिन अधिकांशतः यह देखा गया है कि व्यक्ति के चरित्र पर सामाजिक, पारिवारिक, आर्थिक, समसामयिक तथा राजनैतिक परिस्थितियों का असर बहुत पड़ता है। यह सब किसी भी व्यक्ति के ग्रहण करने की शक्ति पर निर्भर करता है। वह बचपन में मां-बाप, भाई-बहन परिवार के अन्य सदस्य, पड़ोसी तथा स्कूल में जाने पर अध्यापक, अन्य बच्चे और समाज से गुण और अवगुण दोनों ही ग्रहण करता है। कुछ गुण व्यक्ति अनुभव से सीखता है। अतः चरित्र निर्माण के लिए अच्छी परिस्थितियों का होना अति आवश्यक है।

1. अनुशासन : चरित्र निर्माण के लिए अनुशासन बहुत महत्वपूर्ण है अनुशासन कोई थोपने की वस्तु नहीं है। यह आत्मा से पल्लवित होता है। अनुशासन घर, बाहर, विद्यालय, समाज, खेल, नौकरी आदि सभी में निहायत जरूरी है। यह सही है कि अनुशासन कठोरता से नहीं थोपा जा सकता, लेकिन यह भी सही है कि— "भय बिन, होय न प्रीति" अर्थात् भय के बिना अनुशासन नहीं होता। अनुशासन बचपन से ही सीखा जाता है। अतः बच्चे को शुरू से ही आत्मविश्वास की शिक्षा देनी चाहिए तथा अनुशासन का पालन करने की आदत डलवानी चाहिए। पुलिस विभाग तो अनुशासन के बिना चल ही नहीं सकता। अतः प्रत्येक पुलिसकर्मी को अनुशासित होना अति आवश्यक है। सामान्य रूप से पुलिस में अनुशासित होने से तात्पर्य है, पुलिस के आचरण के सिद्धांतों को मानना।

2. शिक्षा : चरित्र निर्माण के लिए तथा जीवन में सफल होने के लिए शिक्षा हासिल करना परमावश्यक है। कहा गया है "ऋते ज्ञानात् न मुक्तिः।" अर्थात ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं है। ज्ञान के उपयोग, साधनों, नेतृत्व एवं कौशल की प्राप्ति के द्वारा ही चरित्र का निर्माण होता है। किसी भी चीज का ज्ञान तभी सार्थक है जब उसका इस्तेमाल भी आता हो। पुलिस विभाग में लोगों को कानूनी पहलुओं को सीखना चाहिए तथा दुर्व्यवहार, रिश्वत लेना, काम चोरी अपने चरित्र में से निकाल देनी चाहिए। प्रशिक्षण में आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता और जनता का विश्वास जीतने की क्षमता का विकास करना चाहिए।

इसके अतिरिक्त सहनशक्ति और शिष्टाचार, ईमानदारी और सत्यता, निष्पक्षता और निष्कपटता, निर्णय लेने की योग्यता, साहस और आत्मविश्वास, साख व विश्वसनीयता, प्यार व सहानुभूति—इन सभी घटकों की भी अनिवार्यता होनी चाहिए। तात्पर्य यही है कि किसी भी समस्या के आने पर शीघ्र विवेक और बुद्धि का इस्तेमाल करके समस्या का समाधान सोचना तथा सही निर्णय लेकर निदान करना। इस प्रकार यदि पुलिसकर्मी में समय पर निर्णय लेने की क्षमता, आत्मविश्वास और निष्पक्षता के गुण सम्मिलित हो जाते हैं तो उसे उच्च स्तर का व्यक्ति कह सकते हैं।

इस प्रकार हम देखते हैं कि व्यक्ति का चरित्र उसका आईना होता है जो उसके व्यक्तित्व को उजागर करता है। आप का चरित्र यदि अच्छा है तो आप समाज में सम्मान के योग्य होंगे और पूजनीय भी। दुनिया आपको आदर के साथ सुनेगी। अतः अपने चारित्रिक गुणों के आधार पर अच्छे आचरण का अनुसरण करके जनता का सहयोग ले सकते हैं और सही मायनों में देश की सेवा कर सकते हैं तथा पुलिस छवि में भी चार चांद लगा सकते हैं।

खेलों में पुलिस आचरण

संसार में सर्वत्र, विशेष रूप से युवा जगत में, खेल-कूद तथा खेलों की प्रतियोगिताएं पुराने समय से मानव जीवन का एक अभिन्न अंग बनी हुई है। खेलते समय हमें खेल को खेल की भावना से खेलना चाहिए। ऐसा ही नियम सदी से बनाया गया है।

खेल की भावना का तात्पर्य किस विशेष भावना से है, यह आज तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। सामान्यतः हर व्यक्ति खेल के मैदान में जीतने के ही इरादे से उतरता है। अतः यह आशा करना कि वह हार कर खुश होगा, ऐसा नहीं लगता। हालांकि खेल की भावना का तकाज़ा यही बताया गया है कि हार हो या जीत, खिलाड़ी को मुस्कराते रहना चाहिए।

श्री बी. पी. सिंघल, आई.जी.पी. (रिटायर्ड) बताते हैं कि खेल की भावना का अर्थ है—"नितांत ईमानदारी और पूरी मेहनत से खेलना, रेफरी या अंपायर के निर्णय को अत्यन्त शालीनता से स्वीकार करना, यदि खेल में हार जाए तो चेहरे पर किसी भी प्रकार की खिन्नता या असहिष्णुता का भाव न आने देना, अपितु संभव हो तो चेहरे पर मुस्कुराहट बनाए रखना तथा जीत होने पर किसी प्रकार के अहंकार को न आने देना बल्कि हो सके तो विनम्रता का आचरण करना।" वे पुनः लिखते हैं कि खेल का मैदान ऐसी शिक्षाएं देने वाला स्थान है कि यदि खेलते समय उन समस्त शिक्षाओं को ग्रहण कर लिया जाए तो संपूर्ण जीवन ही सार्थक हो सकता है क्योंकि खेल के मैदान की शिक्षा कक्षा में प्राप्त होने वाली शिक्षा से कई गुणा महत्वपूर्ण होती है। इससे शरीर का निर्माण, नियमों का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने की आदत, नियमों के अंदर रहने की आदत, अपने कौशल को प्रदर्शन करने का मौका, अपनी श्रेष्ठता के आधार पर जीतना, अपनी शक्ति का अवलोकन यथार्थ पर आधारित होना, प्रतिद्वंद्वी के प्रति सम्मान रखने की प्रवृत्ति, रैफरी द्वारा पकड़े गए दोषों को मुस्कराते हुए मानना, अपने लक्ष्य को ध्यान में रखना, टीम के सदस्यों के साथ सहयोग करना और सहयोग पाना, परिणाम को भाग्य पर न छोड़ना तथा संकल्प शक्ति का प्रयोग करना आदि।

इस प्रकार हम कह सकते हैं कि खेल की भावना नियमों से आबद्ध है जिसमें खिलाड़ी हार जीत की लड़ाई से ऊपर उठकर अच्छे खेल का प्रदर्शन करता है। अतः खिलाड़ी के समक्ष उसका कर्म सर्वोपरि होता है। कर्म के आधार पर करुणा, मैत्री और सहानुभूति की भावना के साथ खेल खेलना ही खेल भावना कहलाता है। खेल भावना में भाषा, जाति, धर्म, सम्प्रदाय या राष्ट्र की सीमाएं नहीं होती। इसमें "वसुधैव कुटुम्बकम्" की भावना को प्रमुख माना जाता है। राष्ट्रीय एकता को कायम रखने का यह प्रभावशाली माध्यम है।

प्रत्येक पुलिसकर्मी अपने इस रूप के अलावा एक नागरिक और खिलाड़ी भी होता है। अपने कर्तव्य के अलावा उसके हृदय में खेलों की भावना होना भी आवश्यक है। यह आवश्यक नहीं कि हर खिलाड़ी हर खेल खेले लेकिन उसे कोई न कोई खेल अवश्य खेलना चाहिए जिससे उसके मन का बोझ हल्का हो जाता है। पुलिस प्रशिक्षण में भी इस बात पर जोर दिया जाता है कि पुलिसकर्मी को कोई न कोई खेल अवश्य खेलना चाहिए जिससे कि उसका शारीरिक एवं मानसिक विकास हो सके तथा खेल की भावना जागृत हो सके और खेलों के आयोजन के समय अपना कर्तव्य भली–भांति निभा सके।

पुलिस खेलों का आयोजन कई स्तरों पर होता है जैसे जिला, राज्य, राष्ट्र तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर। अतः एक पुलिस अफसर के दिल में खेल एवं राष्ट्रीय एकता की भावना कूट-कूट कर भरी होनी चाहिए। खेलों के अवसर पर पुलिस को ईमानदारी, निष्ठा, साहस, योग्यता, विनम्रता, आज्ञाकारिता आदि का पालन करना चाहिए। एक अच्छा खिलाड़ी होने के लिए उसमें मित्रता की भावना, करुणा एवं सहानुभूति, मीठा बोलना, विश्वबंधुत्व

की भावना, ईमानदारी, संघर्ष एवं साहस, समर्पण आदि की भावना होनी चाहिए। इनको अपने जीवन का लक्ष्य अवश्य ही बनाना चाहिए। खेलों के आयोजन राष्ट्र एकता को सुदृढ़ करते हैं। अतः निष्पक्षता एवं स्वार्थहीनता की भावना से परे होकर खेल खेलना चाहिए। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि एक पुलिस अफसर में वे सभी गुण समाविष्ट होने चाहिए जो खेल की भावना का विकास करते हैं और अपना कर्तव्य निभाने में भी मदद करते हैं। अतः पुलिस को अपना आचरण सही और शिष्टतापूर्ण रखना चाहिए। ऐसे समय पर किसी का भी पक्षपात, भेदभाव या तरफदारी नहीं करनी चाहिए और कर्म को प्रधान मानते हुए उसको जी-जान से निभाना चाहिए।

सांस्कृतिक आयोजनों में पुलिस आचरण

भारतवर्ष में विभिन्न भाषा-भाषी तथा धर्मों के मानने वाले व्यक्ति निवास करते हैं। यहां सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से छोटे-बड़े, गरीब-अमीर, कमजोर-शक्तिशाली तथा हिंदू-मुस्लिम, सिख-ईसाई रहते हैं। हमारा देश चूंकि एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, अतः यहां हर व्यक्ति को समानता, स्वतंत्रता, शिक्षा एवं सांस्कृतिक तथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है। संविधान के अनुच्छेद 14-18 में समानता का अधिकार, 19-22 में स्वतंत्रता का अधिकार, 25-28 में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार और अनुच्छेद 29-30 में शिक्षा तथा सांस्कृतिक अधिकार दिया गया है। भारत का प्रत्येक नागरिक और समाज अपनी भाषा व लिपि को बचाए रखने के लिए देश के किसी भी भाग में शिक्षा प्राप्त कर सकता है तथा अल्पसंख्यक वर्ग अपनी भाषा, लिपि तथा संस्कृति को बनाए रखने तथा बचाए रखने के लिए संस्थाएं बना सकता है परंतु ये संस्थाएं राजनीति से प्रेरित नहीं होनी चाहिए अन्यथा उनकी आर्थिक सहायता बंद की जा सकती है।

विभिन्न धर्म और भाषाओं का देश होने के कारण प्रत्येक मानव समूह अपनी संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न त्योहारों, मेलों, सांस्कृतिक आयोजनों का इस्तेमाल करता है। ये सांस्कृतिक आयोजन चूंकि धर्म, जाति, भाषा, लिपि, सामाजिक रीति-रिवाज की भिन्नता पर निर्भर करते हैं, अतः इनमें साम्प्रदायिकता का पुट होता है। संस्कृति में धर्म के आधार पर विभिन्नता पाई जाती है। भारत में प्रमुख सांस्कृतिक आयोजन है रामलीला, कृष्णलीला, दुर्गापूजन, गणेशपूजन, क्रिसमस डे, ईद, गुरु पर्व आदि। कभी-कभी सांस्कृतिक आयोजन लीलाओं और नाटकों के माध्यम से किए जाते हैं। इन आयोजनों को देखने के लिए बहुत बड़ी मात्रा में सभी धर्मों के व्यक्ति आते हैं। काफी संख्या में दर्शक होते हैं। ऐसे मौकों पर पुलिस को निम्न प्रकार का आचरण करना चाहिए :

1. पुलिसकर्मियों को आचरण के सिद्धांतों को ध्यान में रखना चाहिए तथा अनुशासन का पालन करना चाहिए।

2. पुलिसकर्मियों को चुस्त होना चाहिए तथा साफ-सुथरी वर्दी पहननी चाहिए।

3. पुलिसकर्मी को सांस्कृतिक आयोजनों में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहिए और अपने कर्तव्य का पालन तन और मन से करना चाहिए।

4. ऐसे आयोजनों में पुलिस कर्मियों को भाग लेना चाहिए जिससे कि पुलिस जनता के निकट आ सके और वक्त पड़ने पर जन-सहयोग प्राप्त किया जा सके।

5. पुलिसकर्मी को किसी भी धर्म के प्रति बुरा नहीं बोलना चाहिए और न ही उसकी आलोचना करनी चाहिए। सिर्फ अपने कर्तव्य से सरोकार रखना चाहिए।

6. पुलिसकर्मियों को मधुर वाणी का प्रयोग करना चाहिए तथा अच्छे व्यवहार और शिष्टाचार से बर्ताव करना चाहिए। पुलिसवालों को यह समझना चाहिए कि दूसरे व्यक्ति भी तुम्हारे मां-बाप, भाई-बहन की तरह ही हैं।

7. कानून और व्यवस्था बनाये रखने के लिए अपने विवेक तथा बुद्धि से काम करना चाहिए। आवश्यकता पड़ने पर विवेकानुसार बल प्रयोग करना चाहिए।

8. इस प्रकार के मौकों पर आई भीड़ संगठित नहीं हाती है लेकिन एक खास भावना लिए हुए होती है। अतः भावना को ठेस पहुंचाने वाली कोई भी बात अपने मुंह से बाहर नहीं निकालनी चाहिए।

9. ऐसे अवसरों पर अफवाहें नहीं फैलने देनी चाहिए, इन्हें रोकना चाहिए। यदि ऐसा नहीं करते तो बलवा फैलने का भय रहता है।

स्कूल और कालेजों में पुलिस आचरण

स्कूल और कालेज वे शिक्षा संस्थान हैं जिनमें भारत के भावी नेता, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री, ब्यूरोक्रेट्स (बड़े अधिकारीगण) या लैक्चरर बन कर निकलते हैं। ये स्थान पूजनीय होते हैं। स्कूल स्तर पर पुलिस के लिए अधिक सिरदर्दी नहीं होती है क्योंकि इस स्तर पर अध्यापकों का अंकुश व असर बच्चों पर अधिक होता है। बच्चों में उच्छृंखलता भी पाई जाती है और कभी-कभी कुछ लड़के स्कूल के बाहर खड़े होकर लड़कियों पर फब्तियां कसते हैं जिससे वातावरण गंदा हो जाता है और बच्चों में झगड़ा हो जाता है, कभी-कभी तो चाकू भी चल जाते हैं लेकिन आमतौर पर कोई खास कानून व शांति की समस्या नहीं आती है। लेकिन फिर भी स्कूल की छुट्टी होने व स्कूल लगने के समय कम से कम एक पुलिसकर्मी स्कूल के इर्द-गिर्द अवश्य होना चाहिए।

कालेजों में पहुंचते-पहुंचते विद्यार्थी परिपक्व हो जाते हैं और महसूस करने लगते हैं कि वे अब बड़े हो गए हैं। अतः इनमें सहनशक्ति कम हो जाती है। कभी-कभी छोटी-छोटी बातों को लेकर झगड़ पड़ते हैं। कालेज के अध्यापकों का सरोकार भी सिर्फ पढ़ाने तक ही सीमित रहता है। बच्चा किधर किस राह पर जा रहा है, उन्हें इससे कुछ लेना देना नहीं होता है। अतः आजकल कालेजों का माहौल खराब होता जा रहा है। आए दिन दाखिले की घपलेबाजी, सीटों का आरक्षण, परीक्षा शुल्क में वृद्धि, विद्यार्थी चुनाव, शिक्षक, तबादले, शिक्षा संस्थान का नामकरण, कालेज में साधारण अपराध के लिए कड़ी अनुशासनिक कार्रवाई आदि को लेकर छात्रों में असंतोष होता रहता है और झगड़े घटित होते रहते हैं जिनसे पढ़ाई का माहौल दूषित होता है। युवा वर्ग शीघ्र ही संगठित हो जाता है और ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। दूसरे आज की शिक्षा रोजगार के लिए नहीं है। अतः बेरोजगारी बढ़ रही है और असंतोष की भावना विद्यार्थियों में अधिक पाई जाती है। कालेज और महाविद्यालयों में चुनाव के समय भी वातावरण काफी तनावपूर्ण होता है। स्कूल और कालेजों में पुलिस को अपना आचरण निम्न प्रकार का रखना चाहिए :

1. स्कूल और कालेजों की समस्याओं से पुलिसकर्मी को अवगत रहना आवश्यक है। अतः इन संस्थानों में आते जाते रहना चाहिए तथा शिक्षकों व प्रधानाचार्यों से संपर्क बनाए रखना चाहिए।

2. इन संस्थानों में आयोजित सांस्कृतिक व शैक्षणिक आयोजनों में पुलिसकर्मियों को सहयोग प्रदान करना चाहिए या देखने और इंतजाम के लिए जाना चाहिए।

3. जब तक प्रधानाचार्य न कहे, पुलिस को वर्दी में इन संस्थानों में नहीं जाना चाहिए।

4. झगड़ों की स्थिति में पुलिस को अपना कार्य सतर्कता से करना चाहिए अनावश्यक बल प्रदर्शन व प्रयोग नहीं करना चाहिए।

5. यदि कभी छात्र प्रदर्शन करते हैं तो पुलिस को धैर्य व हिम्मत से काम लेना चाहिए। इनके साथ शिष्टाचार, विनम्रता से पेश आना चाहिए और सद्व्यवहार करना चाहिए।

6. इनके साथ छोटे भाई-बहनों व मित्रों की तरह व्यवहार करना चाहिए। ऐसा करके इनका विश्वास जीता जा सकता है।

7. छात्र नेता से ताल-मेल ठीक रखना चाहिए

क्योंकि छात्र अपने नेता की बात ज्यादा मानते हैं जिससे समझाने में आसानी रहती है।

8. पुलिस को निष्पक्षतापूर्ण व्यवहार करना चाहिए और किसी भी सूरत में खुद पार्टी नहीं बनना चाहिए।

9. जहां कालेज व महाविद्यालय हैं, वहां अच्छे पढ़े-लिखे, धैर्यवान, शिष्टाचार वाले पुलिसकर्मियों को तैनात करना चाहिए, जिससे वे छात्रों व अध्यापकों का मन जीत सकें।

10. सांस्कृतिक आयोजनों, खेलों के दौरान सादा कपड़ों में जाना चाहिए वैसे अन्य दिनों में भी चक्कर लगाते रहना चाहिए और स्वच्छ वातावरण बनाने में मदद करनी चाहिए।

प्रजातांत्रिक राज्य में पुलिस की भूमिका

पुलिस का कर्तव्य लोगों में सुरक्षा की भावना बनाए रखना और जिन बातों से लोगों में असुरक्षा की भावना पैदा होती है, उन्हें रोकना है। दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि पुलिस का काम आंतरिक शांति व व्यवस्था बनाए रखना तथा कानून व नियमों को तोड़ने वालों या उनका पालन न करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई करना है। पुलिस प्रशासन का अंग है और उसका काम कानून का पालन करवाना है। पुलिस के इस काम के दो पहलू हैं—एक, ऐसा प्रबंध करना कि कानून का पालन हो और दो, यदि कानून का उल्लंघन करके कोई झगड़ा, दंगा, अन्याय, अत्याचार अथवा चोरी-डकैती करता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो। यह काम बड़ी जिम्मेदारी का है। जिस देश या राज्य में पुलिस की व्यवस्था जितनी अच्छी होती है, उस देश या राज्य में उतनी ही अधिक स्थिरता रहती है।

सैद्धांतिक दृष्टि से तो पुलिस का काम एक जैसा ही होता है, राज्य चाहे लोकतांत्रिक हो या तानाशाही किन्तु व्यवहार में दोनों में पुलिस की भूमिका अलग-अलग होती है। तानाशाही शासन में तानाशाह जनता के कल्याण की नहीं बल्कि अपनी कुर्सी की चिंता करता है। अपनी कुर्सी बचाने हेतु वह पुलिस से नाज़ायज काम कराता है और जनता पुलिस के अत्याचारों का शिकार होती है। भारत में जब अंग्रेजों का शासन था तो अंग्रेज अपनी सरकार के हितों की रक्षा के लिए पुलिस की सहायता लेते थे और इसी कारण उन दिनों पुलिस को जालिम, अत्याचारी और निरंकुश समझा जाता था। लोग पुलिस को अपना रक्षक नहीं बल्कि भक्षक मानते थे। पुलिस जनता पर मनमाने अत्याचार करती थी और जनता की आवाज को कुचल देती थी। उस समय पुलिस की मनोवृत्ति ऐसी ही थी। मानो वह अंग्रेजों की समर्थक और जनता की शत्रु थी।

आज के प्रजातांत्रिक शासन के अंतर्गत पुलिस जन-सेवा के अनेक कार्य करती है। यद्यपि उसका सबसे प्रधान कार्य जनता के जान-माल की रक्षा करना और शांति बनाए रखना है। किंतु आज स्थिति यह है कि कठिनाई में फंसा प्रत्येक व्यक्ति तुरंत पुलिस का दरवाजा खटखटाता है। मौके पर पुलिस सरकार की प्रतिनिधि होती है। पुलिस शांति की प्रतीक और शांति भंग करने वालों की शत्रु है। पुलिस जन सेवा के अनेक कार्य करती है, जैसे ट्रैफिक कंट्रोल करना, रात्रि के समय बस्तियों में गश्त करना, नवागन्तुकों का मार्ग-दर्शन करना, भटके या खोये हुए बच्चों को उनके मां-बाप के पास पहुंचाना इत्यादि। अपराध हो जाने पर पुलिस दुर्घटना स्थल पर और अन्यत्र भी उसकी जांच करती है। कई बार अपराधी भाग, छिपकर फरार या लापता हो जाता है, पुलिस उसे ढूंढ निकालती है। चोर, डाकुओं को पकड़ने, दंगों से निपटने, अपराधियों को पकड़ने के लिए पुलिस जासूसी का भी काम करती है। ऐसी परिस्थितियों में और हथियारों से लैस चोर-डाकुओं का सामना करने में पुलिस की जान को खतरा रहता है किंतु पुलिस अपनी जान की परवाह न करके अपने कर्तव्य का पालन करती है।

पुलिस प्रशासन का ऐसा अंग है, जिसका जनता के साथ सीधा और सबसे अधिक संबंध होता है। जनता के

प्रत्येक वर्ग का व्यक्ति पुलिस की सेवाओं का उपयोग करता है।

प्रजातांत्रिक राज्य में पुलिस से कुछ अपेक्षाएं की जाती हैं, जैसे—

1. लोगों में सुरक्षा की भावना बनी रहे।

2. लोग पुलिस को रक्षक मानें और पुलिस की कार्यकुशलता तथा कर्तव्यनिष्ठा में उनका विश्वास बना रहे।

3. पुलिस यह मानकर चले कि उसका काम कानून का पालन करवाना है, किंतु वह खुद कानून से ऊपर नहीं है।

4. पुलिस न स्वयं अत्याचारी बने और न सरकारी अनाचार-अत्याचार का माध्यम बने।

5. पुलिस समाज-विरोधी और राष्ट्र-विरोधी तत्वों को कुचल कर समाज व राष्ट्र के हितों की रक्षा करे।

6. पुलिस रिश्वत, काला बाजारी, तस्कर, व्यापार आदि के मामलों में उचित कार्रवाई करके उन्हें दबाए।

7. पुलिस यह मानकर चले कि जनता की शक्ति सरकार की शक्ति से भी बढ़ी है और प्रजातंत्र में सरकारें बदला करती हैं। अतः उसे सरकार के इशारे पर गैर-कानूनी काम नहीं करने चाहिए।

8. पुलिस ऐसा व्यवहार करे कि लोग उसे हौवा न समझें, उससे डरें नहीं और उसके पास इस आशा से आएं कि पुलिस कानून के माध्यम से उनकी शिकायतों का समाधान करेगी।

9. प्रजातंत्र में पुलिस की भूमिका जनता को सताने या लूटने वाले की नहीं, बल्कि रक्षा करने, सहायता करने और न्याय दिलाने की होनी चाहिए।

10. यदि पुलिस पर से जनता का विश्वास उठ जाए, तो यह प्रजातंत्र के लिए खतरे की घंटी है।

निष्कर्ष रूप में हम यह कह सकते हैं कि प्रजातंत्र में पुलिस को बड़ी रचनात्मक भूमिका निभानी चाहिए। उसे राजनैतिक प्रभाव से मुक्त होकर मानवीय संबंधों के आधार पर जनता की रक्षा करनी चाहिए तथा अपराधों को रोकना चाहिए।

अच्छे पुलिसकर्मी के गुण

भारत एक प्रजातंत्र देश है। अतः पुलिस भी प्रजातांत्रिक स्वरूप को देखकर होनी चाहिए। वह समय बदल गया है जब ब्रिटिश काल में पुलिस का स्वरूप शासन की मदद करना होता था जनता पर विभिन्न प्रकार के अत्याचार ढाए जाते थे, निर्दोषों पर लाठी बरसाई जाती थीं। आज पुलिस ब्रिटिश काल के रवैये को इख्तियार नहीं कर सकती। आज पुलिस का स्वरूप जनसेवक के रूप में होना चाहिए। स्वयं पुलिस शब्द का यदि विश्लेषण किया जाए तो पाएंगे कि उसमें विशिष्ट गुणों का समावेश है। पुलिस शब्द अंग्रेजी के छः अक्षरों से मिलकर बना है—"विनम्र, आज्ञाकारी, निष्ठावान, बुद्धिमान, साहसी और योग्य।"

एक अच्छे पुलिस अफसर में उपरोक्त गुणों के अतिरिक्त कुछ अन्य गुण भी होने चाहिए जिससे कि वह अपना कर्तव्यपालन सुचारु रूप से निभा सके। एक अच्छे पुलिसकर्मी में निम्नलिखित गुण होने चाहिए :

1. विनम्रता : विनम्रता एक ऐसा गुण है जो दूसरे के पतन एवं क्रोध को समाप्त करता है तथा गुस्से में आए व्यक्ति को शीतलता प्रदान करता है। विनम्रता सही निर्णय देने में मदद करती है तथा सभी को शांति प्रदान करती है। एक अच्छे पुलिसकर्मी में विनम्रता का गुण होना इसलिए आवश्यक है क्योंकि वह अक्सर झुंझलाहट में होता है और मानसिक रूप से परेशान रहता है। परिणामस्वरूप जनता भी खुश नहीं रह पाती है। अतः मानसिक संतुलन बनाए रखने एवं जनहित के लिए प्रत्येक पुलिसकर्मी को विनम्रता का गुण अपने चरित्र में समाविष्ट करना चाहिए।

2. आज्ञाकारिता : प्रत्येक सरकारी कर्मचारी को आज्ञाकारी होना चाहिए। पुलिस विभाग चूंकि एक अनुशासित बल है, अतः इसमें पुलिसकर्मी के चरित्र में

आज्ञाकारित वाला गुण निहायत जरूरी है।

3. निष्ठावान : वर्तमान समय में निष्ठा का स्तर गिरता चला जा रहा है। कोई भी व्यक्ति देश या अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठावान दृष्टिगोचर नहीं है। आज तो व्यक्ति अपने स्वार्थों के प्रति या धनोपार्जन के प्रति या पदार्थवाद के प्रति निष्ठावान दृष्टिगोचर होता है। देश और विभाग के विकास हेतु प्रत्येक नागरिक को तथा खासतौर से पुलिसकर्मी को अपने देश, संविधान, कर्तव्य और उच्च अधिकारियों के प्रति निष्ठावान होना चाहिए। एक सच्चा निष्ठावान व्यक्ति ही अपने कर्तव्य को सही अंजाम दे सकता है। अतः एक अच्छे पुलिसकर्मी को सच्चा देशभक्त और स्वामीभक्त होना चाहिए।

4. बुद्धिमान : यह कथन सत्य है कि बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं है। यदि ज्ञान नहीं है तो उसे बुद्धिमान भी नहीं कहा जा सकता। अतः प्रत्येक पुलिसकर्मी को अपने विभाग से संबंधित तथा समाजशास्त्र का ज्ञान हासिल करना चाहिए। यदि ज्ञान की कमी है तो कोई भी पुलिसकर्मी सही निर्णय नहीं ले सकता और न ही कर्तव्यपालन के साथ सही न्याय कर सकता है। किसी भी समस्या का निपटारा बारीकी से विश्लेषण करके बुद्धिमानीपूर्वक सही योग्यता का परिचय देते हुए करना चाहिए।

5. साहसी : प्रत्येक पुलिसकर्मी को साहसी व्यक्ति होना चाहिए क्योंकि आए दिन रोज़मर्रा की जिंदगी में कोई न कोई कठिन परिस्थिति एवं घड़ी आती रहती है जिसका निदान करने हेतु साहस की आवश्यकता होती है। खतरों से खेलने की आदत एक पुलिसकर्मी को बना लेनी चाहिए।

6. योग्य : प्रत्येक पुलिसकर्मी को एक योग्य, शिक्षित तथा सभ्य व्यक्ति होना चाहिए। योग्यता का पैमाना, खराब परिस्थितियों में भी सही निर्णय लेकर सही कर्तव्य पालन करना है।

7. विभागीय एवं कानूनी जानकारी : एक अच्छे पुलिसकर्मी को विभाग के नियम, आदेश, विभाग की आचार संहिता आदि का ज्ञान होना अति आवश्यक है। प्रतिदिन की जिंदगी में प्रत्येक पुलिसकर्मी को कदम-कदम पर कानून के नियमों की आवश्यकता पड़ती है। अतः उसको कानून का ज्ञाता होना चाहिए। साथ ही समय के साथ-साथ जो कानून में परिवर्तन आते हैं उनको भी नियमित रूप से सीखते रहना चाहिए।

8. बहुमुखी प्रतिभावान : समसामयिक परिस्थितियों को देखते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि आज पुलिस का काम केवल अपराधों की रोकथाम तथा कानून और व्यवस्था ही स्थापित करना नहीं है, बल्कि आज कार्यक्षेत्र बहुत विस्तृत हो गया है। विशिष्ट व्यक्तियों की सुरक्षा, विशिष्ट संस्थानों की सुरक्षा का प्रबंध, विभिन्न प्रदर्शनों में पुलिस व्यवस्था, सामाजिक बुराइयों को दूर करना, जनता के मनोवेगों को समझना, जरूरत पड़ने पर प्राथमिक चिकित्सा उपचार करना, लोगों को शिक्षित करना आदि भी आजकल पुलिस के कार्यों में सम्मिलित होते जा रहे हैं। अतः आज के युग में प्रत्येक कर्मी को एक बहुमुखी प्रतिभावना व्यक्ति होना चाहिए।

9. आत्मसंयमी तथा आत्मविश्वासी : जनता की जागरूकता की वजह से लोगों में कानून का ज्ञान बढ़ता जा रहा है जिससे जनता पुलिस के साथ बहस और बराबरी करने लगती है। कभी-कभी तो लोग इतने उत्तेजित हो जाते हैं कि कई पुलिसकर्मी अपना आत्मसंयम खो बैठते हैं जो वाजिब नहीं है। अतः प्रत्येक पुलिसकर्मी को संयम से काम लेना चाहिए। दूसरे, प्रत्येक पुलिसकर्मी में आत्मविश्वास की भावना कूट-कूट कर भरी होनी चाहिए। यदि आत्मविश्वास नहीं होगा तो वह सही निर्णय नहीं ले सकेगा।

10. निष्पक्षता : प्रत्येक पुलिसकर्मी को अपना कर्तव्य पालन बिना किसी भेदभाव के निष्पक्षतापूर्वक करना चाहिए। उसे अपने दिमाग में जाति, धर्म, समुदाय आदि का भेदभाव अपने दिलोदिमाग में नहीं रखना

चाहिए और एक सच्चे जनसेवक के रूप में अपने कर्तव्यपालन का निर्वहन करना चाहिए।

11. सामाजिकता : प्रत्येक पुलिसकर्मी में सामाजिकता का गुण समाविष्ट होना चाहिए। यह गुण व्यावहारिकता से आता है। अतः प्रत्येक पुलिसकर्मी को व्यवहार कुशल होना चाहिए। आज के युग में सामाजिक और सामुदायिक पुलिस की आवश्यकता है क्योंकि बिना समाज के सहयोग के अपराधों की रोकथाम तथा कानून और व्यवस्था स्थापित करना संभव तो नहीं लेकिन बहुत मुश्किल है। अतः एक अच्छे पुलिसकर्मी को जनता के साथ सहयोग बनाकर चलना चाहिए।

12. अनुशासनप्रिय : पुलिस विभाग का अनुशासनबद्ध विभाग है जिसमें अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जा सकती। यदि अनुशासनहीनता होगी तो कोई भी किसी का कहना नहीं मानेगा और कार्य करना मुश्किल होगा। अतः प्रत्येक पुलिसकर्मी को अनुशासनप्रिय होना चाहिए तथा प्रत्येक कार्य कानून की परिसीमाओं में रहकर करना चाहिए। जनता के अधिकारों का भी ख्याल रखना चाहिए। अनुशासनप्रिय व्यक्ति का व्यक्तित्व अलग से ही चमकता है।

13. दूरदर्शिता तथा कल्पनाशीलता : एक अच्छे पुलिसकर्मी को दूरदृष्टा तथा कल्पनाशील व्यक्ति होना चाहिए जिससे कि वह समस्याओं का पहले से ही अंदाज लगा सके तथा सुलझाने के तरीके सोच सके। साथ ही उस समस्या के परिणामों का भी अनुमान लगा सके तथा सुलझाने के लिए सही निर्णय ले सके।

14. योजनाकार तथा कुशल नेता : एक अच्छे पुलिसकर्मी को एक सफल योजनाकार होना चाहिए। किसी भी समस्या का निदान करने के लिए उसे उचित योजना बना लेनी चाहिए और फिर समस्या का विश्लेषण करके उसके परिणामों के बारे में सोचना चाहिए। दूसरे, योजनाबद्ध कार्य को कराने के लिए एक कुशल नेतृत्व की आवश्यकता होती है जिससे कि वह अपने नेतृत्व में पुलिस कर्मियों को सही दिशा-निर्देश एवं मार्गदर्शन कर सके। यदि एक पुलिसकर्मी सही नेतृत्व एवं मार्गदर्शन करता है तो निश्चय ही उसे और उसकी टीम को सफलता मिलेगी।

इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एक अच्छे पुलिस आफिसर को विनम्र, आज्ञाकारी, निष्ठावान, बुद्धिमान, साहसी, योग्य, ईमानदार, कानून का ज्ञाता, अनुशासनप्रिय, आत्मसंयमी, आकर्षक व्यक्तित्व वाला, चुस्त व चालाक, मिलनसार, धैर्यवान, अच्छी योजना बनाने वाला, नेतृत्व गुण संपन्न, अच्छा नेता और सतर्क होना चाहिए। तभी एक अच्छे पुलिस कर्मी का व्यक्तित्व, एक आदर्श पुलिस व्यक्तित्व कहा जा सकेगा।

❐

मानवाधिकार और पुलिस की भूमिका

राजीव कुमार

ई-105/ए, लाजपत नगर, साहिबाबाद
गाजियाबाद उ.प्र. 201005

मानवाधिकार की अवधारणा का इतिहास बहुत ही पुराना है। 13वीं शताब्दी में ब्रिटेन के राजा और सामंतों के मध्य मैग्नाकार्टा (1215) नामक ऐतिहासिक समझौता हुआ। इनमें से कुछ धाराओं का मुख्य उद्देश्य न केवल ब्रिटेन के सामंतों के विशेषाधिकारों की रक्षा करना था, बल्कि आम व्यक्तियों के हितों की रक्षा करना भी था। सन् 1832 से पहले मानवाधिकारों की धारणा स्पष्ट तौर पर विकसित नही हुई थी। अंग्रेज राजनैतिक विचारक जॉन लॉक ने मानव के प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत अर्थात मानवाधिकारों की धारणा पर बल देकर ठोस आधारशिला रख दी थी। जॉन लॉक ने कहा था कि जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकार मानव को जन्म से प्रकृति द्वारा ही प्रदान किए गए हैं। अतः ये अधिकार व्यक्तित्व के अटूट अंग हैं। मानवाधिकारों को संगठित करने का अंतर्राष्ट्रीय प्रयास 25 दिसम्बर, 1926 को दासता के विरुद्ध हुए विश्व सम्मेलन में सामने आया। सन् 1930 में बलात् श्रम पर सम्मेलन होने के 18 वर्षों बाद 10 दिसम्बर, 1948 को संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने मानवाधिकारों की सार्वजनिक घोषणा की और उनका ऐलान किया।

किसी भी देश के मानवाधिकारों की स्थिति क्या है, इसका अंदाजा वहां की एजेंसियों, पुलिस बल और प्रशासनिक अधिकारियों के कार्य व्यवहार और सरकारी नीतियों को देखकर किया जाता है। लेकिन यदि भारत में इन सभी मानकों पर विहंगम दृष्टि डालें तो इसकी स्थिति बुरी दिखाई देती है। यद्यपि भारत सरकार ने 12 अक्तूबर 1993 को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया था परंतु इसकी स्थापना के समय जो सपने देखे गए थे वे सभी अभी तक लगभग अधूरे ही हैं।

प्रत्येक विकासशील देश के लिए यह अति आवश्यक है कि वहां के सभी नागरिकों को समान अधिकार मिले हों। ये अधिकार सभी स्तरों पर उपलब्ध होने चाहिए। संविधान में मूलभूत अधिकारों की स्थापना करने अथवा कुछ अन्य तत्संबंधी कानून बनाने मात्र से इन मानवाधिकारों की रक्षा नहीं की जा सकती। कानून बनाने से किसी भी समस्या का पूर्ण समाधान नहीं होता है। जब तक संबंधित कानून की जानकारी आम नागरिक तक नहीं पहुंचायी जाती है तब तक समस्या को पूर्णतः समाप्त नहीं किया जा सकता है। किसी भी देश में वहां के नागरिकों को सुरक्षा का दायित्व पुलिस का होता है। शांति और व्यवस्था को कायम करने और कानून को लागू कराने की जिम्मेदारी भी पुलिस की होती है। बदलते परिवेश में परिवर्तित परिस्थितियों के साथ पुलिस की भूमिका पर प्रश्नचिह्न लग गया है। पुलिस द्वारा अमानवीयतापूर्ण व्यवहार करना, पुलिस अभिरक्षा में कैदियों की मृत्यु, महिला कैदियों एवं बाल कैदियों का यौन उत्पीड़न जैसी घटनाएं आए दिन देखने को मिलती हैं। लोकतंत्र में पुलिस की भूमिका सामाजिक न्याय, शांति-व्यवस्था और मूलभूत अधिकारों की संरक्षक संस्था के रूप में होती है।

मानवाधिकारों की रक्षा करना पुलिस कर्तव्यों में सम्मिलित है। पुलिस कर्तव्यों में मानवाधिकारों के दायित्वों को निम्न रूपों में देखा जा सकता है :

1. कमजोर वर्गों का शोषण और पुलिस की भूमिका : बच्चों का शोषण करना, उन्हें बंधक बनाकर रखना, उनसे मजदूरी करवाना, उन्हें दासता का जीवन जीने के लिए मजबूर करना, महिलाओं का यौन उत्पीड़न करना आदि शोषण के विभिन्न रूप हैं। बच्चों के स्कूल जाने की अवस्था में माता-पिता और ठेकेदारों द्वारा बच्चों से

बाल मजदूरी करवाना आम बात है। चाय की दुकानों, ढाबों पर छोटे-छोटे बच्चों को काम करते हुए देखा जा सकता है। साइकिल, मोटर साइकिल, स्कूटर आदि मैकेनिक के वर्कशापों पर काफी मात्रा में छोटे बच्चे देखे जा सकते हैं। छोटे-छोटे बच्चों को बड़े शहरों में कूड़ा बीनते हुए भी देखा जा सकता है जिससे वे अपने एवं अपने परिवार का पेट पालते हैं। कई स्थानों पर बच्चों से भीख तक मंगवाई जाती है। रेडलाइट पर रूकी गाड़ियों के शीशे अथवा कुछ चीजें, किताबें आदि सामान बेचते हुए इन बच्चों को बड़ी आसानी से देखा जा सकता है। ठेकेदार माता-पिता को एडवांस में पैसे देकर बच्चों को काम करवाने के लिए ले जाते हैं और कठोर मजदूरी करवाते हैं।

साथ ही कमजोर वर्गों की महिलाओं एवं पुरुषों का भी शोषण किया जाता है। उन्हें अनुसूचित जाति, जन जाति, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यक जैसे अपमानजनक जातिसूचक शब्दों द्वारा पुकारा जाता है। स्त्रियों पर होने वाले अत्याचारों को पुलिस भी गंभीरता से नहीं लेती है तथा इसी बात को ध्यान में रखते हुए सरकार ने विभिन्न राज्यों में महिला पुलिस थानों की स्थापना की है। महिला थानों को महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध होने वाले अत्याचारों को कम करने में काफी सफलता भी मिल रही है। महिला पुलिसकर्मी भी कभी-कभी बदतमीजी से पेश आती है जिससे यह महसूस किया जाता है कि इनको इस संबंध में विशेष प्रशिक्षण दिए जाने की आवश्यकता है। स्त्रियों से छेड़छाड़ के मामलों को प्रायः पुलिस गंभीरता से नहीं लेती है। बलात्कार की घटनाओं में दिन-प्रतिदिन वृद्धि होती चली जा रही है। स्त्रियों का उत्पीड़न भी बढ़ा है। महिला थानों की संख्या में बढ़ोत्तरी की जानी चाहिए। वर्तमान में हमारे देश में महिला थानों की संख्या 295 है जो कि देश में स्थित कुल थानों की संख्या अर्थात 12,487 का मात्र 2.4 प्रतिशत है। महिला थानों की स्थापना जिला स्तर पर की जानी चाहिए तथा उन्हें शालीनता से पेश आने का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। अश्लील भाषा प्रयोग करने वाली महिला पुलिसकर्मी को बर्खास्त कर दिया जाना चाहिए। अस्पृश्यता की भावना एवं अन्य जातिगत भावना रखना हमारे समाज में कलंक है। हमारे संविधान के अंतर्गत मानवाधिकारों की रक्षा अनुच्छेद 17 द्वारा की गई है।

पुलिस मानवाधिकारों की रक्षा करने वाली संस्था है। पुलिस को कानूनों का पालन करवाने और नियमों को तोड़ने वालों को सजा दिलाने का अधिकार है। इसमें यदि पुलिस की नीयत सही हो तो मानवाधिकारों की रक्षा के लिए सहयोग और समर्थन भी प्राप्त होगा। भुवन भूषण के अनुसार—अमानवीय व्यवहारों से पीड़ित व्यक्तियों की सुरक्षा करके पुलिस मानव अधिकारों को सम्मान प्रदान कराने में सहायक हो सकती है।

2. औद्योगीकरण और पुलिस की भूमिका : जहां एक और किसी भी देश का औद्योगीकरण से विकास होता है वहीं उसके कुछ दुष्परिणाम भी होते हैं। बंधुआ मजदूरी, आर्थिक दिक्कत, कुटीर उद्योगों का पतन, बेकारी में वृद्धि, आर्थिक शोषण, दहेज प्रथा, असमानता में वृद्धि, शराबखोरी की प्रवृत्ति, अपराध व बाल अपराधियों की संख्या में बढ़ोत्तरी हुई है। पुलिस की संरचना सन 1861 में अंग्रेजों द्वारा बनाए गए पुलिस अधिनियम 1861 की है जिसमें वह पुलिस को शासक बनाए हुए हैं। पुलिसकर्मियों की मानसिकता में अभी भी बदलाव नहीं आया है। पुलिसकर्मी आज भी जनसेवक बनकर अपने कर्तव्यों का निर्वाह करने को तैयार न होकर पुलिस वाली छवि पर कायम हैं।

3. आर्थिक शोषण और पुलिस की भूमिका : भारतीय संविधान में छः मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है जिनमें शोषण से मुक्ति पाने का अधिकार मौलिक अधिकारों में शामिल है। यह शोषण आर्थिक और नैतिक हो सकता है। आर्थिक शोषण से मुक्ति दिलाने के लिए संविधान में आवश्यक प्रावधान किए गए हैं। बेगारी उन्मूलन और भिक्षावृत्ति कानून बनाए गए। बंधक मजदूरी उन्मूलन कानून, 1976, दहेज प्रथा उन्मूलन विधेयक 1984 (संशोधन 1986) है। वेश्यावृत्ति उन्मूलन अधिनियम

1956 बना। आर्थिक और सामाजिक शोषण से मुक्त कराने के लिए, बंधुआ मजदूरी प्रथा समाप्त करने के लिए सरकार द्वारा कानून बनाकर प्रयास किए गए। कानून बन जाते हैं परंतु उन्हें लागू करवाने का जिम्मा पुलिस के कंधों पर होता है। इन कानूनों के बारे में पुलिस के सिपाहियों/ अधिकारियों को भी इनकी जानकारी होनी चाहिए। केवल जानकारी ही नहीं ऐसे लोगों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई का अधिकार भी उनके पास होना चाहिए। वास्तव में देखा जाए तो राजनीति ने पुलिस को पंगु बना डाला है। जब पुलिस दोषियों को गिरफ्तार करती है तो उनके ऊपर छोड़ देने के लिए राजनीतिक दबाव पड़ता है और जब वे उन्हें छोड़ देते हैं तो समाज में उनके विरुद्ध माहौल बन जाता है जिससे उनकी छवि गिरती है।

4. मानवाधिकार और पुलिस की ज्यादतियां : एक रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि पुलिसकर्मियों द्वारा हवालात में बंद व्यक्तियों के साथ तरह-तरह की अमानवीयता का व्यवहार किया जाता है। यदा-कदा पुलिस अभिरक्षा में महिला के शील भंग के समाचार भी मिलते रहते हैं। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि भारत में पुलिस हिरासत में सैकड़ों लोगों की मृत्यु हो चुकी है। इन लोगों को बर्बरतापूर्ण पीटा गया और मृत्युपर्यंत सताया गया। गहन छानबीन के दौरान कुछ मामलों में ही पुलिसकर्मियों को दोषी पाया गया। भारतीय संविधान में ऐसे अनेक प्रावधान हैं जो कि पुलिस संरक्षण में किसी भी अनावश्यक बल प्रयोग को अनुचित व अवैधानिक ठहराते हैं। लोकतंत्रात्मक समाज में पुलिस की भूमिका एक जनसेवक की होती है। पुलिस को किसी भी कीमत पर मनमाना व्यवहार करने का अधिकार नहीं होता है। यह बात अब सार्वजनिक रूप से स्वीकार की जाने लगी है कि अपराधियों से पूछताछ करते समय थर्ड डिग्री का प्रयोग अमानवीय है। रिमाण्ड पर लेकर बंदियों से जुर्म का इकबाल करा लेती है। भयवश बंदी जुर्म स्वीकार कर लेता है परंतु न्यायालय में वह मुकर जाता है। यह जानते हुए भी पुलिस बंदियों को असहनीय कष्ट पहुंचाकर यह सब करती है। यह मानवाधिकारों का खुल्लम खुल्ला उल्लंघन है। अनुच्छेद 14 व में यह प्रावधान है कि प्रत्येक व्यक्ति को कानून का समान संरक्षण एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है और अनुच्छेद 22 अवैधानिक गिरफ्तारी के विरुद्ध सुरक्षा का अधिकार प्राप्त है। अनुच्छेद 22(2) में स्पष्ट कहा गया है कि पुलिस हिरासत में रखे गए व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर नजदीकी मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाए। संविधान में स्पष्ट रूप से निर्देशित किया गया है कि "किसी अपराध के लिए अभियुक्त किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा।" पुलिस को इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती। चंबल जैसे इलाकों के डकैतों को पुलिस उनके विश्वस्त मित्रों अथवा मुसाफिरों द्वारा जहर देकर मरवा देती है। बाद में उनके साथ मुठभेड़ दर्शाई जाती है जो कि निहायत अमानवीय एवं अनैतिक है। मानवाधिकारों के अंतर्गत मानव हितों की सुरक्षा प्रथम दायित्व है। पुलिस अभिरक्षा में मानवाधिकारों की पूरी-पूरी गारंटी नहीं है। परंतु हमारे थानों, जेलों आदि में ऐसा नहीं हो रहा है। भारत के उच्चतम न्यायालय ने अनेक मामलों में निर्णय देते हुए कहा है कि अनुच्छेद 21 किसी भी प्रकार की कस्टडी में हिंसा के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है। इसे भारतीय दंड संहिता एवं दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों द्वारा क्रियान्वित किया जाता है।

5. न्याय-व्यवस्था और पुलिस : हमारी न्याय व्य वस्था इतनी पेचीदी है कि सामान्य व्यक्ति इसमें सही न्याय की उम्मीद ही नहीं करता है। जब वह पूर्णतः निराश एवं हताश हो जाता है तब कहीं जाकर उसके केस की सुनवाई का नंबर आता है। यदि कोई व्यक्ति मानवाधिकारों की रक्षा के लिए न्यायिक कार्रवाई का सहारा लेता है तो फिर उसके दीर्घकालीन शोषण का सिलसिला आरंभ हो जाता है। बाबू न्यायालय में कानून की देवी के सामने पैसे लेकर तारीख बढ़ाता चला जाता है। उसको न्याय मिलने में इतना अधिक समय लग जाता है कि उसको मिले न्याय का कोई

अर्थ नहीं रह पाता है। उनका न्याय व्यवस्था से भरोसा ही उठ जाता है। वास्तव में, पुलिस तथा न्यायालय का समन्वय स्थापित करते हुए तत्काल न्याय दिलाने की पेशकश मानवाधिकार आयोग का सर्वप्रथम कर्तव्य होना चाहिए। मानवाधिकार आयोग के गठन के बाद पुलिस हिरासत में ज्यादतियों की घटनाओं में लगातार वृद्धि हो रही है। इसे देखते हुए बलात्कार तथा मृत्यु के मामले में तत्काल अंतरिम सहायता का भुगतान किया जाएगा। इसमें सहायता राशि 10 से 25 हजार तथा मृत्यु के मामले में 1 लाख से 5 लाख रुपए तक मुआवजा देने का प्रावधान है। रात्रि में सामान्यतया स्त्रियों को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। झूठी शिकायत करने वालों के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई करने का फैसला भी आयोग ने किया है।

6. कानूनों में सुधार : पुलिस अभिरक्षा में अपराध संबंधी प्रावधानों का भारतीय दंड संहिता के अनुसार पुनरावलोकन करके उसकी कमियों को दूर किया जाना चाहिए। पुलिस अधिनियम 1961 के स्थान पर एक नया अधिनियम लाया जाना चाहिए। अपराध के लिए 101-114 के अंतर्गत दोष सिद्ध करने का दायित्व प्रायः उत्पीड़ित व्यक्ति पर होता है। इस संबंध में विधि आयोग ने एक नई धारा 114 (बी) को इस अधिनियम में शामिल करने का परामर्श दिया है और जिसे उच्चतम न्यायालय ने भी अपनी सहमति दी है। इसे शामिल कर दिए जाने पर न्यायालय को परिस्थितियों के आधार पर बलात्कार और अभिरक्षा में हुई मृत्यु के संदर्भ में एक अनुमान लेने का अधिकार प्राप्त हो जाएगा।

सन् 2006 में न्यायपालिका ने एक-एक कर ऐसे कई बड़े लोगों को उनके द्वारा किए अपराधों के लिए सजा दी। इससे न्यायापालिका में लोगों का न केवल विश्वास दृढ़ हुआ है बल्कि लोगों की जो एक सामान्य सोच बन गई थी कि धनी एवं सत्ता में प्रभावशाली पद धारण करने वाले व्यक्ति का कानून कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। एक कैबिनेट मंत्री की हत्या और उसके षड्यंत्र के दोष में उम्र कैद की सजा सुनाई गई। शिबू सोरेन पहले भी कई बार कानून के फंदे से बच गए थे। इससे पूर्व सांसद रिश्वत कांड में सोरेन की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। करोड़ों की रिश्वत लेकर भी संविधान के अनुच्छेद 105 (2) का लाभ लेकर वह बरी हो गए थे, क्योंकि इस अनुच्छेद के तहत संसद में की गई कार्रवाई और बयान को किसी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती, चाहे वह बयान और वोट संसद से बाहर रिश्वत लेकर ही क्यों न दिया गया हो।

जेसिका लाल हत्याकांड के मामले में मनु शर्मा को निचली अदालत से तो बचा लिया गया लेकिन उच्च न्यायालय तक पहुंचते-पहुंचते जेसिका लाल हत्याकांड के सबूतों में धार आ गई और मनु शर्मा अपने दो असरदार साथियों विकास यादव और अमरदीप गिल के साथ जेल भेज दिए गए। प्रियदर्शनी मट्टू हत्याकांड में वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के बेटे संतोष सिंह को मौत की सजा दी गई जबकि निचली अदालत ने उसे बरी कर दिया था। हमारी संसद पर हमला करने में अफजल को फांसी की सजा सुनाई गई। यह मामला क्षमादान के लिए राष्ट्रपति के पास लंबित है। लिंगदोह आयोग की सिफारिश पर अदालत ने छात्र संघ चुनाव से राजनैतिक दलों को दूर रहने का आदेश दिया। 175 करोड़ रूपए के ताज कोरिडोर मामले में मायावती पर मुकदमा चलाने का सुप्रीम कोर्ट का निर्देश, वर्ष 2007 में एके 47 रखने के लिए संजय दत्त को तीन साल की कैद, मायावती ने पीएसी एवं पुलिस में भर्ती किए गए 50 हजार से अधिक पुलिसकर्मियों की भर्ती प्रक्रिया की जांच के आदेश दिए जिसमें 10 हजार से अधिक पुलिस कर्मियों को योग्यता एवं शारीरिक दोष के कारण सेवा से निकाल दिया गया तथा हत्या के मामले में पप्पू यादव और उसके साथियों को उम्र कैद की सजा जैसे फैसले देने से न्यायपालिका के प्रति साधारण लोगों की आस्था अवश्य ही बढ़ी है।

कोई भी मनुष्य सबसे पहले मनुष्य है उसके बाद ही वह सवर्ण- हरिजन, अमीर-गरीब, हिंदू-मुस्लिम, शिक्षित-

अशिक्षित, अधिकारी-कर्मचारी है। अतः सर्वप्रथम पुलिस को मनुष्य के मूलभूत अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए। उनके धार्मिक, सामाजिक व आर्थिक हितों की रक्षा की जानी चाहिए। केंद्र और विभिन्न राज्यों द्वारा स्थापित मानव अधिकार आयोगों ने नागरिकों पर होने वाले अत्याचारों व उनके अधिकारों की रक्षा की है जोकि एक सकारात्मक पहल समझी जा सकती है। पुलिस अभिरक्षा में मृत्यु अथवा उत्पीड़न संबंधी अन्य अपराधों के कारण समस्त पुलिस संगठन की छवि प्रभावित होती है। पुलिस अभिरक्षा में अपराधों को रोकने के संबंध में निम्नलिखित सुझावों पर विचार किया जाना अच्छा रहेगा–

1. थानों में अपराधियों के साथ होने वाला व्यवहार : थानों में अपराधियों के साथ अथवा गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के साथ मानवीय व्यवहार किया जाना चाहिए तथा उसे अपनी बात निर्भीकतापूर्वक कहने का अधिकार राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अनुसार अवश्य प्रदान किया जाना चाहिए। थानों में पूछताछ संबंधी प्रक्रिया में आने वाले वैज्ञानिक उपकरणों का उपयोग किया जाना चाहिए। संविधान के अनुच्छेद 22 (2) के तहत पुलिस अभिरक्षा में रखे गए व्यक्ति को निरीक्षण के भीतर नजदीकी मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना होता है।

2. नागरिक निरीक्षण समिति : पुलिस का जनता के साथ संबंध बनाए रखने के लिए नागरिक निरीक्षण समिति का गठन किया जाए जोकि थानों आदि में लॉकअप का कभी भी व किसी भी समय निरीक्षण कर सके।

3. नीतिसंगत निर्णय की आवश्यकता : पुलिस अभिरक्षा में रखे गए व्यक्तियों के साथ मानवाधिकार आयोग की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए नीतिसंगत निर्णय लिया जाए और दोषी व्यक्तियों को तुरंत दंडित किया जाए ताकि पुलिस की छवि में रखे गए लोगों के साथ हमेशा मानवीय व्यवहार को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।

4. उच्च अधिकारियों का दौरा : पुलिस के वरिष्ठ एवं उच्च अधिकारियों को पुलिस थानों के दौरे के दौरान अभिरक्षा में रखे गए लोगों से गहन पूछताछ करनी चाहिए तथा पुलिस थानों व कारागारों का औचक निरीक्षण भी करना चाहिए ताकि सच्चाई सामने आ सके।

5. खुफिया तंत्र की मजबूती : पुलिस विभाग को अपने खुफिया तंत्र को मजबूत रखना बहुत ही आवश्यक है क्योंकि पुलिस की सफलता खुफिया तंत्र पर ही निर्भर करती है।

6. पुलिसकर्मियों को विशेष प्रशिक्षण : जो पुलिसकर्मी अथवा पुलिस अधिकारी पूछताछ कार्य करते हैं उन्हें पूछताछ करने संबंधी उच्च स्तर का विशेष प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए ताकि वे मानवीय व्यवहार करते हुए कैदियों अथवा दोषियों से सच्चाई पूछ सकें।

7. कानूनों में सुधार की आवश्यकता : अंग्रेजों द्वारा बनाए गए पुलिस अधिनियम, 1861 को बदलने की तत्काल आवश्यकता है ताकि उसकी जगह कोई नया पुलिस अधिनियम लाया जा सके। पुलिस में सुधार के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा सितम्बर, 2005 में एक समिति का गठन किया है। उसने अपनी रिपोर्ट केंद्रीय सरकार को सौंप दी है हालांकि, अभी सभी राज्य उस समिति की सिफारिशों पर पूर्णतः सहमत नहीं है।

8. प्राथमिकी दर्ज करने में कठिनाई : एफआईआर दर्ज करने से भी पुलिसकर्मी/थाना प्रभारी बचना चाहते हैं ताकि उनके थानों के अपराध संबंधी रिकार्ड कम रहें। इस संबंध में अभी अगस्त 2007 में उ.प्र. की मुख्यमंत्री मायावती ने लखनऊ में आयोजित एक उच्च स्तरीय बैठक में कहा कि यदि कोई थाना प्रभारी एफआईआर दर्ज करने से मना करता है तो वह व्यक्ति सीधे पुलिस अधीक्षक (एस.पी.) के पास जाकर अपनी रिपोर्ट दज करा सकता है तथा उस इलाके के संबंधित पुलिस थाने के थाना प्रभारी एवं पुलिस कर्मियों के खिलाफ आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

पुलिस कस्टडी में रखी गई महिलाओं के विरुद्ध बलात्कार का प्रयास किया जाता है। इस तरह के अत्याचार

को रोकने के लिए यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि महिला पुलिसकर्मी ही महिला अभियुक्तों से पूछताछ कर सकती है। पुलिसकर्मियों को महिला अभियुक्तों से मानवीय व्यवहार करना चाहिए।

9. प्रक्रियात्मक सुधार : अधिकतर मामलों में पुलिस प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज ही नहीं करना चाहती है। अनेक प्रकरणों में राज्य के उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा इस संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं—उदाहरणार्थ एक मामले में कोलकाता उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को कस्टडी में पुलिस हिंसा रोकने के लिए "कस्टडी मेमो" जारी किए जाने की व्यवस्था अपनाए जाने का निर्देश दिया है। इस मेमो में पुलिस को अभियुक्त की गिरफ्तारी का समय, स्थान, तारीख, गिरफ्तारी का कारण, कस्टडी का स्थान, अभियुक्त के शरीर पर पहले से विद्यमान चोटों का विवरण, पुलिस स्टेशन, जांच अधिकारी का नाम, जिस न्यायालय में उस अभियुक्त को प्रस्तुत किया जाना है, उसका विवरण देना होता है तथा इस मेमो को अभियुक्त के निकटतम संबंधी को भेजकर प्राप्ति की रसीद प्राप्त करनी होती है। यह व्यवस्था संपूर्ण देश में एक समान लागू की जानी चाहिए। विधि आयोग (1993) ने यह प्रस्तावित किया है कि कस्टडी में पुलिस हिंसा के मामलों में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को तथा कस्टडी मौत के मामलों में सेशन जज को जांच के लिए अधिकृत किया जाना चाहिए और ऐसी जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर पुलिसकर्मियों को यथोचित दंड मिलना चाहिए। निठारी कांड इस अपराध की सबसे जघन्य घटना है जिसमें न जाने कितने बच्चों को मार डाला गया। पुलिस ने इन मामलों को गंभीरता से नहीं लिया तथा उनकी एफआईआर भी दर्ज नहीं की गई। केंद्रीय गृह मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन कार्य करने वाला पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो एक अनुसंधान एवं विकास संस्थान है। वर्ष 1993 में ब्यूरो द्वारा एक रिसर्च पेपर प्रकाशित किया गया था जिसमें पुलिस में भर्ती के समय मनोवैज्ञानिक परीक्षण किए जाए और ऐसे प्रशिक्षणों द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि नकारात्मक, मानसिक रूप से अस्थिर एवं कुंठित व्यक्तियों को पुलिस बलों में प्रविष्टि न दी जाए। जेलों में स्वयंसेवी संस्थाओं के सहयोग से स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए जाने चाहिए। जेल मैनुअल की कंडिका 823 में यह प्रावधान है कि जेल प्रवेश के समय ही प्रत्येक बंदी का स्वास्थ्य परीक्षण किया जाना आवश्यक है। चूंकि ज्यादातर पुलिस थानों में पुलिस एफआईआर दर्ज करने से कतराती है। अतः प्रत्येक व्यक्ति को एफआईआर दर्ज करने का मौलिक अधिकार होना चाहिए तभी मानवाधिकारों की रक्षा की जा सकती है। मानवीय प्रकृति के विपरीत किया गया व्यवहार मानवाधिकार का ही हनन है।

अतः हमारे देश में राष्ट्रीय पुलिस आयोग और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की सिफारिशों को ईमानदारी से लागू किया जाना चाहिए तभी पुलिस की छवि सुधर सकती है और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा की जा सकती है।

संदर्भ :

1. लेह लेविन, ह्यून राइटस, नेशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया, नई दिल्ली, 2002 पृष्ठ 5
2. ब्रजेश, दिग्गजों पर दाग, अमर उजाला, नई दिल्ली, 17 दिसम्बर, 2006, पृष्ठ 16
3. विस्तृत विवरण के लिए देखिए, याद रहेंगे अदालत के फैसले, दैनिक जागरण, 26 दिसम्बर, 2006 पृष्ठ 9
4. मानवाधिकार और पुलिस, पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो, नई दिल्ली।
5. श्याम सुमन, शिकंजे में वी.आई.पी., अमर उजाला, 17 दिसम्बर, 2006, पृष्ठ 16

❐

महिला उत्पीड़न एवं डायन प्रथा

डा. जयश्री एस. भट्ट

लेखिका- रिसर्च एसोशिएट, समाजशास्त्र विभाग, डा. हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय (म.प्र.) 470003

डा. दिवाकर शर्मा

सुपरवाईजर - प्रोफेसर, समाजशास्त्र विभाग, डा. हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय सागर (म.प्र.) 470003

"डायन प्रथा सदियों पुरानी प्रथा है। जिसके अनुसार उस व्यक्ति को डायन कहा जाता था जिसमें अत्याचारी बुरी आत्मा प्रवेश कर गई हो या उस व्यक्ति को जिसने किसी व्यक्ति पर जादू टोना किया हो, परंतु वर्तमान स्थिति पर डायन प्रथा का विश्लेषण करें तो हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि यह एक ऐसी कुप्रथा है जिसकी आड़ लेकर व्यक्ति अपने निहित स्वार्थ को सिद्ध करता या करवाता है यदि स्वार्थ सिद्ध नहीं हो पाता तो उसे डायन सिद्ध कर अपनी इच्छाओं की पूर्ती एवं परपीड़ा वृत्ति को शांत करता है। जिसकी शिकार अधिकांशतः महिलाएं ही होती है। उसी के तहत विभिन्न बिंदुओं पर विचार करता हुआ यह शोध आलेख प्रस्तुत है।"

प्रस्तावना

किसी औरत को डायन करार देना सदियों पुरानी परंपरा है परंतु यह समस्या आज भी हर राज्य के जनजातीय इलाकों में अधिकतर अपने पंजे पसार चुकी है विशेष कर इसे बिहार के जनजातियों में जैसे —मुंडा, उरांव, संथाल हो, बिरहोर, खरिया, चेरो, कोरबा, लोहरा भूमिज आदि जनजातियों के साथ-साथ यह कुप्रथा प्रदेश के झाबुआ समेत बड़वानी, खरगौन और धार जैसे जिलों में फैली हुई है। इन जिलों में ओझा, बडवा एवं बोंगा को ईश्वर का धार्मिक नाम मानते हैं ये लोग एक साथ देवताओं, आत्माओं के माध्यम पुजारी रोग मुक्त करने वाले सभी भूमिकाएं निभाते हैं इसलिए जादू-टोना, बीमारी एवं डायन से निपटने के लिए इन्हीं को ही बुलाते हैं एवं इनका फैसला ही अंतिम होता है। इनके मुताबिक यह औरत डायन है जिसमें प्रेम-आत्मा घुस गई है, जिसका पति, बेटा, घर का दूसरा कोई निकट संबंधी या अड़ोसी-पड़ोसी कोई मर गया हो यहां तक की हर अप्राकृतिक या असमय अकाल मौत होने या गांवों में जानवरों, मुर्गा, मुर्गी एवं बकरी के मरने का कारण या इनमें से कोई भी व्यक्ति को या स्वयं को ऐसी बीमारी लग गई हो जो बडवा से ठीक नहीं हो रही हो तो उसका जिम्मेदार विधवा, वृद्ध या किसी ऐसी औरत का जिससे किसी व्यक्ति या बडवा का शारीरिक, आर्थिक, राजनैतिक या सामाजिक स्वार्थ सिद्ध हो उसे डायन करार दे दिया जाता है। अधिकांश मामलों में प्रताड़ित करवाने वाला व्यक्ति घर का सदस्य, रिश्तेदार या पड़ोसी होता है। डायन करार दी गई महिलाओं को पीट-पीटकर अधमरा कर या नंगा कर पूरे गांव में घुमाना, मैला पिलाना, घर पर पत्थर फेंकना, पेड़ में घंटों बांधे रखना, हल में बांधकर खेत में जोतना, घर से निकाल देना, पीट-पीटकर मार डालना, जिंदा दफनाना, जिंदा जला देना या शरीर के टुकड़े-टुकड़े कर दिए जाते हैं। इस विकृत एवं स्वार्थपूर्ण सोच ने आज तक हजारों बेगुनाह औरतों की जान ली है।

भारत में डायन हत्या एवं हत्या के प्रयास से संबंधित आंकड़े

दक्षिण बिहार के आदिवासी क्षेत्र में हर हफ्ते दो 'डायन हत्याएं' होती हैं। बोंगा द्वारा करार डायन मौतें 1995 में पश्चिम सिंहभूम में 17 ही रिकार्ड की गई पर वास्तविक संख्या इससे भी दुगुनी है वहीं 1991 में 18 औरतों को मौत के घाट उतारा गया, 1992 में 15,

1993 में 11 और 1994 में 16 महिलाओं की हत्या ही प्रकाश में आई। इस प्रकार महानिरीक्षक जे.के. सिन्हा के मुताबिक 1991 से 1998 तक डायन हत्या के लगभग 500 मामले विभिन्न थानों में दर्ज किए गए।

तालिका क्रमांक - 1
पुलिस में डायन हत्या के विदित मामले

जिला	2001	2002	2003	2004
रांची	17	13	12	8
चाईबासा	9	7	5	9
गुमला	2	3	4	6
लोहरदग्गा	8	3	2	1
पलामू	1	2	0	1
जमशेदपुर	1	0	1	1
धनबाद	0	1	1	0
बोकारो	3	1	1	2
गढ़वा	1	0	1	1
चतरा	1	2	0	0
हजारीबाग	3	2	3	4

जिला	2001	2002	2003	2004
गिरिडीह	3	1	3	2
प. सिंहभूम	4	2	2	3
पू. सिंहभूम	5	3	2	3
सरायकेला	4	6	2	4
सिमडेगा	6	8	2	9
दुमका	2	1	2	2
देवघर	3	1	4	2
पाकुड़	2	3	2	1
साहेबगंज	2	1	4	2
गोड्डा	1	2	1	1
कोडरमा	1	2	0	3

स्रोत : शरण प्रशांत, सहारा समय 17 दिसंबर, 2005 पृ. 11

उपरोक्त तालिका क्रमांक-1 में दिखाए गए सरकारी आंकड़ों की अपेक्षा असली आंकड़े इससे कहीं ज्यादा होंगे क्योंकि अधिकांश मामले प्रशासन, पुलिस के सामने लाए ही नहीं जाते। झारखंड राज्य में पांच वर्षों में चार सौ से भी अधिक 'डायनों' की हत्याएं कर दी गई हैं जबकि हजारों महिलाएं अमानवीय यातनाओं की शिकार होकर जिंदा लाश की तरह जी रही हैं। असम के चुनावी माहौल के बीच शोणितपुर जिले के विश्वनाथ सब डिवीजन के साघारू चाय बागान में डायन होने के आरोप में एक परिवार के पांच लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। यह सारा हादसा ग्रामीणों के सामने हुआ और प्रशासन को भनक भी नहीं पड़ी इस तरह राज्य के ग्रामीण इलाकों में पिछले पांच साल के दौरान दो सौ लोगों को डायन होने के संदेह में मारा जा चुका है।

तालिका क्रमांक - 2
झाबुआ जिले में पुलिस आंकड़ों में डायन

वर्ष	हत्याएं	हत्या के प्रयास	अन्य	कुल
2003	07	02	13	22
2004	04	01	02	07
2005	03	01	01	05
2006	02	01	07	10

स्रोत : नवीन पी. इंडिया टुडे, 30 नवंबर-6 दिसंबर, वर्ष-21, अंक-7, पृ. 30-32

उपरोक्त सरकारी आंकड़ों के मुताबिक बीते 10 साल के दौरान अकेले झाबुआ जिले में ही 68 महिलाओं को डायन कहकर हत्या कर दी गई, जिनमें 2003 में 7, 2004 में 4, 2005 में 3 और 2006 में 2 मौते शामिल हैं हालांकि गैर सरकारी अनुमानों के मुताबिक बीते तीन वर्षों में जिले में 20 से ज्यादा महिलाओं को

डाकनी ठहराकर मौत के घाट उतार दिया गया।

सरकारी-गैर सरकारी आंकड़ों से यह तो स्पष्ट विदित हो रहा है कि वास्तविक आंकड़े इनसे कई गुना ज्यादा दिल दहलाने वाले होंगे। जहां भी यह कुप्रथा होगी वहां की स्त्रियों की स्थिति से नरक की स्थिति अच्छी होगी।

डायन प्रथा : प्रभाव

डायन करार दी गई महिलाओं की अधिकांशतः हत्याएं कर दी जाती हैं जिससे उस गांव या कस्बे में लिंग-अनुपात में असंतुलन बढ़ने के दुष्परिणाम गांव वालों को स्वयं भुगतना पड़ रहा है एवं जो महिलाओं को डायन करार देने के बाद उसकी हत्या न कर उसे जो भी शारीरिक मानसिक सजा दी जाती है उसके बाद वह स्त्री और उसके परिवार का भविष्य तो अंधकारमय हो ही जाता है साथ ही जिस तरह की मानसिक प्रताड़ना पूरे परिवार को सहन करनी पड़ती है उससे कहीं अच्छी मौत होती होगी।

डायन प्रथा से ज्यादातर विधवाएं, परित्यक्त, वृद्ध, अकेली महिलाएं या जिस महिला ने दूसरा विवाह किया है वे डायन करार के डर से अपनी जमीन-जायदाद, मकान, मुर्गीया, बकरियां, गाय, भैंस, दुकान आदि सब छोड़कर भाग जाती हैं या गुमनाम जिंदगी जीते हुए कहीं भटक जाती हैं। जो महिलाएं इस कुप्रथा वाले गांव में रहती हैं वो अपने ही परिवार, रिश्तेदार, अड़ोसी-पड़ोसी तक से भयभीत रहती हैं ये महिलाएं सबसे दबी-दबी सहमी सी हर व्यक्ति के गलत-सही आज्ञाओं का पालन करती हुई ओझा, बडवा को यमराज मानते हुए अपनी अंतिम सांसें गिनने में लगी हुई डायन मौत को स्वाभाविक मौत मानकर गले लगा रही हैं।

डायन प्रथा : सरकारी, गैर सरकारी प्रयास एवं शोध कार्य

- बिहार विधान परिषद में 7 जून 1995 को डायन हत्या की वारदात को देखते हुए डायन विरोधी सेल के गठन की घोषणा की गई।
- 21 या 22 अगस्त 1996 को रांची में डायन प्रथा पर राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया गया था।
- बिहार सरकार ने विचक्राफ्ट प्रिवेंशन बिल 1999 में पारित किया है। इस बिल के तहत औरत को डायन के रूप में पहचान करने वाले व्यक्ति के लिए तीन महीने की सजा और 1000 रुपए जुर्माने का प्रावधान है। उस औरत को प्रताड़ित करने वाले को 6 महीने की कैद व 2000 रुपए जुर्माना हो सकता है।
- डायनप्रथा उन्मूलन के क्षेत्र में काम कर रही स्वयंसेवी संस्था की एक सदस्य पूनम टोप्यो जो कि डायन करार दिए गए पीड़ित परिवार की सदस्य है और उसने डायन कुप्रथा को समाप्त करने का बीड़ा उठाया है।
- रांची के प्रभारी अजय कुमार जिन्होंने डायन समस्या पर बोकारो में दस साल तक काम किया। उन्होंने कहा कि बोकारो में डायन बताकर प्रताड़ित करने की वारदात काफी संख्या में हैं, लेकिन यहां औरतों की हत्या नहीं की जाती। सिंहभूम में तो स्त्रियों को बर्बरता के साथ मार भी दिया जाता है। ऐसी सर्वाधिक घटनाएं सिंहभूम में घटती हैबोकारों में आमतौर पर जिस स्त्री ने दूसरा विवाह किया है (परित्यक्त या विधवा) जिसे स्थानीय भाषा में चुभान कहते हैं, को डायन बोलकर अपमानित व जलील किया जाता है। बोकारो के कई ओझा तो काफी धनवान हो गए हैं और उनके पास मोटरसाइकिल और पक्का मकान है वे बताते हैं कि ओझाओं के अपने एजेंट होते हैं जो ऐसी औरतों को बरगला कर झाडफुंक के लिए ले जाते हैं। मर्गा, बकरी, सोने की टिकली और एक हजार रुपये के साथ ऐसे तालाब की मिट्टी लगाने को कहते हैं जिसमें पानी निकलता हो चूंकि स्थानीय

तालाबों में से कोई जलविहीन नहीं है अतः ओझा बनारस से ऐसे तालाब की मिट्टी लाने की बात कह कर पैसे वसूलते हैं। धनबाद के मोहदा मोड़ के पास का ओझा काफी चर्चित है जो डायन प्रताड़ित स्त्री को उसके पास पहुंचने पर तुरंत बगल के तालाब में नहाकर आने को कहता है। साथ ही पुराने कपड़े को छोड़कर नये वस्त्र धारण करने की आज्ञा देता है। नदी में औरत के छोड़े गए पुराने कपड़े को ओझा का आदमी बटोर कर ले जाता है और काफी संख्या में जमा होने पर उसे बाजार में बेचकर पैसे कमाता है।

डायन प्रथा : कारण

आर्थिक कारण

आदिवासी बस्तियों की आबादी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही है। इसलिए वहां के लोग जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तरह-तरह के हथकंडे अपनाते हैं। इसलिए डायन प्रथा में प्रताड़ना के 95 फीसदी से अधिक मामलों में दहेज, जमीन-जायदाद का विवाद आदि आर्थिक कारण पाए गए हैं जिसमें अकेली विधवा, वृद्ध एवं कमजोर महिला की संपत्ति हड़पना है उसके लिए चाल चली जाती है एवं समुदाय की सहानुभूति बटोरी जाती है इस प्रकार किसी भी पुरुष की मंशा 'ओझा' के साथ सांठ-गांठ करने पर पूरी हो सकती है झाबुओ के एक बडवा का कहना है कि डायन का पता लगाना एवं कुछ ही सेकेंड में मुक्ति भी दिला सकता है एवज में वह दो बोतल ताड़ी, बकरी और मुर्गे लेता है। क्षेत्रीय आरक्षी महानिरीक्षक ज्योति कुमार सिन्हा बताते हैं कि झारखंड में चल-अचल संपत्ति के लालच में और गांव में दबदबा बनाए रखने के लिए ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया जाता है। आई.ए.एस. अधिकारी अमित खरे का भी मानना है कि भूमि, पेड़ व चल-अचल संपत्ति के लालच में डायन हत्या की जा रही है। इसी तरह गरीबी के कारण कुपोषण से अधिकांश बच्चों एवं व्यक्तियों की बीमारी एवं मृत्यु का कारण ओझा उस औरत पर लगाता है जिससे उसका स्वार्थ सिद्ध होता है चाहे वह बच्चों की मां ही क्यों न हो।

पुरुष प्रधान समाज की रणनीति

महिलाओं के विरुद्ध परंपरा एवं कुप्रथाएं पुरुष प्रधानसमाज की सोची समझी रणनीति है जिसे हम अंधविश्वास, आदिम प्रथाएं या अज्ञानता कह कर इनसे छुटकारा पा लेते हैं जबकि दबंग पुरुष वर्ग किसी महिला से बात मनवाने, बदला लेने, जो महिलाएं समाज में बदलाव लाने या अत्याचार, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज बुलंद करती है उसे दबाने, कमजोर, असहाय, अकेली, विधवा एवं परित्यक्ता महिला को ओझा-गुनी के साथ साठ-गांठ कर कमजोरों को डायन करार देते हैं। अतएव इस प्रथा को पुरुष प्रधान समाज की सोची-समझी रणनीति के रूप में देखा जाना चाहिए।

स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव

स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच दूर दराज के गांवों में नहीं हो पाने की वजह से भी यह कुप्रथा बढ़ती ही जा रही है क्योंकि गांव के लोग अस्वस्थ होने पर ओझा के पास जाते हैं ओझा अनपढ़ के साथ-साथ वाक पटुता में चालाक होता है अतएव किसी मानसिक बीमारी हिस्ट्रीरिया या असमान्य व्यवहार को भूत-प्रेत का प्रवेश हो गया है इसी तरह कोई भी बीमारी जो ज्यादा दिन तक ठीक नहीं हो पाती उसका इल्जाम पड़ोसन, घर की महिला सदस्य, रिश्तेदार या सगी मां एवं दादी ने जादू-टोना कर दिया है, कहकर डायन करार दे देता है। उदाहरण स्वरूप पश्चिम बंगाल के मालदा जिले के गाजोले इलाके में मुंशी किस्कू, वेद किस्कू और टुडू किस्कू ने अपनी मां की हत्या कर दी क्योंकि ओझा ने कहा था उनकी डायन मां के कारण ही घर के बच्चे बीमार पड़ रहे हैं। इसी तरह गांव में किसी औरत को गंभीर बीमारी हो जो ठीक नहीं हो रही हो तो उसे पूरे गांव में फैल जाने का डर बता

कर डायन करार दे उसकी हत्या गांव वालों से करवा देता है ऐसे कई उदाहरण आए दिन न्यूज पेपर्स में पढ़ने को मिल जाते हैं इसलिए इसका मुख्य कारण पास में स्वास्थ्य केंद्र न होना है।

अंधा प्रशासन

डायन प्रथा से संबंधित अमानवीय व्यवहार की शिकायत पुलिस को नहीं की जाती क्योंकि आदिवासियों में डाकनियों की हत्या स्वीकार्य है इन मामलों में बडवा का फैसला अंतिम होता है पुलिस भी मामला दर्ज करने के बजाय कुछ को वह पारिवारिक बताकर प्राथमिकी दर्ज नहीं करती, कुछ को आपस में ही निपटने की सलाह देती है या पुरानी कुप्रथा कहकर टाल देती है। पश्चिम सिंहभूम (दक्षिण बिहार) में बड़ी विचित्र प्रशासन व्यवस्था है। 'मानकी मुण्डा' जो ग्राम का मुखिया होता है जिसे पावर है कि वह सब इंसपेक्टर के साथ राजस्व वसूलते हैं, जिसने राजस्व देने का विरोध किया या वह टारगेट विरोधी औरत है तो वह डायन है। अतएव इन प्रथा को बढ़ाने में स्थानीय परंपरा के साथ-साथ अंधा प्रशासन भी जिम्मेदार है।

राजनीतिक कारण

आदिवासी गांवों में बडवा, बोंगा, ओझा एवं मुखिया की तरफ ही पूरे सामाजिक वातावरण की हवा का रूख होता है इसलिए स्वाभाविक है कि चुनाव के समय सभी राजनीतिक दल की खामोशी से भी इन्हें ताकत ही मिलती होगी, समाज का ओझाओं के प्रति अंधविश्वास के कारण कौन-सा राजनीतिक दल इसका फायदा उठा रहा है, जो इन कुप्रथा पर अंकुश नहीं लगा पा रहा बल्कि ओझाओं को धीरे-धीरे आर्थिक रूप से ताकतवर बना रहा है।

शहर की मुख्य धारा से कटे होना

मुख्य धारा से कटे होने के कारण संसाधन एवं संपत्ति से वंचित आदिवासी गांवों में क्या हो रहा है कोई नहीं जान पाता इसलिए आदिम परंपराओं की विकृतियां कभी-कभी ही हमारे सामने आती है प्रशासन भी इनका निजी मामला है कह कर छुटकारा पा जाता है। जिससे इन इलाकों में किसी भी औरत को डायन बताकर प्रताड़नाएं एवं हत्याएं बेरोकटोक हो रही हैं।

शारीरिक संरचना

औरतें शरीर से कमजोर होती हैं इसलिए उनको डायन करार देकर प्रताड़ित करना आसान होता है औरतों की आपस में एकता की कमी के कारण भी वह विरोध नहीं कर पाती। दूसरा यौन संबंध बनाने में नाकाम रहने एवं अपनी बात मनवाने में विफल लोग भी महिला को डायन करार देने के कई हथकंडे अपनाते हैं उदाहरण स्वरूप झाबुआ जिले की सेंधवा तहसील के बालखण्ड गांव की 35 वर्षीय धवती बाई अपने पति के साथ सेंधवा के एस.डी.एम. के पास पहुंची थी, उसने कहा कि सदरिया नामक व्यक्ति उससे शादी करना चाहता था लेकिन उसके इनकार करने पर उसे डायन कह कर बदनाम एवं प्रताड़ित किया।

अन्य कारण

डायन प्रथा उन्हीं समाजों में व्याप्त है जहां शिक्षा का प्रसार नहीं हुआ है जो विकास से वंचित आधुनिकता की रोशनी से बहुत दूर है जहां जादू-टोना, भूत-प्रेत जैसा अंधविश्वास व्याप्त हो वहां ही ऐसी विकृति अवैज्ञानिक सोच पनप रही है जहां गांव में कहीं भी कोई भी या किसी भी प्रकार की दुर्घटना हो तो ओझा गांव की ऐसी औरत की पहचान करता है जिससे उसे सम्मान एवं आर्थिक सहायता देने वालों के रिश्ते ठीक न हो या किसी भी प्रकार का उससे स्वार्थ सिद्ध हो रहा हो ऐसी औरत पर इल्जाम लगा कर उस दुर्घटना से गांव वालों को उबारा जाता है।

निष्कर्ष

उपरोक्त विवरण का हम विश्लेषण करें तो हम यह नहीं कह सकते कि आदिवासी समाज में डायन प्रथा अंधविश्वास की वजह से है बल्कि यह कुछ तेज दिमाग

परंतु विकृत सोच वाले व्यक्तियों की साजिश है जो अपने स्वार्थवश इस प्रथा का कोई बाहरी व्यक्ति उल्लंघन न कर सके इस बात का ध्यान रखते हुए इस प्रथा को कायम रख अपने मूल्यों को जायज ठहराते हैं। भगवान ने इस दुनिया में कुछ बच्चों को चाहे वह गरीब हो या अमीर तेज दिमाग देता है इन बच्चों में जिन्हें सही माहौल या दिशा मिल जाती है वे बहुत उच्च पद पाकर लोगों पर शासन करते हैं जिन्हें नहीं मिल पाता वे डॉन बन कर एवं जो आदिवासी समाज में पैदा होते हैं वे ओझा-बड़वा बन कर शासन करते हैं गांव वालों से हत्याएं भी करवाते हैं और समाज में सम्मान भी पाते हैं पाप भी करें और पापी भी न कहलाएं अतएवं इस कुप्रथा को जड़ से खत्म करना है तो अर्जुन जैसा मछली की आंख पर निशाना लगाया जाए। यह तो सत्य है कि डायन प्रथा ओझा, बडवा, बोंगा का व्यवसाय है इसलिए उन्हें किसी दूसरे व्यवसाय में व्यस्त किया जाए या कुटनीति एवं राजनीतिक व्यक्तियों से ओझा या बडवा को गांव का नेता बना दिया जाए एवं दबाव डाला जाए कि डायन कुप्रथा को समाप्त भी वहीं करें या फिर लोगों का ओझाओं बडवा पर से भरोसा खत्म करना होगा जिसे शिक्षा, रोजगार, विकास के संसाधन मुख्य रूप से स्वास्थ्य सुविधाएं देकर एवं वैज्ञानिक सोच पैदा करके किया जा सकता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची

- एजेंसी (दैनिक भास्कर) "डायन के शक में महिला को घर से निकाला" दैनिक भास्कर, 4 जुलाई 2004, पृष्ठ 11
- एजेंसी दैनिक भास्कर "मां का सिर काट कर सौ रुपए में बेचा", दैनिक भास्कर गुरुवार, 5 जून 2003, पृष्ठ 10
- एजेंसी दैनिक भास्कर "डायन करार दो औरतों को जिंदा जलाया" दैनिक भास्कर, 4 जुलाई 2003
- आर्य अलका "साजिश है स्त्री को डायन करार देना", दैनिक भास्कर-मधुरिमा, 17 नवम्बर 1999, पृष्ठ 81
- भास्कर समाचार सेवा कलकत्ता "डायन समझकर महिलाओं को मारने की घटनाएं" दैनिक भास्कर, 5 सितम्बर 1995
- पी. नवीन "जहां बला है औरत" इंडिया टुडे, अंक-7, वर्ष-21, 30 नवम्बर-6 दिसम्बर 2006, पृष्ठ 30-32
- रवि रविशंकर "अंधविश्वास का नतीजा", सहारासमय, 8 अप्रैल 2006, पृष्ठ 10
- शरण प्रशांत "डायन कहकर मार डाला" सहारा समय, 17 दिसम्बर 2005, पृष्ठ 11
- तनवानी, ध्रुव 'चन्द्रभैरू' "केवल महिलाएं ही डायन वध की शिकार क्यों?" तमाल पत्रिका, मधुसिंह सोमवंशी (संपादक), अंक-1 वर्ष-3, अक्टूबर-दिसम्बर 1997
- वासवी, "डायन की प्रथा से जुड़े स्वार्थ" नीति मार्ग पत्रिका, भोपाल, अंक-24, वर्ष-5, 1-15 मार्च 2004, पृष्ठ 42-44

❐

कारागार सुधार की सलाहकार समिति की बैठक

गृह मंत्रालय, भारत सरकार ने पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो को देश में जेल प्रशासन की विभिन्न प्रक्रियाओं, समस्याओं और उनके समाधान का कार्य सौंपा है। ऐसे महत्वपूर्ण कार्यों को करने के लिए कारागार प्रशासन से संबद्ध वरिष्ठ अधिकारियों, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय ख्याती प्राप्त सामाजिक वैज्ञानिकों को शामिल कर कारागार सुधार हेतु एक सलाहाकार समिति पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के महानिदेशक की अध्यक्षता में कारागार सुधार के लिए एक समिति गठित की गई यह समिति देश में जेल प्रशासन के विभिन्न पहलुओं के बारे में समय-समय पर अपनी अनुशंसाएं देती है साथ ही यह भी सुनिश्चित करती है कि इन जेलों के सुधार के लिए और क्या-क्या अपेक्षाएं हैं।

इस समिति के विचार क्षेत्र में ऐसे सभी विषय आते हैं जिनका प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष संबंध कारागारों में नियुक्त किए जाने वाले व पुराने कर्मिकों के प्रशिक्षण, कारागार सुरक्षा, कैदियों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण, खुली जेलें, महिला कैदियों तथा उनके साथ रहने वाले बच्चों, बाहरी जगत से उनके संबंधों कारागार प्रशासन के आधुनिकीकरण, स्टाफ के विकास कारगारों में अत्याधिक कैदियों से संबंधित समस्याएं, अच्छी कारगार प्रणालियां, इन सभी के लिए सम्मेलन व गोष्ठियां, कारागार में कैदियों द्वारा किया जा रहा उत्पादन व उनसे संबंधित कार्य, खतरनाक कैदियों व साधारण कैदियों से संबंधित समस्याओं, कारागारों की स्थितियों, कैदियों के जेल से निकलने के बाद की परिस्थितियों से संबंधित कार्यक्रम, नवीन तकनीकों, वेतन ढांचा, राज्यों के पुलिस मैनुअलों में समय-समय पर होने वाले परिवर्तनों, कारागार सुधार पर राष्ट्रीय नीति का प्रारूप, विधि सहायता, पैरोल तथा प्रशासनिक मामले आदि से हो।

दिनांक 15 अक्टूबर 2008 को पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो (गृह मंत्रालय) की अध्यक्षता में कारागार सुधार से संबंधित सलाहकार समिति की छठी बैठक आयोजित की गई।

इस बैठक में पिछली बैठक में लिए गए निर्णयों पर अनुवर्ती कार्रवाई पर भी चर्चा हुई जिसमें कारागार प्रशासन व कैदियों से संबद्ध विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर कई निर्णय किए गए इनमें से कुछ प्रमुख इस प्रकार हैं—

1. उत्तर पूर्व के राज्यों को कारागार आधुनिकीकरण योजना के अंतर्गत राज्य स्तर पर एक कारागार प्रशिक्षण संस्थान खोलने के लिए प्रोत्साहित किया जाए।
2. कारागार आधुनिकीकरण योजना के दूसरे चरण में प्रशिक्षण के आधारभूत संरचना के लिए कम से कम 10 प्रतिशत राशि रखी जाए।
3. देश के उत्तर पूर्वी राज्यों के योजना के अंतर्गत कारागार कर्मियों के प्रशिक्षण के लिए निर्मित की जाने वाली अधोसंरचना के लिए 100 प्रतिशत की केंद्रीय सहायता उपलब्ध कराई जाए।
4. खोज-बीन, तलाशी एवं अन्य सुरक्षा उपायों से संबंधित उपकरणों को कारागारों में लगाने के लिए तिहाड़ जेल में जो व्यवस्था की जा चुकी है उसका भी अध्ययन करके आधुनिकीकरण योजना के दूसरे चरण में ऐसे तथा अन्य उपयुक्त उपकरणों को लगाने की कार्रवाई अन्य राज्यों द्वारा की जाए।
5. कारागारों में अवैध रूप से मोबाइल फोन के हो रहे प्रयोग को बंद करने के लिए प्रत्येक कारागार में जैमर

लगाने का सुझाव दिया गया। वर्तमान में एक सरकारी उपक्रम (बी.ई.एल.) द्वारा तैयार किए गए जैमर का जहां जहां उपयोग किया जा रहा है वहां से उनकी उपयोगिता की जानकारी प्राप्त करने के बाद ही इस प्रकार के उपकरणों का प्रयोग देश की जेलों में स्थानीय आवश्यकतानुसार किया जाए।

6. कारागारों में कैदियों से मिलने के लिए आने वाले आगंतुकों द्वारा दी जाने वाली खाने की सामग्री को पैकट बंद सामग्री तक ही सीमित रखा जाए। जिन जेलों में अन्य प्रकार की खुली खाद्य सामग्री अभी तक देने की अनुमति है वहाँ इस प्रथा को इस आधार पर निरुत्साहित किया जाए कि इससे जेलों में अवांछित एवं खतरनाक वस्तुओं को निषिद्ध करने में सहायता प्राप्त होगी। अन्य जेलों में खुली खाद्य सामग्री को देने की नई परिपाटी भी शुरू नहीं की जाए।

7. समिति का सुझाव था कि माडल प्रिजन मैनुअल के अध्यक्ष 23 में खतरनाक कैदियों के लिए दिए गए दिशा-निर्देश के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के प्रावधान दिए गए हैं जिनके कार्यान्वयन के लिए ऐसे अपराधियों की आदतें सुधारने के लिए योग, ध्यान व परामर्श कार्यक्रम आयोजित किए जाएं जिससे उनके व्यवहार आदि में समुचित बदलाव लाया जा सके।

8. कारागारों में लोक अदालतें लगाने के मुद्दे पर समिति का विचार था कि विचाराधीन कैदियों की जमानत आदि से संबंधित लंबित मामलों के शीघ्र निपटान के लिए धारा 436 ए तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 265 ए से 265 जैड में निहित लाभ प्रदान करने के लिए प्रयत्न कर सघन समीक्षा कार्यक्रम तैयार कर क्रियान्वित किया जाए जिसके फलस्वरूप अर्हता प्राप्त कैदियों को शीघ्र जमानत प्राप्त होगी एवं लंबित आपराधिक प्रकल्पों का भी शीघ्र निराकरण होगा।

9. कारागारों में महिला कैदियों और उनके बच्चों के रहने से संबंधित स्थिति, भारतीय जेलों महिला कैदियों के अधिकारों, महिलाओं द्वारा किए गए विभिन्न अपराधों के आधार पर वर्गीकरण तथा शैक्षणिक सुविधाओं की वृद्धि के संबंध में उच्चतम न्यायाल द्वारा इस संबंध में जारी आर.डी.उपाध्याय बनाम आंध्रप्रदेश सरकार (सी.डब्ल्यू.पी 559/1994) की याचिका में किए गए दिशा-निर्देशों को सभी राज्यों में परिचालित करने से संबंधित सूचना के बारे में समिति को अवगत कराया गया। समिति द्वारा यह वांछा की गई है कि इनके अनुपालन के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा की गई समीक्षा के साथ ब्यूरो भी इसकी अद्यतन स्थिति ज्ञात करे।

10. ऐसी महिला अपराधियों को जिनकी सजा पूरी होने के बाद उनके रिश्तेदारों या परिवार वालों द्वारा स्वीकार न करने की स्थिति उनकी देखभाल पर विचार किया गया। समिति को अवगत कराया गया कि इस विषय को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय को सौंपा गया है। यद्यपि सलाहकार समिति ने पु.अनु.एवं वि.ब्यूरो से यह अपेक्षा की है कि कारागार से छूटने वाले बंदियों पर एक शोध कार्य कराया जाए जिसमें उनके कारागार निरूद्ध होने के समय लागू किए गए विभिन्न कार्यक्रमों द्वारा उनके सुधार एवं पुनर्वसन कितने प्रभावी रहे हैं।

उपरोक्त प्रमुख मुद्दों के अतिरिक्त टेलिफोन सुविधाएं, वीडियो कांफ्रेंसिंग, आधुनिकीकरण योजना फंड्स के आबंटन में वृद्धि, कारागार सचिवीय स्टाफ के लिए आवास व्यवस्था, कारागार विभाग के लिए एक हाउसिंग कार्पोरेशन, कारागारों के इच्छुक कर्मियों को कारागार की खाली जगहों को बेचने, कारागार उद्योग का आधुनिकीकरण, परीक्षाणधीन कैदियों

के विधि परिवर्तन के प्रभाव, कारागार एवं दोषसुधार सेवाओं को अखिल भारतीय स्वरूप देना, अपराधों के परिवर्तन के साथ कैदियों के स्वभाव में परिवर्तन आने से विभिन्न राज्यों में ऐसे कैदियों से निपटने में कठिनाइयां, कारागार महानिदेशक/महानिरीक्षकों के प्रतिवर्ष सम्मेलन आयोजित करने, कारागारों में नई तकनीकों के प्रयोग, राज्यों के प्रिजन मैनुअलों की समीक्षा, प्रत्येक कारागार में विधि परामर्शदाता की नियुक्ति, पैरोल प्रक्रिया का मानकीकरण, राष्ट्रीय नीति के मसौदे, अभियोजन की वापसी, जेल स्टाफ व पुलिस स्टाफ में भिन्नता तथा आपराधिक न्याय प्रणालियों के साथ सहयोग जैसे मुद्दों पर गहन विचार विमर्श किया तथा अपने सुझाव दिए।

मेरा यह मानना है कि इस सलाहकार समिति के बहुमूल्य सुझावों एवं अनुशंसाओं के क्रियान्वयन से कारागार प्रशासन के सुधार व उनके आधुनिकीकरण के लिए महती सहायता प्राप्त होगी। वस्तुतः यह एक सतत प्रक्रिया है जिसे प्रभावी बनाने के लिए हम सभी को अपने सामर्थ्य अनुसार सक्रिय योगदान प्रदान करना चाहिए।

—रमेश चंद्र अरोड़ा

❐❐❐

पं. गोविन्द वल्लभ पंत पुरस्कार योजना के अंतर्गत ब्यूरो द्वारा प्रकाशित पुस्तकें

क्र. सं.	*पुस्तक का नाम*	*लेखक का नाम*	*मूल्य*
1.	**भारतीय पुलिस का इतिहास** (अतीत काल से मुगल काल तक)	डा. शैलेन्द्र चतुर्वेदी	54/-
2.	**भारत में केन्द्रीय पुलिस संगठन**	श्री एच. भीष्मपाल	65/-
3.	**ग्रामीण पुलिस : समस्याएं एवं समाधान**	श्री रामलाल विवेक	65/-
4.	**ग्रामीण पुलिस : समस्याएं एवं समाधान**	श्री शंकर सरौलिया	70/-
5.	**विकासशील समाज में समसामयिक पुलिस की भूमिका**	श्री आर.एस. श्रीवास्तव	105/-
6.	**स्वातंत्र्योत्तर भारत में पुलिस की भूमिका एवं जनता का दायित्व**	डा. कृष्णमोहन माथुर	210/-
7.	**मादक पदार्थ एवं पुलिस की भूमिका**	श्री हरीश नवल	—
8.	**सामाजिक चेतना के परिप्रेक्ष्य में पुलिस की भूमिका का उद्‌भव**	प्रो. मीनाक्षी स्वामी	—
9.	**समग्र न्याय-व्यवस्था में पुलिस का स्थान एवं भूमिका**	श्री ललितेश्वर	600/-
10.	**पुलिस दायित्व एवं नागरिक जागरूकता**	डा. सी. अशोकवर्धन	568/-
11.	**महिला और पुलिस**	श्रीमती अमिता जोशी	100/-
12.	**मानवाधिकार और पुलिस**	डा. जी.एस. वाजपेयी	346/-
13.	**नई आर्थिक नीति एवं अपराध**	डा. अर्चना त्रिपाठी	183/-
14.	**बाल अपराध**	डा. गिरिश्वर मिश्र	225/-
15.	**न्यायालयिक विज्ञान की नई चुनौतियां**	डा. शरद सिंह	200/-
16.	**मानवाधिकार संरक्षण एवं पुलिस**	श्री रामकृष्ण दत्त शर्मा एवं डा. सविता शर्मा	510/-
17.	**सामुदायिक पुलिस व्यवस्था**	डा. तपन चक्रवर्ती डा. रवि अम्बष्ट	205/-
18.	**संगठित अपराध**	श्री महेन्द्र सिंह आदिल	313/-
19.	**पुलिस कार्यों का निजीकरण**	डा. शंकर सरौलिया	330/-
20.	**साइबर क्राइम**	डा. अनुपम शर्मा	450/-

ब्यूरो द्वारा प्रकाशित उपरोक्त सभी पुस्तकें, नियंत्रक, प्रकाशन विभाग, सिविल लाइंस, दिल्ली-110054 से प्राप्त की जा सकती हैं।

लेखकों से निवेदन

यदि पुलिस विज्ञान में प्रकाशन के लिए आपके पास पुलिस, शांति-व्यवस्था, अपराध न्याय-व्यवस्था आदि पर कोई लेख है या आप लेख लिखने में सक्षम हैं तथा रुचि रखते हों तो अपने लेख यथा शीघ्र भेजें। अच्छे लेखों को प्रकाशित करने का हमारा पूरा प्रयास रहेगा। लेख टाइप किया होना चाहिए तथा इसके संबंध में फोटो, चार्ट आदि हों तो उन्हें भी साथ भेजना चाहिए। प्रकाशित होने वाले लेखों पर समुचित पारिश्रमिक की व्यवस्था है।

यदि आपने पुलिस विज्ञान से संबंधित किसी विषय पर उपयोगी पुस्तक लिखी है और आप पुलिस विज्ञान में उसे कड़ी के रूप में प्रकाशित करवाना चाहते हैं तो हमें पांडुलिपि भेजें।

यदि आप कर्मियों के कार्य को लेकर कहानी या अन्य किसी विधा में लिखने में रुचि रखते हों तो हम ऐसे साहित्य का भी स्वागत करेंगे।

यदि पुलिस विज्ञान से संबंधित किसी हिन्दीतर भाषा के उच्चस्तरीय लेख का अनुवाद किया हो और आपके पास अनुवाद प्रकाशन का कापीराइट हो अथवा उनके कापीराइट की आवश्यकता न हो तो ऐसे लेख/सामग्री भी प्रकाशनार्थ आमंत्रित हैं। प्रकाशित लेखों पर समुचित मानदेय देने की व्यवस्था है। लेख भेजते समय यह प्रमाणित करें कि लेख मौलिक/अनूदित व अप्रकाशित है तथा इस पर कोई मानदेय नहीं लिया गया है। अनूदित लेख के कापीराइट के संबंध में भी सूचित करें।

विषय आदि के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए पुलिस विज्ञान की नमूने की प्रति मंगाने के लिए संपर्क करें :–-

संपादक
पुलिस विज्ञान
पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो
ब्लाक-11, चौथी मंजिल
सी.जी.ओ. कम्पलैक्स, लोदी रोड
नई दिल्ली-110003
फोन : 24360371 एक्स. 253

वैब साइट — डब्लू डब्लू डब्लू.बीपीआरडी.जीओवी.इन
डब्लू डब्लू डब्लू. बीपीआरडी.एनआईसी.इन

पुलिस विज्ञान

(त्रैमासिक पत्रिका)

अक्टूबर-दिसंबर, 2008

सलाहकार समिति

के. कोशी

महानिदेशक

रमेशचंद्र अरोड़ा

निदेशक (अनु. एवं वि.)

डा. बद्री विशाल त्रिवेदी

उप निदेशक

संपादक : **दिवाकर शर्मा**

पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो

ब्लाक-11, 3 एवं 4 मंजिल

सी.जी.ओ. कम्पलैक्स, लोदी रोड

नई दिल्ली-110003

वर्ष - 26 अंक 105 अक्टूबर-दिसंबर, 2008

वर्ष - 26 अंक 105 अक्टूबर-दिसंबर, 2008